दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वृहत् द्रुत पारवहन प्रणाली

संविदा की सामान्य शर्तें

(जून, 2011)

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-11001

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	**परिभाषाएं और निर्वचन(व्याख्या)**	
1.1	परिभाषाएं	9
1.2	निर्वचन(व्याख्या)	16
1.3	कानून और भाषा	16
1.4	संविदा करार	17
1.5	दस्तावेजों की प्राथमिकता	17
1.6	निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेजों की देखभाल और आपूर्ति	17
1.7	पत्राचार	18
1.8	संविदाकार के दस्तावेजों का नियोक्ता द्वारा उपयोग	18
1.9	नियोक्ता के दस्तावेजों का संविदाकार द्वारा उपयोग	19
1.10	संविधियों, विनियमों और कानूनों का पालन	19
1.11	संयुक्त और अलग-अलग जिम्मेदारी	19
2	**नियोक्ता**	20
2.1	सामान्य दायित्व	20
2.2	साइट पर पहुँच और कब्जा	20
2.3	परमिट, लाइसेंस अथवा अनुमोदन	20
2.4	नियोक्ता द्वारा समनुदेशन	21
3	**इंजीनियर**	
3.1	इंजीनियर की नियुक्ति	21
3.2	इंजीनियर के कर्तव्य और प्राधिकार	21
3.3	इंजीनियर द्वारा अपने प्राधिकार का प्रत्यायोजन करना	21
3.4	इंजीनियर के अनुदेश	22
3.5	इंजीनियर समझौते का प्रयास करेगा	22
4	**संविदाकार**	23
4.1	सामान्य दायित्व	23
4.2	कार्यनिष्पादन प्रतिभूति राशि	24
4.3	निर्माणकार्य के लिए प्रतिनिधित्व	26

4.4	अन्य लोगों के लिए सुविधाएं और उनके साथ समन्वय	27
4.5	उप-संविदाकार	30
4.6	संविदाकार तथा उप-संविदाकार के दायित्वों का समनुदेशन	32
4.7	उल्लंघन करने पर क्षतिपूर्ति	33
4.8	विन्यास (सेटिंग आउट)	33
4.9	साइट से संबंधित आंकड़े	33
4.10	स्वीकृत संविदा राशि की पर्याप्तता	34
4.11	प्रवेश मार्ग	34
4.12	मार्गों और सुविधाओं के उपयोग का अधिकार	35
4.13	कार्यक्रम	35
4.14	प्रगति रिपोर्टें	36
4.15	संविदाकार के उपकरण	37
4.16	निर्माणकार्य की संरक्षा	37
4.17	पर्यावरण संरक्षण	38
4.18	बिजली, पानी और गैस	39
4.19	नियोक्ता द्वारा आपूर्ति किए गए औजार, संयंत्र और उपकरण	39
4.20	नियोक्ता की सामग्री और खुदाई से प्राप्त सामग्री	39
4.21	शेड, स्टोर, यार्ड	40
4.22	अस्थायी निर्माणकार्य	40
4.23	अप्रत्याशित भौतिक स्थितियां	40
4.24	इंजीनियर के लिए साइट तक पहुँच	41
4.25	प्रवेश मार्ग और उप-मार्ग	41
4.26	संविदाकार साइट को साफ रखेगा	41
4.27	साइट की सुरक्षा	42
4.28	साइट पर संविदाकार के प्रचालन	42
4.29	खुदाई में प्राप्त वस्तुएं	42
4.30	प्रचार	43
4.31	रिश्तेदारी का खुलासा	43
4.32	विस्फोटकों का उपयोग	43
4.33	भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण व्यवहार	43
5	**डिजाइन**	45

5.1	सामान्य दायित्व	45
5.2	डिजाइन के संबंध में संविदाकार की वारंटी	45
5.3	निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेज	47
5.4	तकनीकी मानक और विनियम	49
5.5	नमूने	49
5.6	'ऐज-बिल्ट' ड्राइंग्स और दस्तावेज	49
5.7	प्रचालन और अनुरक्षण मैनुअल	50
5.8	बौद्धिक संपदा अधिकार और रॉयल्टी	50
6.	**स्टाफ और श्रमिक**	52
6.1	स्टाफ और श्रमिकों को कार्य पर लगाना	52
6.2	मजदूरी की दरें और श्रम शर्तें	52
6.3	नियोक्ता/इंजीनियर के सेवारत/ सेवानिवृत्त व्यक्ति	53
6.4	श्रम कानून	53
6.5	कार्य-समय	54
6.6	स्टाफ और मजदूरों के लिए सुविधाएं	54
6.7	स्वास्थ्य और सुरक्षा	54
6.8	संविदाकार द्वारा निगरानी(देख-रेख)	55
6.9	कार्यकुशल और सक्षम स्टाफ की व्यवस्था	55
6.10	शान्ति बनाए रखना और अनुशासित आचरण	56
6.11	मजदूर संविदाकार के कर्मचारी होंगे	56
6.12	मजदूरों के साथ दुर्घटना की रिपोर्ट	56
6.13	श्रम कानूनों के उल्लंघन के कारण दावे	56
7	**गुणवत्ता नियंत्रण**	57
7.1	निष्पादन का तरीका	57
7.2	सामग्री का स्रोत	57
7.3	साइट पर डिलिवरी	57
7.4	निरीक्षण	57
7.5	परीक्षण (टैस्टिंग)	58
7.6	अस्वीकृति	59
7.7	निरीक्षण और परीक्षण के बाद जिम्मेदारी	59

7.8	संयत्र और सामग्री का स्वामित्व	60
7.9	यात्रा सहित नियोक्ता की उपस्थिति की लागत	60
7.10	निर्माण कार्य को कवर किया जाना	60
7.11	निर्माणकार्य पूरा होने के बाद परीक्षण	61
7.12	एकीकृत परीक्षण और प्रणाली (सिस्टम) की कमीशनिंग	62
8	**समय प्रबंधन**	64
8.1	निर्माण कार्य का प्रारंभ	64
8.2	कार्य पूरा करने के लिए समय	64
8.3	विलम्ब	64
8.4	निर्माणकार्य पूरा करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाना	65
8.5	विलम्ब के लिए निर्णीत हर्जाना	66
8.6	कार्य प्रगति की दर	68
8.7	निर्माणकार्य को आस्थगित करना	68
8.8	आस्थगन के परिणाम	68
8.9	निर्माणकार्य पुन: आरंभ करना	70
9	**नियोक्ता द्वारा टेकिंग-ओवर**	70
9.1	टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र	70
9.2	निर्माणकार्य के भागों का टेकिंग-ओवर	71
10	**कमियां दूर करने की जिम्मेदारी**	71
10.1	बकाया कार्य को पूरा करना और कमियों को दूर करना	71
10.2	कमियां दूर करने की लागत	72
10.3	संविदा अवधि को आगे बढ़ाना	72
10.4	कमियां दूर करने में विफल रहना	73
10.5	दोषपूर्ण कार्य को हटाना	73
10.6	आगे और परीक्षण	74
10.7	पहुँच का अधिकार	74
10.8	संविदाकार द्वारा कमी का पता लगाना	74
10.9	कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र	74
10.10	पूरे न किए गए दायित्व	74

10.11	आपात स्थिति में कमी को दूर करना	74
11	**संविदा मूल्य और भुगतान**	75
11.1	संविदा मूल्य	75
11.2	अग्रिम भुगतान	76
11.3	साइट पर सामग्री के सापेक्ष अनंतिम भुगतान	78
11.4	अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन	79
11.5	अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्रों को जारी करना	80
11.6	अंतरिम भुगतान और अंतिम भुगतान	81
11.7	कार्य पूरा होने का विवरण	81
11.8	अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन	82
11.9	उन्मोचन(डिस्चार्ज)	82
11.10	अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र जारी करना	82
11.11	नियोक्ता की जिम्मेदारी की समाप्ति	83
11.12	विदेशी मुद्रा में भुगतानों की गणना	83
11.13	पूर्णांकन	84
11.14	चैक और ई-पेमेंट द्वारा भुगतान	84
11.15	स्रोत पर कर कटौती	84
11.16	वाउचर्स प्रस्तुत करना	84
11.17	दावा की गई राशियों को रोक रखना और पुनर्ग्रहणाधिकार	84
11.18	भुगतान की प्राप्तियों पर हस्ताक्षर	85
11.19	भुगतान उपरान्त लेखापरीक्षा	85
11.20	नियोक्ता को देय धन की वसूली	86
12	**घटबढ़(वेरीयेशंस)**	86
12.1	घटबढ़ करने का अधिकार	86
12.2	संविदाकार की घटबढ़	86
12.3	नियोक्ता की घटबढ़	88
12.4	घटबढ़ करने की प्रक्रिया	88
12.5	मात्रा बिल में घटबढ़(वेरीएशन)	89
12.6	लागू मुद्राओं में भुगतान	91

13	**संविदा समाप्त करना**	92
13.1	संविदाकार को नोटिस	92
13.2	संविदाकार की चूक के कारण संविदा समाप्त किया जाना	92
13.3	नियोक्ता की चूक	95
14	**जोखिम और उत्तरदायित्व**	97
14.1	क्षतिपूर्ति	97
14.2	संविदाकार द्वारा निर्माणकार्य की देखभाल	98
14.3	नियोक्ता के जोखिम	99
14.4	नियोक्ता के जोखिमों के परिणाम	99
14.5	संविदाकार के जोखिम	100
14.6	देयता की सीमा	100
15	**बीमा**	100
15.1	व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा	100
15.2	निर्माणकार्य और संविदाकार के उपकरणों के लिए बीमा	101
15.3	व्यक्तियों को चोट और संपत्ति के नुकसान का बीमा	101
15.4	कर्मचारियों का बीमा	102
15.5	बीमा के लिए सामान्य शर्तें	102
16	**अप्रत्याशित घटना**	103
16.1	अप्रत्याशित घटना की परिभाषा	103
16.2	अप्रत्याशित घटना का प्रभाव	104
16.3	संविदाकार की जिम्मेदारी	104
16.4	नियोक्ता की जिम्मदारी	104
16.5	संविदाकार को भुगतान	104
16.6	निर्माणकार्य पुन: प्रारम्भ करना	104
16.7	संविदा समाप्त करने का विकल्प, भुगतान और कार्य निष्पादन से मुक्ति	105
16.8	कानून के अंतर्गत कार्यनिष्पादन से मुक्ति	105
17	**दावे, विवाद, सुलह और विवाचन**	105
17.1	दावे की प्रक्रिया	105

17.2	दावों का भुगतान	106
17.3	विवाद निपटाने की सभी प्रक्रियाएं अपनाए जाने तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं	106
17.4	विवाद का नोटिस	106
17.5	विवाद समाधान के दो चरण	107
17.6	सुलह	107
17.7	सुलह प्रक्रिया	107
17.8	सुलह संबंधी कार्यवाही को समाप्त किया जाना	108
17.9	विवाचन(आर्बिट्रेशन)	109
17.10	विवाचन का निर्णय और ब्याज	110
17.11	विवाचन की लागत	110
17.12	न्यायालयों का क्षेत्राधिकार	110
17.13	विवाचन के कारण कार्य को रोकना	110
18	**नोटिस भेजना**	111
18.1	संविदाकार को नोटिस	111
18.2	नियोक्ता और इंजीनियर को नोटिस	111
18.3	पता बदलना	111

संविदा की सामान्य शर्तें

1 परिभाषाएं और निर्वचन(व्याख्या)

परिभाषाएं

1.1 संविदा(नीचे यथापरिभाषित) में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, नीचे परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यहां दिए गए हैं। जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, व्यक्तियों अथवा पक्षकारों को इंगित करने वाले शब्दों में निगम और अन्य वैध संस्थाएं सम्मिलित हैं।

1.1.1 **दस्तावेज**

1.1.1.1 **"निविदा प्रपत्र का परिशिष्ट"** से मुख-परिशिष्ट(टाइटल अपेंडिक्स) के पूरे पृष्ठ अभिप्रेत हैं जो निविदा के साथ संलग्न हैं और निविदा का भाग हैं

1.1.1.2 **"मात्रा बिल"** से वह दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें भुगतान की विभिन्न मदें और भुगतान की समय-सारणी भी सम्मिलित है।

1.1.1.3 **"निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेज"** से संविदाकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी ड्रॉइंग्स, परिकलन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर(प्रोग्राम), नमूने, पैटर्न, मॉडल्स, प्रचालन और रख-रखाव संबंधी मैनुअल, और इसी प्रकार के अन्य मैनुअल और सूचना अभिप्रेत है।

1.1.1.4 "**संविदा**" से संविदा करार, स्वीकृति पत्र, निविदा पत्र, संविदा की सामान्य शर्तें, संविदा की विशेष शर्तें, नियोक्ता की शर्तें, निविदा, निविदा आमंत्रण सूचना, निविदाकारों के लिए अनुदेश, संविदाकार का प्रस्ताव, अनुसूचियां और स्वीकृति पत्र अथवा संविदा करार(यदि हो चुका है) में सूचीबद्ध ऐसे अन्य दस्तावेज अभिप्रेत हैं।

1.1.1.5 "**संविदा करार**" से उप-खंड 1.4 में उल्लिखित संविदा करार अभिप्रेत है। इसमें पक्षकारों के बीच पत्राचार और समझौता बातचीत के फलस्वरूप किए गए सभी अनुवर्ती परिवर्तन/संशोधन भी सम्मिलित होंगे।

1.1.1.6 "**संविदाकार का प्रस्ताव**" से संविदाकार द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत, नियोक्ता द्वारा यथासंशोधित और स्वीकृत तथा संविदा में सम्मिलित प्रस्ताव अभिप्रेत है। उक्त दस्तावेज में संविदाकार की प्रारंभिक डिजाइन सम्मिलित हो सकती है।

1.1.1.7 "**संविदाकार के दस्तावेज**" से संविदा के अंतर्गत संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए परिकलन(कैलकुलेशंस), कम्प्यूटर प्रोग्राम और अन्य सॉफ्टवेयर, ड्रॉइंग्स, मैनुअल तथा तकनीकी स्वरूप के अन्य दस्तावेज(यदि कोई हों) अभिप्रेत हैं।

1.1.1.8 "**डिजाइन डाटा**" से संविदाकार द्वारा विधिवत् रूप से जांच किए गए सभी

विनिर्देश, योजनाएं, ड्रॉइंग, ब्यौरे, ग्राफ, स्कैच, मॉडल, लेवल, निर्दिष्ट परिमाप, परिकलन और संविदाकार द्वारा अथवा संविदाकार की ओर से किसी अन्य द्वारा तैयार किए गए अथवा तैयार किए जाने वाले निर्माणकार्य की डिजाइन से संबंधित अन्य दस्तावेज अभिप्रेत हैं।

1.1.1.9 **"ड्रॉइंग्स"** से नियोक्ता की ड्राइंग्स और संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई ड्राइंग्स और समय समय पर उक्त ड्रॉइंग्स में किया जाने वाला कोई परिवर्तन, यदि किया जाना हो अथवा जिसके लिए इंजीनियर द्वारा अनापत्ति का नोटिस जारी किया हो, अभिप्रेत है।

1.1.1.10 **"नियोक्ता की शर्तें"** से संविदा में यथासम्मिलित कार्य का दायरा, मानक, डिजाइन मानदंड, विनिर्देश, ड्राइंग्स, कार्यक्रम, स्वदेशीकरण कार्यक्रम(जहां लागू हो) तथा संविदा के अनुरूप उनमें किया जाने वाला कोई परिवर्तन और संशोधन अभिप्रेत है।

1.1.1.11 **"अंतरिम भुगतान अनुसूची"** से मूल्यनिर्धारण दस्तावेज में प्रत्येक लागत केन्द्र के लिए सम्मिलित और उस लागत केन्द्र के अंतर्गत माइल्स्टोन प्राप्त करने के संबंध में अंतरिम भुगतान हेतु उपयोग किए जाने के लिए नियोक्ता द्वारा स्वीकृत अनुसूची अभिप्रेत है तथा इसमें खंड 11 के अनुरूप समय-समय पर किया जा सकने वाला संशोधन सम्मिलित है।

1.1.1.12 **"स्वीकृति पत्र"** से निविदा के नियोक्ता द्वारा कार्य की औपचारिक स्वीकृति अभिप्रेत है।

1.1.1.13 **"कार्य प्रारंभ करने के लिए नोटिस"** से संविदाकार को उस तारीख जिसको कार्य प्रारंभ किया जाना है, की सूचना देने के लिए नियोक्ता द्वारा जारी किया गया नोटिस अभिप्रेत है।

1.1.1.14 **"निविदा पत्र"** से निविदा पत्र नामक दस्तावेज अभिप्रेत है जो संविदाकार द्वारा पूरा किया गया है और इसमें निर्माणकार्य हेतु नियोक्ता के लिए हस्ताक्षरित प्रस्ताव सम्मिलित है।

1.1.1.15 **"सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) संबंधी मैनुअल"** से नियोक्ता का मैनुअल अभिप्रेत है जिसमें संविदाकार द्वारा निर्माणकार्य किए जाने के दौरान पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं और शर्तें अंतर्विष्ट हैं।

1.1.1.16 **"अनुसूचियों"** से संविदा में यथासम्मिलित एवं निविदा के साथ प्रस्तुत सूचना और आंकड़े अभिप्रेत है।

1.1.1.17 **"निविदा"** से स्वीकृति पत्र द्वारा यथास्वीकृत संपूर्ण निर्माणकार्य के लिए डिजाइनिंग जहां लागू हो, कार्यनिष्पादन, विनिर्माण और उसे पूरा करने, परीक्षण और कमीशनिंग(जहां लागू हो वहां एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग सहित) और उसमें किसी कमी को दूर करने के लिए नियोक्ता को संविदाकार का मूल्य सहित प्रस्ताव अभिप्रेत है।

1.1.1.18 "माइल्स्टोंस की अनुसूची" से मूल्यनिर्धारण दस्तावेज में प्रत्येक लागत केन्द्र के लिए अनुसूची अभिप्रेत है जिसमें उस लागत केन्द्र के लिए माइल्स्टोंस और अंतरिम भुगतान अनुसूची के अनुसार नियोक्ता द्वारा संविदाकार को अंतरिम भुगतान करने के लिए उस लागत केन्द्र के अंतर्गत उक्त माइल्स्टोंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित तारीखों का विवरण है तथा संविदा के अनुसार उनमें समय-समय पर किया जाने वाल संशोधन भी सम्मिलित है।

1.1.1.19 **"भुगतान अनुसूची"** से किसी भाग के निर्माणकार्य के विभिन्न चरणों पर भुगतान हेतु मात्रा बिल में सम्मिलित अनुसूची अभिप्रेत है।

1.1.1.20 **"संविदा की विशेष शर्तें"** से निविदा प्रस्तुत किए जाने से पहले नियोक्ता द्वारा जारी की गई अथवा निविदा स्वीकार किए जाने से पहले और सशर्त निविदा स्वीकार किए जाने पर नियोक्ता और संविदाकार के बीच लिखित में सहमत संविदा की कोई विशेष शर्तें अभिप्रेत है।

1.1.1.21 **"निर्माणकार्य कार्यक्रम"** से वह कार्यक्रम अभिप्रेत है जिसमें निर्माणकार्य की जांच, डिजाइन, अनापत्ति संबंधी नोटिस जारी करने, कार्य करने, विनिर्माण, साइट पर डिलिवरी, इरेक्शन, संस्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग(एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग सहित), स्वदेशीकरण(जहां लागू हो) और अपनी अपेक्षाओं के अनुसार नियोक्ता द्वारा यथानिर्धारित स्वरूप और विषयवस्तु के अनुरूप संबंधित क्रियाकलापों के अनुक्रम, विधि और समय अथवा संविदाकार द्वारा यथाप्रस्तुत उसका कोई संशोधित या परिवर्तित संस्करण जिसके लिए इंजीनियर ने अनापत्ति नोटस जारी कर दिया है, को दर्शाया गया है।

1.1.2 व्यक्ति

1.1.2.1 **"पक्षकार"** से संदर्भ के अपेक्षानुसार नियोक्ता अथवा संविदाकार अभिप्रेत है।

1.1.2.2 **"निविदाकार अथवा बोली लगाने वाला"** से बोली लगाने वाला/निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

1.1.2.3 **"संविदाकार"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी निविदा नियोक्ता द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उक्त व्यक्ति के उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं, परन्तु(नियोक्ता की सहमति के सिवाय) उक्त व्यक्ति का कोई समनुदेशिती(प्रतिनिधि) सम्मिलित नहीं है।

1.1.2.4 **"संविकार का प्रतिनिधि"** से संविदा में संविदाकार द्वारा नामित व्यक्ति अथवा संविदाकार की ओर से कार्य करने के लिए उप-खंड 4.3 के अंतर्गत संविदाकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

1.1.2.5 **"विनिर्दिष्ट संविदाकार"** से निम्नलिखित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिनके क्रियाकलाप या जो वह कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार या किसी भी समय निर्माणकार्य को प्रभावित करते हैं अथवा उससे प्रभावित होते हैं:

(क) नियोक्ता द्वारा समय-समय पर परियोजना के लिए नियोजित

संविदाकार, डिजाइन परामर्शदाता और जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करने वाले प्राधिकरण;

(ख) उक्त संविदाकारों के किसी भी श्रेणी के उप-संविदाकार; बशर्ते कि परिभाषा में निर्माणकार्य के संबंध में संविदाकार और उसके किसी भी श्रेणी के उप-संविदाकार सम्मिलित नहीं होने चाहिए।

1.1.2.6 **"अन्य संविदाकार"** से संविदाकार के जरिए नियोजित किए गए व्यक्ति को छोड़कर नियोक्ता द्वारा नियोजित अथवा नियोक्ता के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संविदा करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

1.1.2.7 **"डिजाइनर"** से निर्माणकार्य अथवा उसके किसी भाग की डिजाइन करने वाला संविदाकार, अथवा संविदाकार का गठन करने वाले समूह का सदस्य, व्यक्ति, फर्म या कंपनी अथवा कंपनियों का समूह अथवा उनका कोई स्थानापन्न अभिप्रेत है।

1.1.2.8 **"नियोक्ता"** से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड(डीएमआरसी), उसके कानूनी उत्तराधिकारी और समनुदेशिती अभिप्रेत हैं।

1.1.2.9 **"इंजीनियर"** से संविदा के प्रयोजन हेतु इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए नियोक्ता द्वारा समय-समय पर नामित अथवा नियुक्त और संविदाकार को लिखित में सूचित किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

1.1.2.10 **"इंजीनियर का प्रतिनिधि"** से उप-खंड 3.3 के अंतर्गत इंजीनियर द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया गया इंजीनियर का कोई सहायक अभिप्रेत है।

1.1.2.11 **"उप-संविदाकार"** से निर्माणकार्य के किसी भाग के लिए उप-संविदाकार, विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता के रूप में संविदा में नामित कोई व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको निर्माणकार्य का कोई भाग नियोक्ता की सहमति से उप-संविदा पर दिया गया है और इसमें उक्त व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं, परन्तु उक्त व्यक्ति का कोई समनुदेशिती सम्मिलित नहीं है।

1.1.3 तारीख, समय और अवधि

1.1.3.1 **"कार्य प्रारंभ करने की तारीख"** से कार्य प्रारंभ करने के नोटिस में अंतर्विष्ट वह तारीख अभिप्रेत है जिसको संविदाकार नियोक्ता के लिखित अनुदेश पर निर्माणकार्य प्रारंभ करेगा।

1.1.3.2 **"संविदा अवधि"** से कार्य प्रारंभ करने की तारीख से एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग सहित और खंड 7.11 के अंतर्गत इंजीनियर द्वारा यथाप्रमाणित (अथवा खंड 10.3 के अंतर्गत यथा आगे बढ़ाई गई अवधि) 'कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि' की समाप्ति तक की अवधि अभिप्रेत है।

1.1.3.3 **"दिन"** से कलेंडर दिन अभिप्रेत है, **"सप्ताह"** से 7 कलेंडर दिन अभिप्रेत हैं, **"माह"** से कलेंडर माह अभिप्रेत है, और **"वर्ष"** से 365 दिन अभिप्रेत हैं।

1.1.3.4 **"प्रभावी तारीख"** से संविदा लागू और प्रभावी होने वाली तारीख अभिप्रेत है।

1.1.3.5 **"राजपत्रित अवकाश"** से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राजपत्रित अवकाश के रूप में मनाया जाने वाला प्रत्येक अवकाश और साप्ताहिक अवकाश अभिप्रेत है।

1.1.3.6 **"सामान्य अवकाश"** से रविवार अभिप्रेत है।

1.1.3.7 **"निर्धारित तारीख"** से संविदा में यथानिर्धारित तारीख अभिप्रेत है।

1.1.3.8 **"माइल्स्टोन"** से माइल्स्टोन अनुसूची में यथानिर्धारित निर्माणकार्य के किसी भाग को पूरा करना अथवा कोई परिणाम प्राप्त होना अभिप्रेत है।

1.1.3.9 **"माइल्स्टोन प्राप्त करने की तारीख"** से माइल्स्टोन अनुसूची में निर्धारित वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तक माइल्स्टोन प्राप्त किया जाना है, बशर्ते कि जिस लागत केन्द्र में वह माइल्स्टोन सम्मिलित है उसके लिए अंतरिम भुगतान को आस्थगित न किया जाना हो।

1.1.3.10 **"चरण"** से निर्माणकार्य की प्रगति का यथाअभिनिर्धारित और संविदाकार की अपेक्षाओं में विशेष रूप से उल्लिखित वह स्तर अभिप्रेत है जिसे प्राप्त करने के लिए संविदा में निर्धारित तारीख का उल्लेख है।

1.1.3.11 **"कार्य पूरा करने का समय"** से निर्माणकार्य अथवा उसके किसी खंड या भाग (जो भी स्थिति हो) को पूरा करने और एकीकृत परीक्षण एवं कमीशनिंग सहित परीक्षण पास करने के लिए संविदा में यथाउल्लिखित, कार्य प्रारंभ करने की तारीख से गणना किया गया समय अभिप्रेत है।

1.1.4 परीक्षण और कार्य पूरा करना

1.1.4.1 **"फैक्टरी परीक्षण"** से फैक्टरी में विनिर्माण किए जाने के दौरान और/या उसके बाद कंपोनेंट, उपकरण, उपप्रणाली, प्रणाली इत्यादि के संबंध में फैक्टरी परिसर में किए जाने वाले परीक्षण अभिप्रेत हैं।

1.1.4.2 **"एकीकृत परीक्षण"** से, जहां संविदा में लागू हो, संविदाकार के उपकरणों, उप-प्रणालियों या प्रणाली का परीक्षण संतोषजनक रूप से पूरा होने के बाद उसके उपकरण/उप-प्रणाली/प्रणाली की अन्य लोगों के उपकरण/उप-प्रणाली/प्रणाली के साथ संगतता और यथोचित निष्पादन का सत्यापन और पुष्टि करने के लिए इंजीनियर के निर्देशानुसार संविदाकार द्वारा कराए गए परीक्षणों का कार्यक्रम अभिप्रेत है।

1.1.4.3 **"माइल्स्टोन प्रमाणपत्र"** से माइल्स्टोन प्राप्त किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में इंजीनियर द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

1.1.4.4 **"कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र"** से उप-खंड 10.9 के अंतर्गत इंजीनियर द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

1.1.4.5 **"टेकिंग ओवर प्रमाणपत्र"** से उप-खंड 9.1 के अंतर्गत जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है

1.1.4.6 **"कार्य पूरा होन पर किए जाने वाले परीक्षण"** से नियोक्ता द्वारा निर्माणकार्य अथवा उसके किसी भाग को टेक-ओवर करने से पहले किए जाने वाले एकीकृत परीक्षण,जहां लागू हों, सहित संविदा में उल्लिखित और यथाविनिर्दिष्ट परीक्षण तथा इंजीनियर और संविदाकार द्वारा यथासम्मत, अथवा घटबढ़ के रूप में निर्देशित ऐसे अन्य परीक्षण अभिप्रेत हैं।

1.1.5 धनराशि और भुगतान

1.1.5.1 **"संविदा मूल्य"** से संविदा के उपबंधों के अंतर्गत संविदाकार को देय राशि में किसी राशि को जोड़े जाने अथवा उसमें से कटौती किए जाने के अध्यधीन स्वीकृत पत्र में उल्लिखित संविदाकार को देय राशि अभिप्रेत है।

1.1.5.2 **"लागत"** से संविदाकार द्वारा साइट पर या साइट से हटकर उचित रूप में किए गए(अथवा किए जाने वाले) सभी व्यय अभिप्रेत हैं।

1.1.5.3 **"लागत केन्द्र के लिए राशि"** से मूल्य निर्धारण दस्तावेज में किसी लागत केन्द्र के लिए यथानिर्धारित संविभाजित राशि अभिप्रेत है, जो संविदा के अनुसार समय-समय पर संशोधित की जा सकती है।

1.1.5.4 **"अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र"** से उप-खंड 11.9 के अंतर्गत इंजीनियर द्वारा जारी किया गया भुगतान प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

1.1.5.5 **"अंतिम विवरण"** से उप-खंड 11.10 में परिभाषित सम्मत विवरण अभिप्रेत है।

1.1.5.6 **"विदेशी मुद्रा"** से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आसानी से विनिमेय वह मुद्रा अभिप्रेत है जिसमें संविदा मूल्य का कोई अंश देय है, परन्तु इसमें स्थानीय मुद्रा सम्मिलित नहीं है।

1.1.5.7 **"अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र"** से अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र को छोड़कर उप-खंड 11.5 के अंतर्गत इंजीनियर द्वारा जारी किया गया कोई भुगतान प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

1.1.5.8 **"स्थानीय मुद्रा"** से भारतीय रुपया अभिप्रेत है।

1.1.6 अन्य परिभाषाएं

1.1.6.1 **"अनुमोदन अथवा अनुमोदित" से पूर्व मौखिक अनुमोदन की अनुवर्ती लिखित पुष्टि सहित लिखित अनुमोदन अभिप्रेत है।**

1.1.6.2 **"संविदाकार के उपकरण"** से संविदा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी मशीनरी, उपकरण, यंत्र और किसी भी प्रकार की अन्य चीजें अभिप्रेत हैं, इनमें साइट पर या

साइट से हटकर संविदाकार के संयंत्र और उपकरण अथवा सामग्री सम्मिलित है परन्तु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं और इनमें स्थायी निर्माणकार्य का भाग बनने या बनाने वाले संयंत्र अथवा सामग्री सम्मिलित नहीं है।

1.1.6.3 **"लागत केन्द्र"** से मूल्य निर्धारण दस्तावेज में यथानिर्धारित क्रियाकलापों का समूह और/या कार्य की मदें अभिप्रेत है।

1.1.6.4 **"सामग्री"** से संविदाकार द्वारा स्थायी निर्माणकार्य के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली और समाविष्ट की जाने वाली सभी प्रकार की चीजें(संयंत्र को छोड़कर) अभिप्रेत हैं, इसमें केवल आपूर्ति की जाने वाली मदें(यदि कोई हैं) भी सम्मिलत हैं जिनकी संविदाकार द्वारा संविदा में निर्धारित तरीके से आपूर्ति की जानी है।

1.1.6.5 **"संयंत्र"** से स्थायी निर्माणकार्य का भाग बनने वाली या बनी मशीनरी, उपकरण और यंत्र एवं ऐसी अन्य चीजें अभिप्रेत हैं, इसमें केवल आपूर्ति की जाने वाली मदें(यदि कोई हैं) भी सम्मिलत हैं जिनकी संविदाकार द्वारा संविदा में निर्धारित तरीके से आपूर्ति की जानी है।

1.1.6.6 **"खंड"** से निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट में खंड के रूप में विशेष रूप से विनिर्दिष्ट निर्माणकार्य का एक भाग अभिप्रेत है।

1.1.6.7 **"साइट"** से नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वे स्थान अभिप्रेत हैं जहां निर्माणकार्य किया जाना है और जहां संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक और सामग्री डिलीवर की जानी है तथा संविदा में विशेष रूप से यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य स्थान जो साइट का भाग हैं। साइट में वे डिपो भी सम्मिलित हैं जहां संविदा के अनुसार रॉलिंग स्टॉक डिलीवर किए जाएंगे तथा उनका परीक्षण और कमीशनिंग की जाएगी।

1.1.6.8 **"अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की दूसरी अनुसूची अथवा उसमें किए गए किसी संशोधन में सम्मिलित बैंक अभिप्रेत है।**

1.1.6.9 **"विनिर्देश"** से संविदा में उल्लिखित विनिर्देश तथा उनमें इंजीनियर द्वारा समय-समय पर लिखित में प्रस्तुत और अनुमोदित किया गया कोई संशोधन या परिवर्धन अभिप्रेत है।

1.1.6.10 **"परीक्षण"** से विनिर्देशों में उल्लिखित परीक्षण अथवा इंजीनियर या इंजीनियर के प्रतिनिधि के कहने पर संविदाकार द्वारा अथवा इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि या इंजीनियर के निर्देशन में कार्य करने वाली किसी एजेंसी द्वारा किए जाने वाले परीक्षण अभिप्रेत हैं।

1.1.6.11 **"घटबढ़"(वेरिएशन)** से नियोक्ता की अपेक्षाओं में कोई परिवर्तन और/या संशोधन अभिप्रेत है जिसके लिए खंड 12 के अनुसार इंजीनियर द्वारा अनुदेश दिया गया है अथवा इंजीनियर द्वारा घटबढ़ के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है।

1.1.6.12 **"निर्माणकार्य"** से स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के वे कार्य अथवा सेवाएं अभिप्रेत हैं जिन्हें किया/प्रदान किया जाना है, इसमें उनकी डिजाइनिंग,

विनिर्माण, फेब्रीकेशन, साइट पर डिलिवरी, स्थापना, संस्थापना, उन्हें पूरा करना, कार्य पूरा होने पर किए जाने वाले परीक्षण, कमीशनिंग(एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग सहित) और किसी कमी को दूर करना, और/या संविदा के अनुसार आपूर्ति किया जाना सम्मिलित है तथा इसमें संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक, सामग्री एवं उनके उपकरण भी सम्मिलित हैं।

1.1.6.13 **"स्थायी निर्माणकार्य"** से संविदा के अनुसार डिजाइन और निष्पादित किए जाने वाले स्थायी निर्माणकार्य अभिप्रेत हैं।

1.1.6.14 **"अस्थायी निर्माणकार्य"** से निर्माणकार्य करने और उन्हें पूरा करने तथा उनमें किसी कमी को दूर करने के लिए आवश्यक हर प्रकार के सभी अस्थायी निर्माणकार्य(संविदाकार के उपकरणों को छोड़कर) अभिप्रेत हैं।

1.1.6.15 **"परियोजना"** से दिल्ली सार्वजनिक त्वरित पारवहन प्रणाली(एमआरटीएस) अभिप्रेत है।

निर्वचन(व्याख्या) 1.2 जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, संविदा में:

1.2.1 (क) कोई एक लिंग(जेंडर) दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग सम्मिलित हैं।
(ख) एकवचन दर्शाने वाले शब्दो में बहुवचन भी सम्मिलित है और बहुवचन दर्शाने वाले शब्दो में एकवचन भी सम्मिलित है और
(ग) "लिखित" अथवा "लिखित में" से हस्तलिखित, टाइप की हुई, प्रिंट की हुई अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार की गयी और स्थायी रिकॉर्ड बनने वाली सामग्री अभिप्रेत है।
इन शर्तों के निर्वचन में हाशिए में दिए गए शब्दों और अन्य शीर्षकों पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.2.2 जिन शब्दों और पदों को इसमें परिभाषित नहीं किया गया है उनके लिए "भारतीय सामान्य खंड अधिनियम. 1897" अथवा भारतीय संविदा अधिनियम अथवा भारतीय माल विक्रय अधिनियम अथवा कोई अन्य लागू भारतीय कानून, जो भी स्थित हो, में दिया गया अर्थ अभिप्रेत होगा।

कानून और भाषा 1.3 संविदा भारत के अधिनियमों और कानूनों, संबंधित सरकारी निकाय और प्राधिकरणों के नियमों, विनियमों और उप-नियमों से अभिशासित होगी। संविदा की भाषा अंग्रेजी होगी।

संविदा करार 1.4 नियोक्ता और संविदाकार संविदा को रिकॉर्ड करने के लिए यथाआवश्यक संशोधनों सहित संविदा करार करेंगे। स्टाम्प शुल्क और कानून के अंतर्गत लगाए

गए ऐसे अन्य प्रभारों की लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी ।

दस्तावेजों की प्राथमिकता

1.5 संविदा में सम्मिलित दस्तावेजों को एक-दूसरे को परस्पर स्पष्ट करने वाला माना जाएगा । यदि दस्तावेजों में कोई अस्पष्टता या विसंगति है तो इंजीनियर संविदाकार को यथाआवश्यक स्पष्टीकरण अथवा अनुदेश जारी करेगा और दस्तावेजों की प्राथमिकता निम्नवत् होगी:

(क) संविदा करार
(ख) स्वीकृति पत्र
(ग) बोली पूर्व और बोली पश्चात् प्राप्तियां
(घ) निविदा प्रपत्र
(ङ) मात्रा बिल/भुगतान अनुसूची
(च) एनआईटी
(छ) आईटीटी
(ज) निर्धारित डिजाइन विनिर्देश(डिजाइन मानंदड) और निर्धारित निर्माण विनिर्देश; अथवा कोई अन्य विनिर्देश
(झ) ड्राइंग्स
(ञ) नियोक्ता की शर्तें
(ट) संविदा की विशेष शर्तें
(ठ) संविदा की सामान्य शर्तें
(ड) संविदाकार का प्रस्ताव और
(ढ) संविदा का भाग बनने वाल कोई अन्य दस्तावेज

निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेजों की देखभाल और आपूर्ति

1.6 संविदा अवधि के दौरान निर्माण और/या विनिर्माण संबंधी दस्तावेज संविदाकार की अभिरक्षा और देखभाल में रहेंगे । जब तक कि नियोक्ता की शर्तों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, संविदाकार इंजीनियर और सहायकों (उप-खंड 5.3 में यथाउल्लिखित) के उपयोग हेतु उक्त दस्तावेजों की तीन प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

संविदाकार संविदा में सम्मिलित सभी दस्तावेजों, निर्माण और/या विनिर्माण संबंधी दस्तावेजों, घटबढ़ संबंधी दस्तावेज, समय-समय पर दिए या जारी किए गए अन्य पत्र और उप-खंड 5.3 में उल्लिखित दस्तावेज/नमूनों का एक पूरा सेट साइट पर रखेगा । नियोक्ता, इंजीनियर और उनके सहायकों(उप-खंड 5.3 में यथाउल्लिखित) के पास किसी भी उचित समय पर इन दस्तावेजों को देखने का अधिकार होगा ।

संविदा के प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने वाले किसी दस्तावेज में किसी तकनीकी त्रुटि या कमी का पता चलता है तो संविदाकार ऐसी त्रुटि या कमी के संबंध में इंजीनियर को तुरंत सूचित करेगा।

पत्राचार 1.7 जब तक स्पष्ट रूप में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, दोनों पक्षकारों के बीच केवल लिखित में किया गया पत्राचार प्रभावी होगा। कोई नोटिस केवल तभी प्रभावी होगा जब उसे डिलीवर कर दिया गया हो।

संविदाकार के दस्तावेजों का नियोक्ता द्वारा उपयोग 1.8 संविदाकार संविदाकार के दस्तावेजों और संविदकार द्वारा(अथवा उसकी ओर से)तैयार किए गए डिजाइन संबंधी अन्य दस्तावेजों का लिप्यधिकार और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार रखेगा।

संविदाकार संविदाकार के दस्तावेजों की प्रतिलिपि करने, उपयोग करने और जानकारी देने तथा उनमें संशोधन करने या उसका उपयोग करने के लिए नियोक्ता को गैर-समापनीय हस्तांतरणीय नॉन-एक्सक्लूसिव रायल्टी-मुक्त लाइसेंस प्रदान करेगा(संविदा पर हस्ताक्षर कर)। यह लाइसेंस:

(क) निर्माणकार्य के संबंधित भागों की वास्तविक अथवा अभीष्ट वर्किंग लाइफ(इनमें से जो अधिक हो) तक लागू रहेगा,

(ख) निर्माणकार्य के संबंधित भाग का उचित आधिपत्य रखने वाले किसी व्यक्ति को निर्माणकार्य को पूरा करने, प्रचालित करने, रखरखाव करने, बदलाव करने, समायोजन करने, मरम्मत करने और ध्वस्त करने के प्रयोजनों हेतु संविदाकार के दस्तावेजों की प्रतिलिपि करने, उपयोग करने और जानकारी देने का अधिकार प्रदान करेगा, और

(ग) यदि संविदाकार के दस्तावेज कम्प्यूटर प्रोग्राम और अन्य सॉफ्टवेयर के रूप में हैं तो संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए किसी कम्प्यूटर के प्रतिस्थापन सहित साइट पर अथवा संविदा में यथापरिकल्पित अन्य स्थानों पर किसी कम्प्यूटर में उनके उपयोग की अनुमति देगा।

नियोक्ता के दस्तावेजों का संविदाकार द्वारा 1.9 नियोक्ता नियोक्ता की शर्तों संबंधी दस्तावेजों और नियोक्ता द्वारा(अथवा उसकी ओर से)तैयार किए गए अन्य दस्तावेजों का प्रतिलिप्यधिकार और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार रखेगा। संविदाकार संविदा के प्रयोजन हेतु इन दस्तावेजों का

उपयोग

अपनी लागत पर प्रतिलिपिकरण, उपयोग कर सकेगा और इनसे जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

संविदा के यथाआवश्यक प्रयोजन के सिवाय, नियोक्ता की सहमति के बिना संविदाकार द्वारा उनका प्रतिलिपिकरण या उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा किसी अन्य पक्ष को जानकारी नहीं दी जाएगी।

संविधियों, विनियमों और कानूनों का पालन

1.10 संविदाकार निम्नलिखित के सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त करेगा और उनका पालन करेगा:

(क) समय समय पर लागू भारत के किसी अधिनियम के उपबंध।

(ख) किसी स्थानीय निकाय और जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करने वाले निकाय के विनियम और उप-नियम।

(ग) संविदाकार उपरोक्त संविधियों, विनियमों अथवा उपनियमों के अंतर्गत अपेक्षित सभी नोटिस देने के लिए बाध्य होगा और उनके लिए देय सभी शुल्कों एवं बिलों का भुगतान करेगा। संविदाकार निर्माणकार्य शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां और अनुमोदन प्राप्त करेगा।

नियमों, विनियमों और उप-नियमों की जानकारी न होना निर्माणकार्य के किसी चरण पर किसी दावे का आधार नहीं होगा।

संविदाकार ऐसे किसी अधिनियम, कानून, विनियम, उप-नियम अथवा नियम के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए सभी जुर्मानों और देयताओं हेतु नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा।

संयुक्त और अलग-अलग जिम्मेदारी

1.11 यदि संविदाकार (लागू कानूनों के अंतर्गत) एक संयुक्त उद्यम, संघ अथवा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का निगमित समूह है तो:

(क) ये व्यक्ति संविदा के निष्पादन हेतु नियोक्ता के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग जिम्मेदार होंगे;

(ख) ये व्यक्ति नियोक्ता को अपने लीडर की सूचना देंगे जो संविदाकार और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत होगा; और

(ग) संविदाकार नियोक्ता की पूर्व सहमति के बिना अपनी संरचना अथवा कानूनी स्थिति में बदलाव नहीं करेगा।

2 नियोक्ता

सामान्य दायित्व 2.1 नियोक्ता संविदा के अनुसार संविदाकार को साइट/निर्माणकार्य हेतु क्षेत्र उपलब्ध कराएगा और भुगतान करेगा ।

साइट पर पहुँच और कब्जा 2.2 नियोक्ता निर्माणकार्य पूरा करने के लिए संविदाकार को साइट पर उत्तरोत्तर पहुँच का अधिकार और/या कब्जा प्रदान करेगा । उक्त अधिकार और कब्जा संविदाकार के लिए अनन्य (एक्सक्लूसिव) नहीं होगा । संविदाकार उक्त साइटों के उत्तरोत्तर कब्जे/अधिकार के अनुसार निर्माणकार्य पूरा करने के लिए समय-सारणी तैयार करेगा/संशोधित करेगा ।

यदि नियोक्ता संविदाकार को साइट पर पहुँच का अधिकार अथवा कब्जा प्रदान करने में विफल रहता है जिससे संविदाकार को कार्य करने में विलम्ब होता है , तो संविदाकार ऐसी घटना के 28 दिन के भीतर इंजीनियर को नोटिस देगा । उक्त नोटिस प्राप्त होने पर इंजीनियर यह निर्धारित करेगा कि कार्य पूरा करने का समय कितना आगे बढ़ाया जाए जिसका संविदाकार का हक है और वह तद्नुसार संविदाकार को सूचित करेगा ।

साइट का कब्जा प्रदान करने में उक्त किसी विलम्ब के लिए संविदाकार समय को केवल उचित सीमा तक आगे बढ़ाए जाने का हकदार होगा और इस प्रयोजन हेतु किसी आर्थिक दावे का न तो भुगतान किया जाएगा और न उस पर कोई सुनवाई की जाएगी ।

परमिट, लाइसेंस अथवा अनुमोदन 2.3 संविदा के लिए अपेक्षित अनुमोदन, परमिट अथवा लाइसेंस प्राप्त करने की जिम्मेदारी केवल संविदाकार की होगी । तथापि, नियोक्ता संविदा अवधि के दौरान अपेक्षित परिमट, लाइसेंस अथवा अनुमोदन प्राप्त करने में संविदाकार के अनुरोध एवं उसकी लागत पर संविदाकार को उचित सहायता प्रदान कर सकता है(यदि वह ऐसा करने की स्थिति में है) ।

नियोक्ता द्वारा उक्त सहायता प्रदान किए जाने को संविदाकार द्वारा किसी विलम्ब को माफ किए जाने अथवा संविदाकार के दायित्वों का निर्वहन न करने के बहाने के तौर पर नहीं लिया जाएगा । ऐसे सभी आवेदनों को फॉलो-अप करने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी ।

नियोक्ता द्वारा समनुदेशन 2.4 नियोक्ता द्वारा संविदाकार की सहमति के बिना किसी लाभ अथवा उसके किसी भाग और उस पर अथवा उसके अंतर्गत अर्जित ब्याज को किसी तीसरे पक्ष को

(असाइनमेंट) समनुदेशित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

3 इंजीनियर

इंजीनियर की नियुक्ति 3.1 नियोक्ता इंजीनियर की नियुक्ति और उसकी पहचान तथा समय-समय पर उसके स्थानापन्न के बारे में संविदाकार को सूचित करेगा।

इंजीनियर के कर्तव्य और प्राधिकार 3.2 इंजीनियर संविदा में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इंजीनियर के पास संविदा में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

इंजीनियर संविदा में विनिर्दिष्ट अथवा संविदा से आवश्यक रूप से उपलक्षित प्राधिकार का उपयोग कर सकता है। यदि इंजीनियर को उक्त प्राधिकार का उपयोग करने से पहले नियोक्ता का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है तो ऐसी शर्तें संविदा की विशेष शर्तों में यथाउल्लिखित शर्तें होंगी। इंजीनियर द्वारा ऐसे किसी प्राधिकार का उपयोग किए जाने के लिए किसी अपेक्षित अनुमोदन को नियोक्ता द्वारा दिया गया माना जाएगा।

इंजीनियर के पास संविदा के अंतर्गत संविदाकार को उसके किसी कर्तव्य, दायित्व अथवा जिम्मेदारी से मुक्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इंजीनियर का कोई प्रस्ताव, निरीक्षण, जांच, परीक्षण, सहमति, अनुमोदन अथवा ऐसा कोई कार्य (अस्वीकृति प्रदान न किए जाने सहित) संविदाकार को उसकी किसी गलती, चूक, विसंगति और उप-खंड 5.4 का अनुपालन करने की जिम्मदारी सहित किसी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।

इंजीनियर संविदा के अनुसार उसके द्वारा किए गए और प्राप्त सभी पत्राचार की प्रतिलिपि नियोक्ता को देगा।

इंजीनियर द्वारा अपने प्राधिकार का प्रत्यायोजन करना 3.3 i. इंजीनियर समय-समय पर अपने प्राधिकार का समनुदेशन और प्रत्यायोजन इंजीनियर के प्रतिनिधियों/सहायकों को कर सकता है और ऐसे समनुदेशनों और प्रत्यायोजनों को वापस भी ले सकता है। ऐसा प्रत्यायोजन अथवा उसको वापस लेना लिखित में होगा और वह संविदाकार को लिखित में सूचित किए जाने के बाद ही लागू होगा।

ii. प्रत्येक सहायक जिसको कर्तव्य समनुदेशित किए गए हैं अथवा प्राधिकार का प्रत्यायोजन किया गया है , प्रत्यायोजन द्वारा निर्धारित दायरे में ही संविदाकार

को अनुदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत होगा । सहायक के किसी निर्धारण, अनुमोदन, जांच, प्रमाणपत्र, सहमति, निरीक्षण, अनुदेश, नोटिस, प्रस्ताव, अनुरोध, परीक्षण अथवा ऐसा किसी कार्य का वही प्रभाव होगा जैसा कि वह इंजीनियर द्वारा किया जाने पर हुआ होता । तथापि

(क) किसी संयंत्र, माल, सामग्री, डिजाइन और कार्यकुशलता को अस्वीकार करने में विफल रहने पर उक्त संयंत्र, माल, सामग्री, डिजाइन और कार्यकुशलता को अस्वीकार करने के संबंध में इंजीनियर के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख) यदि संविदाकार इंजीनियर के सहायक के किसी निर्धारण अथवा अनुदेश पर प्रश्न उठाता है तो संविदाकार उक्त निर्णय दिए जाने के तीन दिन के भीतर इस मामले को इंजीनियर के पास भेज सकता है, जो उक्त निर्धारण अथवा अनुदेश की पुष्टि करेगा या उसे वापस लेगा अथवा उसमें घटबढ़ कर सकता है ।

इंजीनियर के अनुदेश

3.4 संविदाकार संविदा के अनुरूप इंजीनियर द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करेगा ।

यदि संविदाकार यह समझता है कि निर्माणकार्य करने के लिए इंजीनियर से अनुदेश मिलना आवश्यक है तो वह इंजीनियर को उक्त अनुदेश जारी करने के लिए उचित नोटिस देगा ताकि इंजीनियर वह अनुदेश जारी कर सके जिससे निर्माणकार्य की प्रगति में कोई विलम्ब न हो । तथापि, इंजीनियर ऐसा कोई अनुदेश जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा जिसे वह अपने राय में अनावश्यक समझता हो ।

संविदा के अंतर्गत इंजीनियर अथवा इंजीनियर के सहायक द्वारा इंजीनियर के किसी कर्तव्य का पालन न करने या चूक होने अथवा इंजीनियर की किसी शक्ति का उपयोग करने में कोई चूक होने से संविदाकार किसी भी प्रकार संविदा के किसी उपबंध के अंतर्गत संविदाकार के किसी कर्तव्य, जिम्मेदारी, दायित्व या देयता से मुक्त नहीं होगा ।

इंजीनियर समझौते का प्रयास करेगा

3.5 जब इंजीनियर को मूल्य या लागत का निर्धारण करना हो अथवा कार्य पूरा करने के समय को आगे बढ़ाना आवश्यक हो तो वह एक समझौते पर पहुँचने का प्रयास करने के लिए संविदाकार तथा नियोक्ता से परामर्श करेगा । यदि समझौता नहीं होता है तो इंजीनियर नियोक्ता के अनुमोदन से मामले का उचित रूप से और संविदा के अनुरूप निर्धारण करेगा ।

4 संविदाकार

सामान्य दायित्व 4.1 संविदाकार द्वारा पूरा किया गया निर्माणकार्य पूर्णत: संविदा के अनुरूप होगा और वह संविदा में यथापरिभाषित उन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होगा जिनके लिए उसे किया गया है । निर्माणकार्य में कोई भी वह कार्य सम्मिलित होगा जो नियोक्ता की शर्तों, संविदाकार के प्रस्ताव और समय-अनुसूचियों को पूरा करने करने के लिए आवश्यक हो, अथवा संविदा द्वारा उपलक्षित हो, अथवा संविदाकार के किसी दायित्व से उत्पन्न हो, तथा वे सभी कार्य भी सम्मिलत होंगे जो संविदा में उल्लिखित नहीं हैं परन्तु निर्माणकार्य के स्थायित्व, अथवा उसे पूरा करने, अथवा उसके सुरक्षित, विश्वसनीय और सक्षम प्रचालन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

संविदाकार निर्माणकार्य पूरा करने की समयसीमा के भीतर निर्माण और/या विनिर्माण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने सहित निर्माणकार्य को डिजाइन, यदि कार्य के दायरे में है, विनिर्मित, निष्पादित, संस्थापित और पूरा करेगा तथा परीक्षण(रॉलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग संविदाओं के मामले में एकीकृत परीक्षण सहित) और कमीशनिंग करवाएगा और संविदा अवधि के दौरान उसमें होने वाली किसी कमी को दूर करेगा । संविदाकार उक्त डिजाइन तैयार करने, निर्माणकार्य करने और उनकी कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक अस्थायी या स्थायी स्वरूप का सभी प्रकार का अधीक्षण, मजदूर, संयंत्र, सामग्री, संविदाकार के उपकरण, अस्थायी निर्माणकार्य और ऐसी अन्य सभी चीजें उपलब्ध कराएगा ।

संविदाकार डिजाइन, यदि संविदा के दायरे में है, शुरू करने से पहले नियोक्ता की शर्तों(डिजाइन मानदंड और परिकलन, यदि कोई है, सहित) और उप-खंड 4.8 में उल्लिखित संदर्भ मदों के संबंध में स्वयं संतुष्ट होगा ।

संविदाकार नियोक्ता की शर्तों में अथवा उक्त संदर्भ मदों में किसी त्रुटि, दोष या अन्य कमी के बारे में इंजीनियर को नोटिस देगा । उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद इंजीनियर यह निर्धारित करेगा कि खंड 12 लागू होगा या नहीं, और तद्नुसार संविदाकार को सूचित करेगा ।

संविदाकार सभी साइट प्रचालनों, निर्माण, विनिर्माण की सभी विधियों और सभी निर्माणकार्यों की पर्याप्तता, स्थायित्व और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा, चाहे इसके लिए इंजीनियर का कोई अनुमोदन या सहमति ली गई हो या नहीं ।

यह माना जाएगा कि संविदाकार अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले संविदा में निर्धारित अथवा संविदा द्वारा उपलक्षित अपने सभी जोखिमों, देयताओं और दायित्वों को कवर करने के लिए अपनी निविदा के सही होने और पर्याप्त होन के बारे में तथा उचित डिजाइन, विनिर्माण, निष्पादन, संस्थापन, कम्पलीशन, परीक्षण, एकीकृत परीक्षण, जो भी संविदा के दायरे में है, निर्माणकार्य की कमीशनिंग और कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों के संबंध में भलीभांति परिचित है ।

संविदाकार अपनी लागत पर निम्नलिखित सुनिश्चित करने की जिम्मदारी स्वीकार करेगा:

(क) सामग्री(खतरनाक विषैले पदार्थों और उत्खनित सामग्री सहित परंतु इन तक सीमित नहीं) के उचित परिवहन, डिस्पोजल, हैंडलिंग और भंडारण को प्रभावित करने वाली स्थितियों;

(ख) बिजली, पानी और गैस की उपलब्धता;

(ग) कुशल जनशक्ति की उपलब्धता;

(घ) निर्माणकार्य के विनिर्माण, संस्थापन, निष्पादन, परीक्षण, एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग तथा कमियों को दूर करने के पहले और उनके दौरान आवश्यक उपकरणों और सुविधाओं का स्वरूप;

(ङ) पर्यावरण और निकटवर्ती संरचनाओं की रक्षा जो निर्माणकार्य के विनिर्माण, संस्थापन, निष्पादन, परीक्षण, एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग तथा कमियों को दूर करने के पहले और उनके दौरान आवश्यक होगी;

(च) निर्माणकार्य के प्रयोजनों हेतु आवश्यक किसी सेवा और सुविधा के विपथन का स्थान तथा उसके लिए अपेक्षित मंजूरी और उसके साधन।

संविदाकार इंजीनियर द्वारा मांगे जाने पर उस व्यवस्था और विधियों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा जो संविदाकार निर्माणकार्य करने के लिए अपनाना चाहता है । इंजीनियर के अनुमोदन के बिना इस व्यवस्था अथवा विधियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा ।

कार्यनिष्पादन प्रतिभूति राशि **4.2**

4.2.1 (i) सफल निविदाकर्ता स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उन मुद्राओं जिनमें संविदा मूल्य देय है, के प्रकार और अनुपात में संविदामूल्य की दस प्रतिशत राशि के बराबर नियोक्ता द्वारा स्वीकार्य किसी अनुसूचित विदेशी बैंक की भारत स्थित शाखा अथवा भारत की किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के

रूप में कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा । बैंक गारंटी के लिए 'निविदाकारों के लिए अनुदेश' संबंधी दस्तावेजों में दिया गया अनुमोदित प्रपत्र अथवा नियोक्ता द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रपत्र उपयोग किया जाएगा । बैंक गारंटी कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि के बाद 6 माह तक वैध होगी । यदि संविदा मूल्य प्रारंभिक संविदा मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक हो जाता है तो संविदाकार को अतिरिक्त कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा करनी होगी ।

(ii) यदि नियोक्ता की घटबढ़ के कारण अथवा संविदाकार की घटबढ़ के कारण संविदा मूल्य प्रारंभिक संविदा मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है तो संविदाकार को घटबढ़ की तारीख को प्रभारी इंजीनियर द्वारा पूरा हो चुके कार्य के रूप में प्रमाणित कार्य की 5 प्रतिशत राशि को घटाकर घटबढ़ की 10 प्रतिशत राशि के बराबर अतिरिक्त कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा करनी होगी परन्तु घटबढ़ राशि की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी ।

(iii) यदि घटबढ़ प्रारंभिक संविदा मूल्य के 25 प्रतिशत तक है तो कोई अतिरिक्त कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करनी होगी ।

निविदा प्रतिभूति राशि की जब्ती

4.2.2 सफल निविदाकार द्वारा अपेक्षित कार्यनिष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करने में विफल रहना संविदा को रद्द किए जाने और निविदा प्रतिभूति राशि को जब्त किए जाने का आधार होगा ।

जब्त की गई राशि को निर्मुक्त किया जाना

4.2.3 संविदाकार की ओर से संविदा का कोई उल्लंघन किए जाने पर नियोक्ता अपने विवेकानुसार कार्यनिष्पादन प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि को जब्त कर सकता है ।

i. संपूर्ण निर्माणकार्य पूरा हो जाने के बाद इन शर्तों के उप-खंड 9.1 और 9.2 के अनुसार इंजीनियर द्वारा टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर संविदाकार को कार्यनिष्पादन प्रतिभूति की आधी राशि वापस कर दी जाएगी । इससे संविदाकार कमियां दूर करने की अवधि के दौरान पता चली किसी कमी को दूर करने के अपने दायित्व या जिम्मदारियों से मुक्त नहीं होगा ।

ii. शेष राशि इन शर्तों के खंड 10.9 के अनुसार कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अंतिम अवधि के समाप्त हो जाने के बाद कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद संविदाकार को देय होगी और उसको भुगतान किया जाएगा ।

गारंटी और वारंटी 4.2.4 संविदाकार निविदा स्वीकृति पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर नियोक्ता को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:

(क) मूल कंपनी की ओर से अनुमोदित फॉर्मेट में वचनपत्र, इस कंपनी की पहचान निविदा स्वीकार किए जाने से पहले नियोक्ता को लिखित में सूचित की गई होनी चाहिए और इसके खिलाफ नियोक्ता को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(ख) मूल कंपनी की ओर से अनुमोदित फॉर्मेट में लिखित गारंटी, इस कंपनी की पहचान निविदा स्वीकार किए जाने से पहले नियोक्ता को लिखित में सूचित की गई होनी चाहिए और इसके खिलाफ नियोक्ता को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(ग) संविदाकार की ओर से अनुमोदित फॉर्मेट में वारंटी।

यदि संविदाकार में दो या दो से अधिक सदस्य सम्मिलित हैं, या वह भागीदारी में कार्यरत कोई निगम, संयुक्त उद्यम, संघ अथवा कोई अन्य संगठन है तो प्रत्येक सदस्य या निगम मूल कंपनी को वचनपत्र और गारंटी प्रस्तुत करेगा।

संविदा के किसी अन्य उपबंध के बावजूद:

क. संविदा के अंतर्गत किसी भुगतान हेतु संविदाकार को हकदार होने के लिए संविदाकार द्वारा अपेक्षित कार्यनिष्पादन प्रतिभूति, मूल कंपनी की ओर से वचनपत्र और लिखित गारंटी प्रस्तुत करना पूर्व शर्त होगी; और

ख. यदि संविदाकार कार्यनिष्पादन प्रतिभूति अथवा मूल कंपनी की ओर से वचनपत्र या मूल कंपनी की ओर से लिखित गारंटी प्रदान करने में विफल रहता है तो नियोक्ता संविदाकार को निर्माणकार्य शुरु करने की अनुमति दिए जाने के बावजूद लिखित नोटिस देकर निर्माणकार्य को आस्थगित करने अथवा संविदा को समाप्त करने के लिए अधिकृत होगा, और संविदाकार उक्त आस्थगन अथवा समापन के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

निर्माणकार्य के लिए प्रतिनिधित्व 4.3 यदि संविदा में संविदाकार के प्रतिनिधि का नाम नहीं दिया गया है तो संविदाकार निर्माणकार्य शुरू करने का नोटिस प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर उस व्यक्ति का नाम और विवरण इंजीनियर की सहमति के लिए प्रस्तुत करेगा जिसे संविदाकार नियुक्त करना चाहता है । संविदाकार इंजीनियर की पूर्व सहमति के बिना संविदाकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति को रद्द नहीं करेगा। इस प्रकार नामनिर्देशित

संविदाकार के प्रतिनिधि के पास संविदाकार की ओर से कार्य करने का पूरा अधिकार होगा । संविदाकार का प्रतिनिधि निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेज तैयार करने तथा निर्माणकार्य करने हेतु निर्देश देने में अपना पूरा समय देगा । संविदाकार का प्रतिनिधि संविदा के अंतर्गत (संविदाकार की ओर से) सभी नोटिस, अनुदेश, सहमति, अनापत्ति प्रमाणपत्र, अनुमोदन, प्रमाणपत्र, निर्धारण और अन्य पत्राचार प्राप्त करेगा । जब कभी संविदाकार के प्रतिनिधि को साइट से अनुपस्थित रहना हो तो इंजीनियर की पूर्व सहमति से उपयुक्त स्थानापन्न व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा ।

संविदाकार की ओर से इन उपबंधों का अनुपालन न करना संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और उप-खंड 13.2 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

संविदाकार का प्रतिनिधि किसी सक्षम व्यक्ति को अपनी शक्तियों, कृत्यों और प्राधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है, और किसी भी समय उक्त प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण(वापस) कर सकता है । ऐसा कोई प्रत्यायोजन करना अथवा उसे वापस लिया जाना लिखित में होगा और वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इंजीनियर उसके लिए पूर्व सहमति न दे दे । संविदाकार का प्रतिनिधि और ऐसे व्यक्ति आम बोलचाल की भाषा में धाराप्रवाह होने चाहिए तथा संविदाकार अपने प्रतिनिधि अथवा अपने किसी कर्मचारी और/या प्रतिनिधिमंडल, एजेंट अथवा नामितियों के कार्यों और चूक के लिए बाध्य और पूरी तरह जिम्मेदार होगा ।

अन्य लोगों के लिए सुविधाएं और उनके साथ समन्वय

4.4 संविदाकार नियोक्ता, इंजीनियर, विनिर्दिष्ट संविदाकारों, जनोपयोगी सेवा उपक्रमों, अन्य संबंधित प्राधिकारियों और अन्य संविदाकारों(चाहे नियोक्ता द्वारा नियोजित हों या न हों) जो साइट पर या उसके आस-पास ऐसा कार्य कर रहे हैं जो संविदा में सम्मिलित नहीं है परन्तु परियोजना का भाग हैं, को सभी आवश्यक सुविधाएं, सुलभता और/या सेवाएं प्रदान करेगा तथा उनमें कोई बाधा नहीं पहुँचाएगा ।

क. संविदाकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा कि निर्माणकार्य ऐसे अन्य कार्यों की डिजाइन, विनिर्माण, संस्थापना और परीक्षण के साथ समन्वित और एकीकृत है और वह विशेषकर(परन्तु किसी सीमा के बिना):

(i) उस निर्देश का पालन करेगा जो इंजीनियर परियोजना के किसी अन्य भाग के डिजाइन के साथ निर्माणकार्य के डिजाइन के

एकीकरण के लिए दे सकता है;

(ii) उन लोगों के साथ परामर्श, संपर्क और सहयोग करेगा जो ऐसा अन्य निर्माणकार्य करने के लिए जिम्मेदार हैं, इसमें जहां आवश्यक हो वहां संबंधित डिजाइन तैयार करना, समन्वित कार्यक्रम, विधियों का विवरण, समन्वित ड्रॉइंग और सेवा प्राथमिकताओं एवं जोनिंग की व्यवस्था सहित विनिर्देश तैयार करना सम्मिलित है;

(iii) विनिर्दिष्ट संविदाकारों के साथ प्रणाली के एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग में भाग लेगा और इंजीनियर के संतुष्ट होने तक यह करके दिखाएगा कि निर्माणकार्य का इस इस तरीके से डिजाइन और निर्माण किया गया है कि वह अन्य विनिर्दिष्ट संविदाकारों के निर्माणकार्य के साथ सुसंगत है।

ख. संविदाकार अन्य संविदाकारों, जो परियोजना के भाग के रूप में निर्माणकार्य कर रहे हैं, के साथ नियोक्ता की शर्तों में यथाउल्लेखानुसार डिजाइन का समन्वय करेगा । ऐसी प्रत्येक समन्वय-अवधि के पश्चात् संविदाकार और अन्य संविदाकार, जिनके निर्माणकार्य के संबंध में इंटरफेस अवधि का उल्लेख है, संयुक्त रूप से लिखित वक्तव्य देंगे कि उनके डिजाइन समन्वय संबंधी क्रियाकलाप पूरे हो चुके हैं और उनकी अपनी-अपनी डिजाइनें एकीकृत हैं तथा उन्हें एक-दूसरे की डिजाइनों अथवा उन डिजाइनों जिनके साथ उनकी डिजाइनें पहले ही एकीकृत की जा चुकी हैं, में हस्तक्षेप किए बिना अंतिम रूप दिया जा सकता है । उक्त डिजाइन समन्वय अवधि के समाप्त होने के सात दिन के भीतर इस संयुक्त लिखित वक्तव्य की एक प्रति इंजीनियर को प्रदान करनी होगी । जब तक सभी संबंधित एवं आवश्यक डिजाइन समन्वय वक्तव्यों की प्रतियां इंजीनियर को प्रस्तुत नहीं कर दी जाती हैं तब तक इंजीनियर संविदाकार अथवा अन्य संविदाकार की डिजाइन प्रस्तुतियों की कोई समीक्षा अथवा पुन:समीक्षा किए जाने को आस्थगित करने के लिए अधिकृत होगा । ऐसे आस्थगन के आधार पर संविदाकार कोई दावा नहीं करेगा और इस आधार पर वह कार्य पूरा करने के समय को आगे बढ़ाए जाने अथवा अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

ग. संविदाकार विनिर्दिष्ट संविदाकारों, यदि कोई हों, जो रेलपथ से संबंधित कार्य, किराया संग्रहण प्रणाली, रॉलिंग स्टॉक, स्वचालित सीढ़ियों (एस्केलेटर्स), लिफ्ट, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार तथा कर्षण विद्युत आदि से

संबंधि कार्यों हेतु आपूर्ति, उनका परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य कर रहे हैं, के उपयोग के लिए साइट पर स्टेजिंग, भंडारण और माल उतारने के लिए क्षेत्र उपलब्ध कराएगा। ऐसे प्रत्येक संविदाकार के लिए अलग-अलग स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे । इन स्टेजिंग, भंडारण और माल उतारने के क्षेत्रों का सटीक आकार और स्थान तथा उसे प्रारंभ करने की तारीख के बारे में प्रत्येक विनिर्दिष्ट संविदाकार के साथ डिजाइन इंटरफेस अवधि के दौरान समन्वय और समझौता किया जाएगा।

घ. कोई अन्य संविदा जो अपने निष्पादन के लिए इस संविदा पर निर्भर है अथवा यह संविदा अपने स्वयं के निष्पादन के लिए उस संविदा पर निर्भर है, तो उस अन्य संविदा को इंजीनियर द्वारा "विनिर्दिष्ट संविदा" के रूप में अभिनिर्धारित किया जाएगा। संविदाकार नियोक्ता की शर्तों के अनुसार और इंजीनियर के निर्देशानुसार विनिर्दिष्ट संविदाकार के पास उपस्थिति दर्ज कराएगा। हो सकता है कि संविदा के निष्पादन से पहले विनिर्दिष्ट संविदाकार की पहचान के बारे में जानकारी न हो, परन्तु बाद में विनिर्दिष्ट संविदाकार की नियुक्ति किए जाने के संबंध में संविदाकार द्वारा आपत्ति करने का यह आधार नहीं होगा।

ङ. संविदाकार इंजीनियर की जरूरत के अनुसार नियोक्ता की शर्तों में यथाउल्लिखित समन्वित संस्थापन कार्यक्रम(सीआईपी) के माध्यम से अथवा जैसी इंजीनियर को जरूरत हो, अपने स्वयं के निर्माणकार्य का अन्य विनिर्दिष्ट संविदाकारों के निर्माणकार्यों के साथ समन्वय करेगा और विनिर्दिष्ट संविदाकारों को अपने निर्माणकार्य करने के लिए सभी उचित अवसर प्रदान करेगा।

च. संविदाकार नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य संविदाकारों और उनके कर्मचारियों(वर्कमेन) तथा नियोक्ता के कर्मचारियों, जो साइट पर या साइट के नजदीक कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो निर्माणकार्य का अनुषंगी कार्य है परन्तु वह संविदा में सम्मिलित नहीं है, को अपना-अपना कार्य करने कि लिए सभी उचित अवसर प्रदान करेगा और उनके लिए कोई असुविधा उत्पन्न नहीं करेगा।

छ. यदि संविदाकार को किसी विनिर्दिष्ट संविदाकार की विफलता के कारण इंस्टालेशन, इंटरफेशिंग, समन्वय तथा कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित तारीख से विलम्ब होता है और यह विलम्ब संविदाकार की गलती के

बजाय किसी अन्य कारण से होता है अथवा उप-खंड (च) के अनुपालन के कारण संविदाकार को विलम्ब होता है जिसका निविदा के समय एक अनुभवी संविदाकार द्वारा उचित अनुमान लगाया जा सकता था, तो इंजीनियर कार्य पूरा करने की समयसीमा को आगे बढ़ाए जाने, जिसके लिए संविदाकार संविदा के अंतर्गत हकदार है, का निर्धारण करते समय उक्त विलम्ब को ध्यान में रखेगा।

ज. यह सुनिश्चित करना संविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि संविदा के अंतर्गत संपूर्ण निर्माणकार्य और विनिर्दिष्ट संविदाकारों द्वारा निर्माणकार्य के भीतर अथवा साइट में, साइट पर, साइट के नीचे, साइट से होकर और साइट के ऊपर किये जाने वाले निर्माणकार्य डिजाइन, विनिर्माण, इंस्टालेशन और निर्माण में समन्वित और एकीकृत हैं। ऐसी जिम्मेदारी अन्य संविदाकारों पर डाली गई इसी प्रकार की जिम्मेदारियों के कारण न तो कम होगी और न उनसे किसी प्रकार प्रभावित होगी।

यह माना जाएगा कि संविदाकार ने संविदा मूल्य और निर्माणकार्य कार्यक्रम में इन दायित्वों का उचित ध्यान रखा है।

यदि संविदाकार के किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य अथवा चूक के कारण विनिर्दिष्ट संविदाकार के निर्माणकार्य के निष्पादन में कोई विलम्ब होता है, तो संविदाकार निर्णीत हर्जाने, यदि वे देय होते हैं, के संबंध में अपनी देयता के अतिरिक्त उस राशि का नियोक्ता को भुगतान करेगा, अथवा इंजीनियर अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र से उक्त राशि की कटौती कर सकता है जैसाकि इंजीनयर ने अतिरिक्त भुगतानों के संबंध में पहले प्रमाणित किया है अथवा उक्त विलम्ब के संबंध में विनिर्दिष्ट संविदाकार की जो लागत आयी है।

उप-संविदाकार **4.5**

4.5.1 संविदाकार पूरे निर्माणकार्य को उप-संविदा पर नहीं देगा।

4.5.2 जब तक कि संविदा की विशेष शर्तों में अन्यथा उल्लेख न हो:

क) संविदाकार को ऐसी सामग्री की खरीद के लिए सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी जो संविदा में विनिर्दिष्ट बनावट(मेक) अथवा श्रम संबंधी उपबंधों के अनुरूप हो अथवा ऐसी उप-संविदाओं के लिए हो जिनके लिए संविदा में उप-संविदाकार का नाम दिया गया है;

ख) अन्य प्रस्तावित उप-संविदाकारों के लिए इंजीनियर की पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी;

ग) प्रत्येक उप-संविदाकार द्वारा कार्य प्रारंभ करने की अभीष्ट तारीख से कम से कम 28 दिन पहले संविदाकार ऐसे इरादे के बारे में इंजीनियर को सूचित करेगा; और संविदाकार भारत के अन्य संविदाकारों को उप-संविदाकारों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगा।

4.5.3 संविदाकार सभी उप-संविदाकारों द्वारा संविदा के सभी उपबंधों का पालन किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा । संविदाकार किसी उप-संविदाकार, उसके प्रतिनिधियों या कर्मचारियों के कृत्यों या चूक के लिए उसी प्रकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा जैसे कि वे संविदाकार, उसके प्रतिनिधियों या कर्मचारियों के कृत्य या चूक हों और खंड 4.5 के उप-खंड(क) में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस संविदा के अंतर्गत संविदाकार के दायित्वों में छूट प्रदान नहीं करेगी । संविदाकार सभी उप-संविदाओं को निबंधनों, शर्तों और मूल्यनिर्धारण सहित इंजीनियर को उपलब्ध कराएगा । संविदाकार उपसंविदाकारों के साथ सभी मामलों और भुगतानों को सदभावपूर्वक और शीघ्रता से निपटाने का प्रयास करेगा।

4.5.4 संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि संविदा के निष्पादन हेतु उसके द्वारा लगाए गए सभी उप-संविदाकार, सामग्री/उपकरण आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता और अन्य एजेंसियां डीएमआरसी से कोई दावा नहीं करेंगी अथवा विवाद उत्पन्न नहीं करेंगी । इसके लिए, संविदाकार और उसके उप-संविदाकारों/ परामर्शदाताओं/ अन्य एजेंसियों के बीच हुए करार में आवश्यक प्रावधान करने होंगे । इसी प्रकार करार में विवाद के निपटारे के लिए प्रावधान भी सम्मिलित होना चाहिए । संविदाकार द्वारा ऐसी प्रत्येक एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित फॉर्मेट में वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा:-

"कार्य का नाम.....

उपर्युक्त कार्य के संबंध में, मैसर्स....., संविदाकार ने मैसर्स....., को उप-संविदाकार(अथवा परामर्शदाता अथवा सामग्री/उपकरण आपूर्तिकर्ता अथवा सेवाप्रदाता) के रूप में नियुक्त किया है/कर रहा है। इसके लिए, करार के निबंधनों और शर्तों में संविदाकार और उपसंविदाकार के बीच होने वाले विवाद, यदि कोई हो, के समाधान हेतु आवश्यक उपबंध सम्मिलित हैं।

उपसंविदाकार द्वारा यह पुष्टि की गई है कि उपर्युक्त कार्य के संबंध में किसी दावे/विवाद का निपटारा करार की शर्तों के अनुसार किया जाएगा और इसे

डीएमआरसी के समक्ष नहीं रखा जाएगा तथा वह किसी मंच/न्यायालय में डीएमआरसी के खिलाफ कोई दावा नहीं करेगा।

संविदाकार के हस्ताक्षर

संविदाकार तथा उप-संविदाकार के दायित्वों का समनुदेशन

4.6 संविदाकार निम्नलिखित के सिवाय नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना संविदा के अंतर्गत अधिकार या लाभ को समनुदेशित(किसी अन्य को सुपुर्द) नहीं करेगा:

क. संविदा के अंतर्गत देय या देय होने वाली किसी धनराशि को संविदाकार के बैंकर्स के नाम समनुदेशित करना, अथवा

ख. किसी अन्य पक्षकार से देय राहतराशि प्राप्त करने के संविदाकार के अधिकार को संविदाकार के बीमाकर्ता को समनुदेशित करना (जिन मामलों में बीमाकर्ता ने संविदाकार की हानि या देयता को चुकता किया है)

यदि संविदाकार के दायित्व निर्माणकार्य में कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि समाप्त होने के बाद भी रहते हैं तो संविदाकार ऐसे दायित्वों के लाभ का अधिकार नियोक्ता को समनुदेशित करेगा।

ऐसी स्थिति में जबकि किसी भी श्रेणी का कोई उप-संविदाकार संविदाकार अथवा किसी अन्य उप-संविदाकार को संयंत्र, सामग्री या निर्माणकार्य हेतु आपूर्ति की गई सेवाओं की वारंटी प्रदान करता है, अथवा कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि समाप्त होने के बाद या जब कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि एक से अधिक हैं तो अंतिम अवधि के बाद उक्त संयंत्र, सामग्री या सेवाओं(स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक बनाए रखने के दायित्व सहित परन्तु इस तक सीमित नहीं) के संबंध में किसी भी प्रकार के दायित्व को जारी रखने का वचन देता है, और यदि इंजीनियर कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि या कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अंतिम अवधि(जो भी स्थिति हो) समाप्त होने के 21 दिन के भीतर लिखित में ऐसा करने का निर्देश देता है तो संविदाकार शीघ्र उक्त वारंटी या दायित्व का लाभ नियोक्ता को समनुदेशित करेगा अथवा समनुदेशन प्राप्त करेगा अथवा नियोक्ता के निर्देश पर उप-खंड 2.4 में उल्लिखित किसी तीसरे पक्षकार को समनुदेशित करेगा।

उल्लंघन करने पर क्षतिपूर्ति

4.7 उप-खंड 4.5 और 4.6 का कोई उल्लंघन करने पर नियोक्ता इन शर्तों के खंड 13.2 के अंतर्गत संविदा को रद्द करने के लिए अधिकृत होगा और संविदाकार को संविदा इस प्रकार रद्द किए जाने से हुई हानि या हर्जाने की क्षतिपूर्ति करने के

लिए भी कहेगा ।

विन्यास (सेटिंग आउट) 4.8

सटीक विन्यास 4.8.1 संविदाकार

(क) इंजीनियर द्वारा लिखित में दिए गए संदर्भ के मूल बिंदुओं, लाइनों और स्तरों के संबंध में निर्माणकार्य के सटीक विन्यास

(ख) निर्माणकार्य के सभी भागों की सही स्थिति(पोजीशन), स्तरों(लेवल्स), आयामों(डायमेंशन्स) और संरेखण(एलाइनमेंट)

(ग) पूर्ववर्ती जिम्मेदारियों के संबंध में सभी आवश्यक उपकरणों, औजारों और मजदूरों की व्यवस्था करने

(घ) निर्माणकार्य के विन्यास में उपयोग किए गए सभी बैंचमार्कों, साइट रेल्स, पेग्स और अन्य चीजों का सावधानीपूर्वक संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

इंजीनियर द्वारा किसी विन्यास अथवा किसी लाइन या लेवल के विन्यास की जांच किए जाने के फलस्वरूप संविदाकार उसके सटीक और सही होने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा तथा संविदाकार निर्माणकार्य के विन्यास में उपयोग किए गए सभी बैंचमार्कों, साइट रेल्स, पेग्स और अन्य चीजों का सावधानीपूर्वक संरक्षण और परिरक्षण करेगा ।

विन्यास में त्रुटियां 4.8.2 (ङ) यदि निर्माणकार्य करने के दौरान किसी भी समय निर्माणकार्य के किसी भाग में स्थिति(पोजीशन), स्तरों(लेवल्स), आयामों(डायमेंशन्स) और संरेखण(एलाइनमेंट) में त्रुटि का पता चलता है तो संविदाकार इंजीनियर द्वारा उसे सही करने का निर्देश दिए जाने पर अपनी लागत पर इंजीनियर के संतुष्ट होने तक उक्त त्रुटि को दूर करेगा ।

साइट से संबंधित आंकड़े 4.9 i. नियोक्ता द्वारा अपने पास उपलब्ध जलविज्ञान और अधस्तल(सब-सर्फेस) से संबंधित प्रासंगिक आंकड़े निविदा दस्तावेजों के साथ संविदाकार को उपलब्ध कराए गए होंगे । नियोक्ता या इंजीनियर द्वारा किसी भी समय सौंपे गए आंकड़ों/ अध्ययनों/रिपोर्टों और किसी अन्य सूचना की परिशुद्धता और विश्वसनीयता को उसके निर्माणकार्य की डिजाइन और निष्पादन की व्यवहार्यता के लिए प्रामाणिक नहीं ठहराया जाता है तथा संविदाकार ऐसे सभी आंकड़ों के निर्वचन के लिए जिम्मेदार होगा । यदि संविदाकार आवश्यक समझे तो अपनी लागत पर आगे और जांच करेगा तथा यदि किसी

भी चरण में नियोक्ता के आंकड़ों में त्रुटि या विसंगति पायी जाती है तो यह अतिरिक्त समय या लागत के लिए कोई दावा करने का आधार नहीं होगी।

ii. यह माना जाएगा कि संविदाकार ने सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली है जैसे कि जोखिम, आकस्मिकताएं और अन्य परिस्थितियां जो निविदा या निर्माणकार्य को प्रभावित कर सकती हैं।

iii. यह भी माना जाएगा कि संविदाकार ने साइट, उसके आसपास के क्षेत्र, उपर्युक्त आंकड़ों तथा अपनी डिजाइन और निर्माणकार्य के निष्पादन की व्यवहार्यता से संबंधित अन्य उपलब्ध सूचना का निरीक्षण और जांच कर ली है तथा निविदा प्रस्तुत करने से पहले वह सभी संबंधित मामलों से संतुष्ट है, इसमें निम्नलिखित मामले सम्मिलित हैं, परन्तु इन तक ही सीमित नहीं है:

(क) जमीन के नीचे की स्थिति सहित साइट का आकार और स्वरूप;

(ख) जलविज्ञान और जलवायु संबंधी स्थितियां;

(ग) निर्माणकार्य करने और उसे पूरा करने तथा किसी कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य, संयंत्र और सामग्री की मात्रा और स्वरूप ;

(घ) लागू कानून, प्रक्रियाएं और श्रम पद्धतियां;

(ङ) पहुँच, आवास, सुविधाओं, कार्मिकों, बिजली, परिवहन और अन्य सेवाओं के लिए संविदाकार की शर्तें;

(च) साइट से सटी हुई संपत्ति को नुकसान और उक्त सम्पत्ति में रह रहे लोगों को चोट लगने का जोखिम या कोई अन्य जोखिम।

स्वीकृत संविदा राशि की पर्याप्तता 4.10 यह माना जाएगा कि संविदाकार संविदामूल्य की उचितता और पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट है। जब तक कि संविदा में अन्यथा उल्लेख न हो, संविदा मूल्य में संविदा के अंतर्गत संविदाकार के सभी दायित्व और निर्माणकार्य की उचित डिजाइन, निष्पादन और उसे पूरा करना, परीक्षण एवं कमीशनिंग(एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग सहित) तथा किसी कमी को दूर करने के लिए आवश्यक सभी चीजें शामिल होंगी।

प्रवेश मार्ग 4.11 यह माना जाएगा कि संविदाकार जिन प्रवेश मार्गों का उपयोग करना चाहता है, उनकी उपयुक्तता और उपलब्धता के बारे में संतुष्ट है । संविदाकार(जैसा कि पक्षकारों के बीच समझौता होता है) प्रवेश मार्गों के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा। संविदाकार अपनी लागत पर संकेतक और दिशासूचक संकेत जिन्हें वह अपने स्टाफ, मजदूरों व अन्य लोगों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक समझे अथवा

इंजीनियर के कहने पर, उपलब्ध कराएगा । संविदाकार ऐसे मार्गों, संकेतों और दिशासूचकों का उपयोग करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों से यथाआवश्यक अनुमति, छूट और संबंधित सुविधा अधिकार प्राप्त करेगा ।

नियोक्ता किसी प्रवेश मार्ग का उपयोग करने या न करने के फलस्वरूप उत्पन्न किसी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा । नियोक्ता किसी विशेष प्रवेश मार्ग की उपयुक्तता या उपलब्धता की गारंटी नहीं देता है, और वह ऐसे किसी मार्ग के निर्माण के दौरान लगातार उपयोग हेतु उसकी अनुपयुक्तता या अनुपलब्धता के किसी दावे पर कोई सुनवाई नहीं करेगा ।

मार्गों और सुविधाओं के उपयोग का अधिकार

4.12 नियोक्ता स्थायी निर्माणकार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करेगा और उपलब्ध कराएगा तथा उस तक पहुँचने के लिए संविदाकार द्वारा स्थापित मार्गों(डीएमआरसी की भूमि की सीमा के भीतर) का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करेगा । संविदाकार उन मार्गों के उपयोग हेतु विशेष और अस्थायी अधिकारों की पूरी लागत और प्रभारों का वहन करेगा, जिनकी उसे साइट तक पहुँचने के लिए जरूरत पड़ सकती है । संविदाकार अपने जोखिम और लागत पर साइट के बाहर किसी अतिरिक्त सुविधा को भी प्राप्त करेगा जिसकी उसे निर्माणकार्य हेतु जरूरत पड़ सकती है । नियोक्ता के पास संविदाकार को कोई भुगतान किए बिना आवश्यकता पड़ने पर इन सर्विस रोड/मार्गों का अपने लिए अथवा उस क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य संविदाकारों के द्वारा उपयोग किए जाने का अधिकार सुरक्षित है ।

कार्यक्रम

4.13 संविदाकार स्वीकृति पत्र प्राप्त होने की तारीख से 28 दिन के भीतर इंजीनियर को कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेगा । जब कभी इंजीनियर यह पाता है कि पूर्व कार्यक्रम कार्य की वास्तविक प्रगति अथवा संविदाकार के दायित्वों के संगत नहीं है तो संविदाकार संशोधित कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेगा ।

प्रत्येक कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

क. अनुक्रम,जिसमें संविदाकार द्वारा निर्माणकार्य(डिजाइन, प्रापण, विनिर्माण, साइट पर डिलिवरी, निर्माण, ढांचा खड़ा करने, परीक्षण और कमीशनिंग के प्रत्येक चरण सहति) किए जाने का प्रस्ताव है;

ख. निर्माण या विनिर्माण संबंधी दस्तावेज तैयार करने में सभी प्रमुख घटनाओं और क्रियाकलापों का विवरण; और

ग. एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग सहित संविदा में विनिर्दिष्ट सभी परीक्षणों का क्रम ।

जब तक कि संविदा में अन्यथा उल्लेख न हो, उक्त कार्यक्रमों को कार्य जल्दी प्रारंभ करने, देर से प्रारंभ करने, जल्दी पूरा करने, देर से पूरा करने की तारीखों को दर्शाते हुए प्रेसीडेंस नेटवर्किंग तकनीक का प्रयोग करते हुए तैयार किया जाना चाहिए।

इंजीनियर की सहमति प्राप्त किए बिना उक्त कार्यक्रमों, अथवा ऐसी व्यवस्था और विधियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया जाएगा । यदि निर्माणकार्य की प्रगति कार्यक्रमों के अनुरूप नहीं है तो इंजीनियर संविदाकार को कार्यक्रमों में संशोधन करने के लिए कह सकता है जिसमें निर्माणकार्य पूरा करने की समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए यथाआवश्यक संशोधनों को दर्शाया जाएगा।

इंजीनियर द्वारा कार्यक्रमों के प्रति अपनी सहमति देने से संविदाकार संविदा के अंतर्गत अपनी किसी जिम्मेदारी या दायित्व से मुक्त नहीं होगा। यदि कार्यक्रम यह दर्शाता है कि निर्धारित तारीख को कोई चरण पूरा नहीं हुआ है अथवा पूरा नहीं होगा तो केवल इसके आधार पर संविदाकार उक्त निर्धारित तारीख को आगे बढ़ाने का हकदार नहीं होगा।

प्रगति रिपोर्टें 4.14 संविदाकार प्रत्येक कलेंडर माह के अंत में इंजीनियर को अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निर्माणकार्य के कार्यक्रमों और/या डिजाइन प्रस्तुत करने के कार्यक्रम में वास्तविक और संभावित विपथन को दर्शाया जाएगा और इसे सही करने अथवा विलम्ब को कम करने के लिए संविदाकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा दिया जाएगा।

इंजीनियर द्वारा अनुरोध किए जाने पर संविदाकार इंजीनियर को साप्ताहिक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक और सामग्री के साइट से दूर विनिर्माण की प्रगति को दर्शाया जाएगा।

संविदाकार इंजीनियर को ऐसी अन्य रिपोर्टें भी प्रस्तुत करेगा जो इंजीनियर अथवा किसी संबंधित प्राधिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा मांगी गई हो।

प्रगति रिपोर्टें नियोक्ता की शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए।

संविदाकार के उपकरण 4.15

4.15.1 संविदाकार के सभी उपकरणों और संविदाकार के अस्थायी निर्माणकार्य को साइट पर लाने पर यह माना जाएगा कि इन्हें केवल निर्माणकार्य के निष्पादन के लिए लाया गया है और उन्हें इंजीनियर की लिखित सहमति के बिना नहीं हटाया जाएगा । उक्त सहमति को अनुचित तरीके से रोका या विलम्बित नहीं किया जाएगा।

4.15.2 निर्माणकार्य पूरा होने के पश्चात् संविदाकार निर्माण से संबंधित उक्त सभी संयंत्र और अपनी उपयोग न की गई सामग्री को साइट से हटाएगा।

4.15.3 नियोक्ता **खंड 14.1** में उल्लिखित के सिवाय किसी भी समय निर्माण से संबंधित संयंत्र, अस्थायी निर्माणकार्य अथवा सामग्री की क्षति या टूट-फूट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

4.15.4 यदि संविदाकार ने निर्माणकार्य के प्रयोजन हेतु किसी निर्माण संयंत्र का आयात किया है तो नियोक्ता निर्माणकार्य पूरा होने के बाद उसे वापस निर्यात करने के लिए सरकार की कोई आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में संविदाकार की सहायता कर सकता है।

4.15.5 नियोक्ता, आवश्यकता पड़ने पर निर्माणकार्य के लिए आवश्यक निर्माण संयंत्र, सामग्री और अन्य चीजों के लिए सीमाशुल्क विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने में संविदाकार की सहायता कर सकता है(परंतु ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है)।

निर्माणकार्य की संरक्षा

4.16 संविदाकार कोई परीक्षण, कमीशनिंग(एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग सहित) करने अथवा कोई कमी दूर करने सहित निर्माणकार्य के निष्पादन की पूरी अवधि के दौरान:

क. निर्माणकार्य, संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक, संविदाकार के उपकरणों, अस्थायी निर्माणकार्य, साइट पर प्रचालनों और विनिर्माण की विधियों, संस्थापन, निर्माण और परिवहन की पर्याप्तता, स्थायित्व, संरक्षा और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा;

ख. साइट पर या साइट के आसपास सभी लोगों(उन लोगों सहित परन्तु उन तक सीमित नहीं, जिनको संविदाकार द्वारा साइट पर जाने की अनुमति दी गई है) की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा, सुरक्षा उपकरण एवं वर्दी उपलब्ध कराने सहित सभी संबंधित सुरक्षा विनियमों का पालन करेगा, और जब तक साइट संविदाकार के कब्जे में है अथवा वह साइट के क्षेत्रों

का उपयोग कर रहा है तब तक वह साइट और निर्माणकार्य को इस प्रकार व्यवस्थित रखेगा जोकि सभी व्यक्तियों को चोट से बचाने के लिए उचित हो और उक्त व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की चोट के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा;

ग. निर्माणकार्य की सुरक्षा के लिए और जनता एवं साइट पर या साइट के आसपास व्यक्तियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यथाआवश्यक अथवा इंजीनियर या कानून या किसी सबंधित प्राधिकरण के अनुसार यथापेक्षित सभी लाइट्स, गाड्र्स, फेंसिंग, चेतावनी संकेत और वॉचमेन उपलब्ध कराएगा और उनका रख-रखाव करेगा; और

घ. यदि किसी कार्य को अँधेरे में किया जाना है तो यह सुनिश्चत करेगा कि साइट के सभी भागों जहां कार्य किया जा रहा है, पर प्रकाश की इतनी व्यवस्था है कि साइट पर या साइट के आसपास सभी व्यक्तियों और उक्त कार्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

संविदाकार को नियोक्ता के संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी मैनुअल(एसएचई मैनुअल) के सभी आवश्यक उपबंधों का ध्यान रखना होगा और संविदाकार की लागत में निर्धारित सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए सभी आवश्यक लागतें सम्मिलित होंगी। यदि संविदाकार उक्त उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है तो नियोक्ता यथाआवश्यक व्यवस्था कर सकता है और उसकी लागत संविदाकार से वसूल करेगा।

पर्यावरण संरक्षण 4.17 संविदाकार पर्यावरण संरक्षण (साइट पर या साइट से दूर) के लिए सभी उचित कदम उठाएगा तथा अपने प्रचालनों से उत्पन्न प्रदूषण, शोर और अन्य कारणों से लोगों को चोट एवं परेशानी और सम्पत्ति को नुकसान से बचाएगा। संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि संविदा अवधि के दौरान साइट से वायु उत्सर्जन और भूतलीय बहि:स्त्राव की मात्रा नियोक्ता की शर्तों में दर्शाई गई मात्रा तथा कानून द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक न हो। संविदाकार नियोक्ता की शर्तों के अनुरूप कार्य करेगा और नियोक्ता को अपने प्रचालनों से उत्पन्न किसी देयता या हर्जाने या दावे की क्षतिपूर्ति करेगा। संविदाकार पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सांविधिक शर्तों का कोई उल्लंघन किए जाने के कारण निर्माणकार्य में आने वाली किसी रुकावट, या उसे बंद करने या आस्थगित करने के लिए जिम्मेदार और देय होगा तथा इस संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

संविदाकार की साइट पर्यावरण संबंधी योजना नियोक्ता की शर्तों और संविदा की विशेष शर्तों के अनुसार नियोक्ता के सुरक्षा, स्वास्थय और पर्यावरण संबंधी मैनुअल(एसएचई मैनुअल) से तैयार की जाएगी । इस प्रयोजन हेतु संविदाकार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा और उसके निविदा मूल्य में एसएचई मैनुअल के अनुसार कार्य करने पर आने वाला व्यय सम्मिलित होगा ।

बिजली, पानी और गैस 4.18 संविदाकार निर्माणकार्य के लिए पानी, बिजली और गैस की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपनी लागत पर स्वयं व्यस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा । इस संबंध में जहां व्यवहार्य हो वहां नियोक्ता अपने विवेकानुसार संविदाकार की मदद कर सकता है ।

नियोक्ता द्वारा आपूर्ति किए गए औजार, संयंत्र और उपकरण 4.19 संविदाकार निर्माणकार्य के लिए संविदा की विशेष शर्तों अथवा नियोक्ता की शर्तों में उल्लिखित किसी विशिष्ट मद को छोड़कर सभी औजार, संयंत्र और उपकरण उपलब्ध कराएगा । नियोक्ता द्वारा संविदा की विशेष शर्तों में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अंतर्गत जिन विशेष औजारों, संयंत्रों अथवा उपकरणों को उपलब्ध कराए जाने का वचन दिया है, संविदाकार उनकी उचित देखभाल करेगा और जब वे उपकरण उसके प्रभार में है तो उसके द्वारा या उसके प्रतिनिधियों, उप-संविदाकारों या उसके मजदूरों द्वारा की गई सभी प्रकार की टूट-फूट या हानि के लिए जिम्मेदार होगा ।

निर्माणकार्य पूरा होने के बाद संविदाकार उपयोग न किए शेष औजारों, संयंत्रों और उपकरणों को अच्छी हालत में नियोक्ता को लौटाएगा और उनमें हुई टूट-फूट की मरम्मत करवाएगा और ऐसा करने में विफल रहने अथवा उनमें किसी टूट-फूट के लिए जिम्मेदार होगा ।

संविदाकार से इसके कारण वसूल की जाने वाली राशि के संबंध मे इंजीनियर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

नियोक्ता की सामग्री और खुदाई से प्राप्त सामग्री 4.20 (i) संविदाकार निर्माणकार्य के लिए संविदा की विशेष शर्तों में उल्लिखित मदों को छोड़कर सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराएगा । यदि कोई सामग्री नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जानी है तो उक्त सामग्री को जारी करने, रखने, उपयोग करने, वापस करने और प्रतिप्राप्ति करने के लिए संविदा की विशेष शर्तों में यथाविनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार और सामग्री के मूल्य के लिए बैंक गारंटी पर पूर्व-अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार केवल चरणबद्ध तरीके से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा ।

(ii) जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, संविदाकार वर्क साइट से प्राप्त बालू, कंकड़, मिट्टी, बजरी, पत्थर या अन्य सामग्री को इस संविदा के अंतर्गत उपयोग किए जाने के सिवाय न तो बेचेगा और न हटाएगा तथा ये नियोक्ता की सम्पत्ति होंगी और उसके द्वारा बताए गए तरीके से ही इनका निपटान किया जाएगा।

शेड, स्टोर, यार्ड 4.21 संविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी लागत पर स्थायी और अस्थायी दोनों निर्माणकार्यों के लिए आवश्यक शेड, स्टोर हाउस और यार्ड उपलब्ध कराए और इन्हें इंजीनियर तथा उसके प्रतिनिधियों के लिए सुगम बनाए जिनके पास निरीक्षण करने का अधिकार होगा और इस अधिकार में संविदाकार को किसी विशेष सामग्री को स्टोर से हटाने तथा उसे निर्माणकार्य के लिए उपयोग न करने के संबंध में निर्देश देना सम्मिलित होगा।

अस्थायी निर्माणकार्य 4.22 संविदाकार द्वारा निर्माणकार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी अस्थायी निर्माणकार्य अपनी लागत पर किए जाएंगे और उनका रख-रखाव किया जाएगा तथा उनकी जरूरत समाप्त होने पर संविदाकार द्वारा अपनी लागत पर इंजीनियर की सहमति से एवं उसके द्वारा बताए गए तरीके से ही उन्हें हटाया जाएगा। यदि निर्माणकार्य पूरा होने के बाद संविदाकार अस्थायी निर्माणकार्य को हटाने में विफल रहता है तो इंजीनियर उसे हटवाने और संविदाकार से उसकी लागत वसूल करने के लिए अधिकृत होगा।

अप्रत्याशित भौतिक स्थितियां 4.23 इस खंड में "भौतिक स्थितियों" से जलवायु संबंधी स्थितियों को छोड़कर ऐसी प्राकृतिक भौतिक स्थितियां अभिप्रेत हैं जिनका सामना संविदाकार को निर्माणकार्य करते समय करना पड़ता है।

यदि निर्माणकार्य के दौरान संविदाकार को ऐसी भौतिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनका उसकी राय में किसी अनुभवी संविदाकार द्वारा अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, तो संविदाकार शीघ्र इंजीनियर को इस संबंध में नोटिस देगा और यदि, इंजीनियर की राय में, ऐसी भौतिक स्थितियों का किसी अनुभवी संविदाकार द्वारा अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, तो इंजीनियर इसे प्रमाणित करेगा और नियोक्ता निम्नलिखित मामलों में ऐसी स्थितियों के कारण संविदाकार को आयी लागत के सापेक्ष उचित अतिरिक्त लागत का भुगतान करेगा:

क. इस संबंध में इंजीनियर द्वारा संविदाकार को दिए जाने वाले किसी अनुदेश का पालन करने में, और

ख. इंजीनियर द्वारा अनुमोदित कोई ऐसे समुचित और तर्कसंगत उपाय करने में, जो संविदाकार द्वारा ऐसी स्थितियों और बाधाओं का सामना करने पर इंजीनियर से विशिष्ट अनुदेश प्राप्त न होने पर किए जा सकते हैं।

अतिरिक्त लागत के बारे में इंजीनियर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

इंजीनियर के लिए साइट तक पहुँच 4.24 संविदाकार किसी भी समय इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को साइट पर, और किसी ऐसे स्थान पर जहां संविदा से संबंधित कार्य किया जा रहा है या किया जाने वाला है और किसी ऐसे स्थान पर जहां निर्माणकार्य के लिए सामग्री या संयंत्र विनिर्मित, निर्मित किए जा रहे हैं और/या उनके पुर्जे जोड़े जा रहे हैं, आने की अनुमति देगा । संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि यदि कोई उप-संविदा है तो उसमें इंजीनियर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उक्त स्थानों पर पहुँच अधिकृत करने के लिए प्रावधान होना चाहिए।

प्रवेश मार्ग और उप-मार्ग 4.25 साइट के लिए प्रवेश मार्ग और उप-मार्ग उपलब्ध कराना संविदाकार की जिम्मेदारी होगी।

संविदाकार साइट को साफ रखेगा 4.26 संविदाकार निर्माणकार्य के दौरान साइट को सभी अनावश्यक अवरोधों से मुक्त रखेगा, और अपने किसी उपकरण अथवा अतिरिक्त सामग्री का भंडारण करेगा या निपटान करेगा । संविदाकार साइट से मलबा, कूड़ा-करकट अथवा अस्थायी निर्माणकार्य जिसकी आगे जरूरत नहीं है, को साफ करेगा एवं उसे हटाएगा।

निर्माणकार्य पूरा होने के बाद संविदाकार सभी निर्माण संयंत्रों, अतिरिक्त सामग्री और अस्थायी निर्माणकार्य को साइट से साफ करेगा और हटाएगा। वह पूरी साइट और निर्माणकार्य को इंजीनियर के संतुष्ट होने तक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और कारगर स्थिति में रखेगा।

निर्माणकार्य पूरा होने के बाद संविदाकार लेवर कैंप्स, हटमेंट्स और अन्य संबंधित संस्थापनाओं को हटाएगा तथा निर्माणकार्य वास्तविक रूप में पूरा के बाद 45 दिन के भीतर इंजीनियर के संतुष्ट होने तक भूमि को अपनी पूर्व स्थिति में लाएगा। इंजीनियर द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर भूमि को वापस करने और उसे अपनी पूर्व स्थिति में लाने में होने वाले विलम्ब के कारण आयी लागत संविदाकार को देय राशि से वसूल की जाएगी।

निर्माणकार्य के लेखाओं का निपटारा करने के लिए संविदारकार को तब तक

अंतिम भुगतान नहीं किया जाएगा अथवा भुगतान को देय नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसके द्वारा ऐसे भुगतान के लिए साइट को साफ करने और लेवर कैंप्स हटाने आदि जैसी आवश्यक अन्य शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है । यदि संविदाकार इस संबंध में इंजीनियर से नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर इस उपबंध का पालन करने में विफल रहता है तो इंजीनियर संविदाकार की लागत पर किसी अन्य ऐजेंसी के माध्यम से उन्हें हटवा सकता है । उक्त कार्य का सभी व्यय संविदाकार से नियोक्ता को देय ऋण के रूप में संविदाकार के नामे किया जाएगा और नियोक्ता उक्त राशि को संविदाकार के ऑन-एकाउंट या अंतिम बिलों, या कार्यनिष्पादन प्रतिभूति राशि या किसी अन्य संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय किसी अन्य राशि से वसूल करने के लिए अधिकृत होगा ।

साइट की सुरक्षा 4.27 संविदाकार साइट और निर्माणकार्य की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा । जब तक संविदा की विशेष शर्तों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो

(क) संविदाकार अप्राधिकृत व्यक्तियों को साइट से दूर रखने के लिए जिम्मेदार होगा; और

(ख) प्राधिकृत व्यक्तियों में केवल संविदाकार के कर्मचारी, उपसंविदाकार अथवा इंजीनियर द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सम्मिलित होंगे ।

साइट पर संविदाकार के प्रचालन 4.28 संविदाकार अपने प्रचालनों को साइट तथा उस अतिरिक्त क्षेत्र तक सीमित रखेगा जो संविदाकार को वर्किंग एरिया के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा और इंजीनियर उससे सहमत होगा । संविदाकार अपने कर्मचारियों और उपकरणों को साइट और अतिरिक्त क्षेत्र की सीमा के भीतर रखने के लिए यथाआवश्यक पूरी सावधानी रखेगा और उन्हें निकटवर्ती भूमि का अतिक्रमण करने से रोकेगा ।

खुदाई में प्राप्त वस्तुएं 4.29 साइट पर खुदाई में प्राप्त तेल और अन्य खनिज पदार्थों के अलावा सभी जीवाश्म, सिक्के, वेशकीमती वस्तुएं या पुरावशेष और भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक महत्व की संरचनाएं या अन्य अवशेष या चीजें पूर्ण रूप से भारत सरकार की संपत्ति होंगी और संविदाकार अपने कर्मचारियों अथवा अपने उप-संविदाकार के कर्मचारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त किसी वस्तु को हटाने या नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए पूरी सावधानी रखेगा, तथा उनके पाए जाने के बारे में तुरंत इंजीनियर को सूचित करेगा और इंजीनियर के निर्देशों का पालन करेगा ।

प्रचार 4.30 संविदाकार साइट, निर्माणकार्य, परियोजना या उसके किसी भाग से संबंधित किसी वस्तु, फोटोग्राफ या अन्य सामग्री को अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रचारित या परिचालित नहीं करेगा और न किसी रेडियो या टेलीविजन नेटवर्क

को उनसे संबंधित कोई जानकारी देगा, और न नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना मीडिया के किसी प्रतिनिधि को साइट, संविदाकार के निर्माणकार्य के क्षेत्रों अथवा साइट से दूर विनिर्माण या भंडारण के स्थानों पर आने की अनुमति देगा। संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसका किसी भी श्रेणी का कोई उपसंविदाकार उक्त दायित्व का पालन करने के लिए बाध्य होगा, और नियोक्ता द्वारा कहने पर अपनी लागत पर उनको लागू करेगा। इस उप-खंड के उपबंध संविदाकार को फोटोग्राफ्स लेने और उन्हें प्रकाशित करने के संबंध में किसी सांविधिक उपबंध का अनुपालन करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेंगे।

रिश्तेदारी का खुलासा 4.31 यदि संविदाकार या संविदाकार के किसी भागीदार या संविदाकार की कंपनी के निदेशक की नियोक्ता के किसी अधिकारी या इंजीनियर से निकट की रिश्तेदारी है, अथवा नियोक्ता के किसी अधिकारी या इंजीनियर के किसी निकट रिश्तेदार का संविदाकार की फर्म के साथ वित्तीय हित/स्टेक जुड़ा हुआ है तो संविदाकार द्वारा निविदा भरते समय इसका खुलासा किया जाएगा। यदि संविदाकार द्वारा संबद्ध हितों का खुलासा नहीं किया गया है तो नियोक्ता संविदाकार को किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान किए बिना संविदा को रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। संविदाकार को यह नोट कर लेना चाहिए कि संविदा अवधि के दौरान उसके द्वारा ऐसा कोई हित जोड़े जाने का निषेध है।

विस्फोटकों का उपयोग 4.32 यदि निर्माणकार्य के संबंध में विस्फोटकों की आवश्यकता पड़ती है तो संविदाकार द्वारा इंजीनियर के पूर्व अनुमोदन से और उसके द्वारा बताए गए तरीके से तथा स्वीकृत सीमा में ही उनका उपयोग किया जाएगा। संविदाकार उक्त विस्फोटकों को विस्फोटक संबंधी कानून के अनुसार विशेष मैगजीन में सुरक्षित रखने के साथ-साथ संविदाकार की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर उचित लाइसेंस के साथ उनके उपयोग में सभी प्रकार की सावधानी बरतने के लिए जिम्मेदार होगा। संविदाकार नियोक्ता को कोई हानि नहीं पहुँचाएगा और उपर्युक्त के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।

भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण व्यवहार 4.33

परिभाषा 4.33.1 नियोक्ता यह अपेक्षा रखता है कि बोली लगाने वाले/संविदाकार, उनके विनिर्दिष्ट संविदाकार और/या उनके एजेंट निविदा प्रक्रिया और इस संविदा के निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानदंडों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, नियोक्ता:

क. इन उपबंधों के प्रयोजन हेतु नीचे दिए गए शब्दों को निम्नवत् परिभाषित करता है:

(i) "भ्रष्ट व्यवहार" से प्रापण प्रक्रिया अथवा संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए नियोक्ता, इंजीनियर या उनके किसी कर्मचारी को कोई मूल्यवान वस्तु देने का प्रस्ताव करना या देना अथवा उनसे प्राप्त करना या मांग करना अभिप्रेत है; और

(ii) "कपटपूर्ण व्यवहार" से प्रापण प्रक्रिया अथवा संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को छिपाना या गलत तथ्य पेश करना अभिप्रेत है जो नियोक्ता के लिए हानिकर होगा और इसमें बनावटी गैर-प्रतिस्पर्द्धात्मक स्तरों पर बोली की कीमतें निर्धारित करने और नियोक्ता को मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्द्धा के लाभ से वंचित करने के लिए बोली लगाने वालों के बीच मिलीभगत(बोली प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) सम्मिलित है ।

(iii) निष्पादन के दौरान संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन करने पर ।

ख. यदि नियोक्ता यह सुनिश्चित कर लेता है कि बोली लगाने वाला/संविदाकार भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार में लिप्त रहा है तो निर्माणकार्य की निविदा को अस्वीकार करेगा अथवा संविदा को निरस्त करेगा ।

ग. यदि वह किसी समय यह सुनिश्चित कर लेता है कि संविदाकार ने संविदा प्राप्त करने की प्रतिस्पर्द्धा में अथवा संविदा के निष्पादन में कोई भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार किया है तो वह संविदाकार को अनिश्चित काल के लिए अथवा एक निर्धारित अवधि के लिए संविदा प्रदान किए जाने हेतु अयोग्य घोषित करेगा ।

घ. यदि बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों/संविदाकारों को किसी जालसाजी/संदिग्ध जालसाजी का पता चलता है तो वे डीएमआरसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से तुरंत नियोक्ता को अवगत कराएंगे ।

संविदा निरस्त किए जाने पर संविदाकार को क्षतिपूर्त

4.33.2 उप-खंड 4.33.1 के अंतर्गत संविदा निरस्त किए जाने की स्थिति में संविदाकार संविदा निरस्त किए जाने की तारीख तक किए जा चुके कार्य की क्षतिपूर्ति के सिवाय किसी अन्य प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होगा ।

5 डिजाइन

'डिजाइन' शीर्ष के अंतर्गत दिए गए खंड केवल 'डिजाइन एंड बिल्ड' संविदाओं के लिए लागू हैं तथा 'पार्ट डिजाइन एंड बिल्ड' संविदाओं के मामले में ये संविदा के केवल उस भाग के लिए लागू हैं जिसे डिजाइन करने की जिम्मेदारी संविदाकार की है।

सामान्य दायित्व 5.1 संविदाकार साइट प्लान और नियोक्ता की शर्तों के अनुसार निर्माणकार्य के लिए आवश्यक डिजाइन तैयार करेगा और सभी विनिर्देश उपलब्ध कराएगा। कोई भी आवश्यक डिजाइन विवरण, योजना, ड्राइंग, विनिर्देश, टिप्पण, टिप्पणी और सूचना ऐसे उचित फॉर्मेट, ब्यौरे, सीमा, आकार और मात्रा में तथा ऐसे समय के भीतर उपलब्ध करवाए जाएंगे जो निर्माणकार्य का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं और/या इंजीनियर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया है।

संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास और उसके डिजाइनरों के पास डिजाइन के लिए यथाआवश्यक अनुभव और क्षमता है। संविदाकार यह वचन देगा कि संविदा अवधि के दौरान डिजाइनर किसी भी उचित समय पर इंजीनियर से चर्चा करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

जब तक कि नियोक्ता द्वारा अन्यथा स्वीकृति न दी गई हो, संविदाकार द्वारा पूर्व-अर्हता प्रस्तुत करते समय प्रस्तावित की गई संस्था ही डिजाइनर होगी। संविदाकार नियोक्ता द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में डिजाइनर की वारंटी प्रस्तुत करेगा।

डिजाइन के संबंध में संविदाकार की वारंटी 5.2

क. संविदाकार अपने प्रस्ताव की उपयुक्तता, पर्याप्तता, पूर्णता, स्थायित्व और व्यवहार्यता के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

ख. संविदाकार यह वारंटी देता है कि संविदाकार के प्रस्ताव नियोक्ता की शर्तों को पूरा करते हैं और उनके प्रयोजन हेतु उपयुक्त हैं, यदि नियोक्ता की शर्तों में या उनके किसी भाग में कोई अपर्याप्तता, अव्यवहार्यता या अनुपयुक्तता है तो संविदाकार के प्रस्ताव में उनका ध्यान रखा जाएगा और संविदाकार अपनी लागत पर उक्त अपर्याप्तता, अव्यवहार्यता या अनुपयुक्तता का समाधान करेगा।

ग. संविदाकार यह वारंटी देता है कि निर्माणकार्य को प्रमाणित अद्यतन अच्छी विधियों का उपयोग करते हुए उच्चतम मानकों के अनुसार डिजाइन,

विनिर्मित, संस्थापित और निर्मित किया गया है या किया जाएगा ।

घ. संविदाकार यह वारंटी देता है कि पूरा होने के बाद निर्माणकार्य उससे संबंधित अधिनियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा ।

ङ. संविदाकार यह वारंटी देता है कि निर्माणकार्य की डिजाइन और संयंत्र के विनिर्माण में अभीष्ट विनिर्माण और संस्थापन विधियों, अस्थायी निर्माणकार्य और संविदाकार के उपकरणों के प्रभावों का पूरा ध्यान रखा गया है या रखा जाएगा ।

च. संविदाकार नियोक्ता की जरूरतों के लिए डिजाइन की उपयुक्तता, पर्याप्तता और व्यवहार्यता के लिए डिजाइनर की ओर से गारंटी भी प्रदान करेगा ।

छ. संविदाकार नियोक्ता को किसी ऐसी टूट-फूट, व्यय, देयता, हानि या दावे की क्षतिपूर्ति करेगा जो संविदाकार द्वारा डिजाइन की जिम्मदारी का पालन न किए जाने और/या इस खंड में उल्लिखित वारंटी का उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप नियोक्ता को हो सकती है ।

ज. इसके अतिरिक्त संविदाकार यह स्पष्ट करता है और यह माना जाएगा कि उसने संविदाकार के प्रस्ताव की जांच कर ली है और उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है तथा यह वारंटी देता है कि वह नियोक्ता की शर्तों को पूरा करता है:

i. इस तथ्य के बावजूद कि उक्त डिजाइन नियोक्ता, संविदाकार के किसी परामर्शदाता, उसके उपसंविदाकारों और/या उसके अर्हताप्राप्त कर्मचारियों/व्यक्तियों द्वारा तैयार, विकसित या जारी की जा सकती है या की गयी है अथवा किसी अन्य द्वारा तैयार, विकसित या जारी करने के लिए कहा गया है ।

ii. इस तथ्य के बावजूद कि कोई वारंटी, गारंटी और/या क्षतिपूर्ति करने की गारंटी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है या की गई है।

iii. इस तथ्य के बावजूद कि उपर्युक्त को इंजीनियर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

संविदाकार संयंत्र, सामग्री, माल, कार्यकुशलता तथा निर्माणकार्य की सभी डिजाइनें तैयार करने, विकसित करने और समन्वित करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा ताकि निर्माणकार्य का वह भाग संविदा की शर्तों के अनुसार निर्मित और/या पूर्ण रूप से प्रचालित किया जा सके ।

उपर्युक्त वारंटी संविदाकार के अलावा उसके डिजाइनर के लिए भी लागू होगी । यह वारंटी डिजाइनर के साथ संविदाकार की उप-संविदा का भाग होगी और करार पर हस्ताक्षर करते समय प्रदान जाएगी ।

संविदाकार के पूर्वनिर्धारित डिजाइन और अंतिम डिजाइन में किसी गलती, त्रुटि, विसंगति या चूक या उनके बीच अंतर के कारण अथवा संविदाकार द्वारा किसी डिजाइन डाटा को तैयार करने या उसे निर्धारित समय के भीतर इंजीनियर को प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण निर्माणकार्य की प्रगति में होने वाले विलम्ब, आस्थगन, बाधा अथवा उस पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण अतिरिक्त भुगतान या कार्य पूरा करने के समय को आगे बढ़ाने के किसी दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और/या संविदाकार को संविदा के अंतर्गत किसी दायित्व/देयता से मुक्त नहीं किया जाएगा और संविदाकार अपनी लागत पर उक्त कमी को शीघ्र दूर करेगा।

निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेज

5.3 विनिर्माण दस्तावेजों में नियोक्ता की शर्तों में विनिर्दिष्ट तकनीकी दस्तावेज, सभी विनियामक स्वीकृतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, उप-खंड 5.6 (बिल्ट डोक्यूमेंट के रूप में) और उप-खंड 5.7(प्रचालन और अनुरक्षण मैनुअल) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज सम्मिलित होंगे । संविदाकार पर्याप्त ब्यौरा देते हुए सभी विनिर्माण दस्तावेज तैयार करेगा और संविदाकार के कर्मचारियों को निर्देश देने के लिए यथाआवश्यक अन्य दस्तावेज भी तैयार करेगा। ये सभी दस्तावेज जहां भी तैयार किए जा रहे हैं वहां इंजीनियर को उनकी तैयारी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

निर्माण और/या विनिर्माण संबंधी प्रत्येक दस्तावेज को जब उपयोग के लिए तैयार माना जाए तो उसे निर्माण-पूर्व या विनिर्माण-पूर्व समीक्षा के लिए इंजीनियर को प्रस्तुत किया जाएगा। जब तक कि नियोक्ता की शर्तों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, इंजीनियर द्वारा प्रत्येक समीक्षा के लिए 21 दिन से अधिक समय नहीं लिया जाएगा, उक्त अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को इंजीनियर को विनिर्माण दस्तावेज प्राप्त हुआ है।

समीक्षा अवधि के दौरान इंजीनियर संविदाकार को इस संबंध में नोटिस दे सकता है कि विनिर्माण दस्तावेज नियोक्ता की शर्तों के अनुसार तैयार (विनिर्दिष्ट सीमा तक) नहीं किया गया है, इसे संविदाकार की लागत पर इस उप-खंड के अनुसार सही किया जाएगा, दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी(और यदि विनिर्दिष्ट, अनुमोदित किया गया हो)।

निर्माणकार्य की जिस मात्रा के लिए इंजीनियर की पूर्व सहमति प्राप्त कर ली गई है, उसे छोड़कर निर्माणकार्य के प्रत्येक भाग के लिए:

(क) यदि कोई निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेज जिसे इंजीनियर के

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत(विनिर्दिष्ट रूप में) किया गया है

(i) इंजीनियर संविदाकार को नोटिस देगा जिसमें निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेज पर अपनी टिप्पणी सहित या टिप्पणी के बिना अनापत्ति देगा, अथवा यह बताएगा कि यह संविदा के अनुरूप(विनिर्दिष्ट सीमा तक) नहीं है;

(ii) उक्त भाग का निर्माणकार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया जाएगा जब तक कि इंजीनियर निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेज पर अनापत्ति प्रस्तुत न कर दे; और

(iii) यदि इंजीनियर ने उप-पैराग्राफ (i) के अनुसार पहले नोटिस नहीं दिया है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त भागों की डिजाइन और निर्माणकार्य करने से संबंधित सभी निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेजों की समीक्षा अवधि समाप्त होने पर उक्त दस्तावेजों पर अपनी अनापत्ति प्रस्तुत कर दी है।

(ख) निर्माणकार्य के उक्त भाग का निर्माण और/या विनिर्माण कार्य उसकी डिजाइन और निष्पादन से संबंधित निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेजों की समीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

(ग) निर्माण और/या विनिर्माण कार्य उक्त समीक्षा किए गए निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेजों(और यदि विनिर्दिष्ट, अनुमोदित हों) के अनुसार किया जाएगा।

(घ) यदि संविदाकार उक्त निर्माण-पूर्व और/या विनिर्माण-पूर्व समीक्षा के लिए पहले से प्रस्तुत किसी डिजाइन या दस्तावेज में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह तुरंत इंजीनियर को सूचित करेगा, और तदनंतर इंजीनियर के अनुमोदन के आधार पर उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार इंजीनियर को संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

यदि इंजीनियर यह अनुदेश देता है कि निर्माणकार्य करने के लिए निर्माण और/या विनिर्माण संबंधी और दस्तावेज आवश्यक हैं तो संविदाकार अपनी लागत पर शीघ्र उक्त दस्तावेजों को तैयार करेगा।

यदि निर्माणकार्य में अथवा किसी प्रचालन के विनिर्माण दस्तावेज में किसी भी चरण पर किसी त्रुटि, चूक, अस्पष्टता, असंगतता, अपर्याप्तता या किसी अन्य कमी का पता चलता है तो संविदाकार द्वारा अपनी लागत पर इन्हें दूर किया जाएगा और इस उप-खंड के अंतर्गत विनिर्माण और निर्माण दस्तावेजों पर नियोक्ता/ इंजीनियर द्वारा कोई अनुमोदन या सहमति दिए जाने अथवा समीक्षा किए जाने (इस उपखंड के अंतर्गत अथवा अन्यथा) से संविदाकार इस संविदा के अंतर्गत

अपने किसी दायित्व या जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा।

तकनीकी मानक और विनियम 5.4 डिजाइन, निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेज, निर्माणकार्य का निष्पादन और पूरा हो चुका निर्माणकार्य(उनमें कमियों को दूर करने सहित) विनिर्देशों, तकनीकी मानकों, भवन निर्माण, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी विनियमों और निर्माणकार्य के लिए लागू नियोक्ता की शर्तों अथवा लागू कानूनों और विनियमों में विनिर्दिष्ट अन्य मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

नमूने 5.5 संविदाकार उप-खंड 5.3 में उल्लिखित निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेजों की प्रक्रिया के अनुसार निर्माण-पूर्व और/या विनिर्माण-पूर्व समीक्षा के लिए इंजीनियर को अपनी लागत पर निम्नलिखित नमूने और संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

क. विनिर्माता की सामग्री के मानक नमूने,

ख. नियोक्ता की शर्तों में उल्लिखित नमूने(यदि कोई हों)।

प्रत्येक नमूने पर एक पर्ची लगाई जाएगी जिस पर उस स्थान का नाम जहां से उसे लाया गया है और निर्माणकार्य में उसके अभीष्ट उपयोग का विवरण लिखा जाएगा।

'ऐज-बिल्ट' ड्राइंग्स और दस्तावेज 5.6 यह खंड संविदा के 'बिल्ड' भाग के लिए भी लागू होगा। संविदाकार निर्माणकार्य के निष्पादन के 'ऐज-बिल्ट' रिकॉर्डों का एक पूरा सेट तैयार करेगा और उसे अद्यतन रखेगा जिसमें संबंधित विनिर्देशों और आंकड़ों का संदर्भ देते हुए निष्पादित किए गए निर्माणकार्य के सटीक 'एज-बिल्ट' स्थान, आकार और ब्यौरे को दर्शाया जाएगा। ये रिकॉर्ड साइट पर रखे जाएंगे और अनन्य रूप से इस उप-खंड के प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाएंगे। निर्माणकार्य पूरा होने पर किए जाने वाले परीक्षण प्रारंभ करने से पहले इसकी छह प्रतियां इंजीनियर को प्रस्तुत की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, संविदाकार निर्माणकार्य की 'ऐज-बिल्ट ड्रॉइंग्स' तैयार करेगा और उन्हें इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा जिसमें यथानिष्पादित सभी निर्माणकार्यों को दर्शाया जाएगा। जैसे जैसे निर्माणकार्य आगे बढ़ता है, ड्रॉइंग्स तैयार की जाएंगी और उन्हें निरीक्षण के लिए इंजीनियर को प्रस्तुत किया जाएगा। संविदाकार उनके आकार, संदर्भ प्रणाली और अन्य प्रासंगिक ब्यौरे के बारे में इंजीनियर की सहमति प्राप्त करेगा।

टेकिंग ओवर प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले संविदाकार संबंधित 'ऐज-बिल्ट ड्रॉइंग्स' एवं नियोक्ता की शर्तों में उल्लिखित किसी अन्य निर्माण और/या विनिर्माण दस्तावेज की एक माइक्रोफीश प्रति, एक पूर्ण-आकार की मूल प्रति और छह मुद्रित प्रतियां प्रस्तुत करेगा। जब तक उक्त दस्तावेज इंजीनियर को प्रस्तुत

नहीं कर दिए जाते हैं तब तक निर्माणकार्य को उप-खंड 9.1 के अंतर्गत टेकिंग ओवर के प्रयोजन हेतु पूरा किया गया नहीं माना जाएगा।

प्रचालन और अनुरक्षण मैनुअल 5.7 निर्माणकार्य पूरा होने पर परीक्षण प्रारंभ करने से पहले संविदाकार नियोक्ता की शर्तों के अनुरूप प्रचालन और अनुरक्षण मैनुअल तैयार करेगा और उन्हें इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा। उक्त मैनुअलों में नियोक्ता द्वारा निर्माणकार्य के प्रचालन, रख-रखाव, भागों को अलग-अलग करने(डिस्मेंटल), पुन: जोड़ने, समायोजन और मरम्मत किये जाने के लिए पर्याप्त ब्यौरा दिया जाएगा। जब तक प्रचालन और अनुरक्षण मैनुअल इंजीनियर को प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते हैं और उसकी सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती है तब तक निर्माणकार्य को उप-खंड 9.1 के अंतर्गत टेकिंग ओवर के प्रयोजन हेतु पूरा किया गया नहीं माना जाएगा।

बौद्धिक संपदा अधिकार और रॉयल्टी 5.8 संविदाकार निर्माणकार्य, संविदाकार के उपकरणों, मशीनों, कार्यविधियों, या संयंत्रों, या सामग्री, या निर्माणकार्य के लिए आवश्यक किसी भी चीज के संबंध में किसी पेटेंट अधिकार, पंजीकृत डिजाइन, प्रतिलिप्यधिकार, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ट्रेड के नाम, तकनीकी जानकारी या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन (या कथित उल्लंघन) के कारण सभी प्रकार के दावों या कार्यवाहियों के लिए तथा उनके संबंध में या उनसे संबंधित सभी दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हर्जानों, लागतों, और किसी भी प्रकार के अन्य व्ययों के लिए नियोक्ता और इंजीनियर को क्षतिपूर्ति करेगा। संविदाकार निर्माणकार्य के लिए आवश्यक पथरी, बालू, बजरी, मिट्टी या अन्य सामग्री, मशीन, प्रोसेस, प्रणाली, कार्यविधि, या संविदाकार के उपकरण प्राप्त करने के लिए सभी यातायात अधिशुल्कों एवं अन्य रॉयल्टियों, लाइसेंस शुल्क, किराया और अन्य भुगतानों या क्षतिपूर्ति, यदि कोई है, का भुगतान करेगा। संविदाकार बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होने पर अपनी लागत पर निर्माणकार्य, संयंत्र, सामग्री, या निर्माणकार्य के लिए आवशयक किसी अन्य चीज में सुधार या संशोधन करेगा या उसे प्रतिस्थापित करेगा ताकि उल्लंघन समाप्त हो जाए अथवा अपेक्षित अधिकार/लाइसेंस प्राप्त करेगा ताकि बौद्धिक संपदा अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो।

संविदाकार को इस उप-खंड के अंतर्गत नियोक्ता पर किए गए किसी दावे की सूचना तुरंत दी जाएगी। संविदाकार अपनी लागत पर उक्त दावे के निपटारे के लिए बातचीत करेगा या इसके फलस्वरूप होने वाली किसी मुकदमेबाजी या विवाचन को संभालेगा। जब तक कि संविदाकार अनुरोध किए जाने के बाद उचित समय के भीतर बातचीत, मुकदमेबाजी या विवाचन में भाग लेने में विफल नहीं रहता है तब तक नियोक्ता या इंजीनियर ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं करेगा

जो संविदाकार के लिए हानिकर है । संविदाकार द्वारा इंजीनियर के नोटिस पर कार्रवाई करने में विफल रहने पर नियोक्ता को लंबित दावे की ऐसी किसी राशि को इस संविदा या किसी अन्य संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय किसी राशि से कटौती करने का पूरा अधिकार होगा ।

जहां तक निर्माणकार्य से संबंधित किसी संयंत्र, डिजाइन डाटा, प्लान, परिकलन, ड्रॉइंग्स, दस्तावेज, तकनीकी जानकारी और जानकारी के पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात है तो ये अधिकार संविदाकार के होंगे । संविदाकार नियोक्ता, उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को निर्माणकार्य से संबंधित सभी प्रयोजनों (निर्माणकार्य के डिजाइन, विनिर्माण, स्थापना, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग, उसे पूरा करने, पुन: स्थापित करने, उसके विस्तार, मरम्मत और प्रचालन सहित परन्तु इन तक सीमित नहीं) के लिए उक्त संयंत्र, दस्तावेजों या सामग्री और ऐसी किसी तकनीकी जानकारी या सूचना में सम्मिलित या संदर्भित किसी निर्माणकार्य, डिजाइन या आविष्कार का उपयोग करने और उनकी प्रतिकृति तैयार करने के लिए रॉयल्टी मुक्त, नॉन-ऐक्स्क्लूसिव और अप्रतिसंहरणीय लाइसेंस(उप-लाइसेंस प्रदान करने के अधिकार सहित) प्रदान करेगा ।

यदि संविदाकार द्वारा निर्माणकार्य के लिए विशिष्ट रूप से कोई पेटेंट कराया गया है, डिजाइन को पंजीकृत कराया गया है या सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है तो उसका स्वत्वाधिकार नियोक्ता का होगा और संविदाकार नियोक्ता को स्वयं के उपयोग हेतु उक्त सॉफ्टवेयर को उपयोग करने, मरम्मत करने, प्रतिलिपि बनाने, संशोधन करने, परिवर्धन करने, अनुकूलन करने और रूपान्तरित करने के लिए नॉन-ऐक्स्क्लूसिव अप्रतिसंहरणीय और रॉयल्टी मुक्त लाइसेंस(उप-लाइसेंस प्रदान करने के अधिकार सहित) प्रदान करेगा ।

यदि संविदाकार रिकॉर्डों को स्टोर या उपयोग करने के लिए प्रप्राइअटरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है तो वह अपनी लागत पर नियोक्ता के लिए उक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करने हेतु लाइसेंस या उप-लाइसेंस प्राप्त करेगा और उक्त लाइसेंस प्रदान करने वाले व्यक्ति को अपेक्षित लाइसेंस शुल्क या अन्य भुगतानों का भुगतान करेगा बशर्ते कि लाइसेंस के अंतर्गत उक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग निर्माण कार्य या उसके किसी भाग की डिजाइन, निर्माण, पुनर्निर्माण, विनिर्माण, उसे पूरा करने, पुन: स्थापित करने, विस्तार, मरम्मत और प्रचालन तक सीमित किया जा सके ।

अन्य बातों के साथ-साथ संविदाकार द्वारा ऊपर उल्लिखित अनुमति दी जाएगी ताकि नियोक्ता उक्त कार्यक्रमों और दस्तावेजों के संबंध में नियोक्ता के लिए सेवाओं का निष्पादन करने के लिए किसी तीसरे पक्ष को कार्यक्रमों और दस्तावेजों का प्रकटीकरण(गोपनीयता की ऐसी शर्तों के अंतर्गत जिनसे संविदाकार संतुष्ट हो) कर सके।

यदि रिकॉर्डों को स्टोर या उपयोग करने के लिए के लिए संविदा के अंतर्गत कोई सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है या संविदाकार द्वारा उसका उपयोग किया गया है जिस पर संविदाकार या किसी तीसरे पक्ष का स्वत्वाधिकार या कोई अन्य अधिकार है तो संविदाकार निर्माणकार्य या उसके किसी भाग के डिजाइन, विनिर्माण, स्थापना, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग, उसे पूरा करने, पुन: स्थापित करने, उसके विस्तार, मरम्मत और प्रचालन के प्रयोजन हेतु अथवा किसी विवाद के प्रयोजन हेतु बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के उक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग और अनुप्रयोग करने(उसमें संशोधन करने, सुधार करने और विकास करने) का अधिकार नियोक्ता को देगा अथवा नियोक्ता के लिए प्राप्त करेगा(जैसी भी स्थिति हो)।

नियोक्ता के पास निर्माणकार्य पर या निर्माणकार्य के संबंध में किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित है।

6 स्टाफ और श्रमिक

स्टाफ और श्रमिकों को कार्य पर लगाना

6.1 संविदाकार अपनी लागत पर स्टाफ और श्रमिकों को कार्य पर लगाने की स्वयं व्यवस्था करेगा ।

मजदूरी की दरें और श्रम शर्तें

6.2 संविदाकार सांविधिक जरूरतों का पूरी तरह अनुपालन करने के अलावा मजदूरी का भुगतान करेगा और श्रम शर्तों का पालन करेगा, ये शर्तें उस व्यवसाय अथवा उद्योग, जहां कार्य किया जा रहा है, के लिए स्थापित दरों और शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी।

संविदाकार श्रम संबंधी सभी विनियमों और लागत पर उनके प्रभाव की जानकारी प्राप्त करेगा और संविदा के मूल्य में इनका ध्यान रखेगा। संविदा अवधि के दौरान संविदाकार को इस संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में देय दरों में संशोधन के कारण मजदूरों को देय दरों में कोई संशोधन किए जाने सहित किसी भी कारण से

कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

संविदाकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर केवल नियोक्ता अथवा इंजीनियर के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए श्रमिक इस उप-खंड के प्रयोजन हेतु संविदाकार द्वारा नियोजित माने जाएंगे।

यदि संविदाकार अथवा उसके किसी भी स्तर के उप-संविदाकार द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति और इस संविदा के निष्पादन के संबंध में किसी राशि के भुगतान में चूक की जाती है और इसके कारण श्रम प्राधिकरण के कार्यालय में कोई दावा दायर किया जाता है और श्रम प्राधिकरण को उसका संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो संविदाकार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न किए जाने पर, नियोक्ता उक्त श्रम प्राधिकरण को संविदाकार की ओर से ऐसे दावे का भुगतान कर सकता है और नियोक्ता द्वारा इस प्रकार भुगतान की गई राशि संविदाकार से वसूल की जा सकेगी।

नियोक्ता/इंजीनियर के सेवारत/ सेवानिवृत्त व्यक्ति **6.3**

क) संविदाकार नियोक्ता और इंजीनियर के कार्मिकों में से स्टाफ और मजदूरों को भर्ती नहीं करेगा अथवा भर्ती करने की कोशिश नहीं करेगा।

ख) संविदाकार निविदा प्रक्रिया के समय अथवा निर्माण प्रक्रिया के दौरान नियोक्ता अथवा नियोक्ता के इंजीनियर के किसी कर्मचारी को तब तक किसी भी पद पर नियोजित नहीं करेगा जब तक कि उस कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद दो वर्ष की अवधि पूरी न कर ली हो अथवा संविदाकार द्वारा नियोजित किए जाने के संबंध में नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र न प्राप्त कर लिया हो। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी से नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसे वापस नियोक्ता को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

संविदाकार नियोक्ता द्वारा अपनाए जा रहे उप-खंड 13.2 में उल्लिखित किसी अथवा कई उपबंधों के अतिरिक्त ऊपर दिए गए उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो उपर्युक्त कारणों से संविदा समाप्त किए जाने पर वह संविदा की समाप्ति तक किए गए कार्य के वास्तविक मूल्य को छोड़कर नियोक्ता से कोई दावा नहीं करेगा।

श्रम कानून **6.4**

(क) संविदाकार और उसके उप-संविदाकार(कार्यपरक और लघु संविदाकारों सहित) मजदूरों और कर्मचारियों से व्यवहार करने के मामले में भारत में मजदूरों की सेवाएं लेने, भुगतान करने और उनके अनुरक्षण से संबंधित सभी कानूनों और सांविधिक विनियमों का पूर्णत: पालन करेंगे।

(ख) संविदाकार के पास एक मजदूर कल्याण संगठन होगा जो मजदूरों के कल्याण और प्रचलित श्रम कानूनों, संविधियों और मार्गनिर्देशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा । इस संदर्भ में संविदाकार को संविदा की विशेष शर्तों अथवा संविदा में कहीं अन्य स्थान पर यथाविनिर्दिष्ट डीएमआरसी के मजदूर कल्याण कोष के नियमों की जानकारी प्राप्त करना और उसका अनुपालन करना भी अपेक्षित है ।

(ग) संविदाकार इंजीनियर द्वारा मांगे जाने पर श्रम कानूनों का पालन किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगा और उसके अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(घ) संविदाकार अपने द्वारा और अपने उप-संविदाकारों द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी का बैंक खाता खोला जाना सुनिश्चित करेगा और कर्मचारियों (वर्कर्स) के लिए सभी भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे ।

कार्य-समय **6.5** संविदाकार, जब तक संविदा में विशिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, आवश्यकता पड़ने पर रात के समय अथवा शिफ्टों में कार्य करेगा । रात में किए जाने वाले कार्य के लिए दरों में कोई वृद्धि अथवा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा ।

संविदाकार पर्याप्त प्रकाश और सुरक्षा की व्यवस्था करेगा ।

स्टाफ और मजदूरों के लिए सुविधाएं **6.6** संविदाकार अपने (और अपने उप-संविदाकारों के) स्टाफ और मजदूरों के लिए प्रचलित श्रम और कल्याण कानूनों के अनुसार अपने खर्चे पर आवास और कल्याण संबंधी सभी सुविधाएं प्रदान करेगा और उनकी देख-रेख रखेगा । इसमें जहाँ 50 या उससे अधिक महिलाएं एक साथ कार्य कर रही हों वहाँ अस्थाई क्रेश (बाल मंदिर) की व्यवस्था करने जैसी अच्छी प्रथाएं सम्मिलित हैं । संविदाकार द्वारा अपनी लागत पर सभी आवासों में साफ-सफाई रखी जाएगी ।

स्वास्थ्य और सुरक्षा **6.7** संविदाकार द्वारा अपने स्टाफ और मजदूरों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखी जाएगी । संविदाकार स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से और उसकी अपेक्षाओं के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि आवास और साइट पर हर समय मेडीकल स्टाफ, प्राथमिक उपचार सुविधाएं, रोगी कक्ष और एम्बुलेंस सुविधाएं उपलब्ध हों और यह सुनिश्चित करेगा कि कल्याण संबंधी

सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और महामारियों की रोकथाम के लिए साफ-सफाई की व्यवस्था की गई है । संविदाकार इंजीनियर की अपेक्षा के अनुसार व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण तथा संपत्ति के नुकसान का रिकार्ड रखेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा और नियोक्ता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण मैनुअल(एसएचई मैनुअल) के संबंधित खंडों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।

संविदाकार का साइट सेफ्टी प्लान नियोक्ता की जरूरत और नियोक्ता के एसएचई मैनुअल के अनुसार उसके आउटलाइन सेफ्टी प्लान से तैयार किया जाएगा ।
संविदाकार साइट पर अपने स्टाफ के एक सदस्य को नियुक्त करेगा जो साइट पर दुर्घटना से कार्मिकों की संरक्षा एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा ।

संविदाकार द्वारा निगरानी(देख-रेख) **6.8** संविदाकार कार्य की डिजाइन और निष्पादन के दौरान और उसके बाद उतने समय तक जिसे इंजीनियर संविदा के अंतर्गत संविदाकार के दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, सभी प्रकार की निगरानी (देख-रेख) की व्यवस्था करेगा । ऐसी देख-रेख ऐसे पर्याप्त व्यक्तियों द्वारा की जाएगी जो कार्य को संतोषजनक और सुरक्षित तरीके से करने के लिए प्रचालनों की पर्याप्त जानकारी रखते हों(आवश्यक विधियों और तकनीकियों, संभावित खतरों और दुर्घटनाएं रोकने की विधियों सहित) ।

कार्यकुशल और सक्षम स्टाफ की व्यवस्था **6.9** संविदाकार केवल उन व्यक्तियों को नियोजित करेगा(अथवा नियोजित किए जाने के लिये प्रेरित करेगा) जो सतर्क हों और अपने संबंधित व्यवसायों या कार्यों में समुचित अर्हता प्राप्त, कुशल और अनुभवी हों । इंजीनियर संविदाकार के प्रतिनिधि सहित कार्य की साइट पर नियोजित किसी व्यक्ति को संविदाकार द्वारा हटाए जाने के लिए कह सकता है (अथवा हटाए जाने के लिए प्रेरित कर सकता है), जो इंजीनियर की राय में:

क. किसी कदाचार में लगातार लिप्त रहता है,

ख. अक्षम है अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति लापरवाह है,

ग. संविदा के किसी उपबंध का पालन करने में विफल रहता है, अथवा लगातार कोई ऐसा काम करता है जो सुरक्षा, स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण की रक्षा के लिए हानिकर है ।

शान्ति बनाए रखना और अनुशासित **6.10**

आचरण

6.10.1 संविदाकार संविदाकार के कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, लघु संविदाकारों और उप-संविदाकारों आदि द्वारा साइट और उसके आस-पास शान्ति और अनुशासित आचरण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा । यदि निर्माणकार्य की अवधि के दौरान साइट पर अथवा उसके आसपास विशेष पुलिस बल तैनात करना आवश्यक हो जाता है तो उसका खर्च संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

6.10.2 संविदाकार हमेशा सभी प्रकार की उचित सावधानियां बरतेगा जिसमें यह भी सम्मिलित होगा कि नशे की हालत अथवा मादक द्रव्य के प्रभाव में किसी भी मजदूर अथवा कर्मचारी को कार्य करने की अनुमति न दी जाए ताकि उसके स्टाफ या मजदूरों द्वारा अथवा उनके बीच किसी गैरकानूनी, बलवाई अथवा उत्पाती आचरण को रोका जा सके, और ऐसे आचरण के विरुद्ध कार्य के आस-पास शान्ति बनायी रखी जा सके और व्यक्तियों एवं सम्पत्ति की रक्षा की जा सके ।

मजदूर संविदाकार के कर्मचारी होंगे **6.11** यदि संविदाकार नियोक्ता के प्रयोजनों हेतु संविदाकार द्वारा किए जा रहे किसी कार्य के संबंध में अथवा अन्यथा इंजीनियर या नियोक्ता के सीधे आदेशों और नियंत्रण के अधीन पूर्णत: अथवा अंशत: उपयोग किए जाने के लिए सीधे तौर पर अथवा लघु संविदाकारों या उप-संविदाकारों के माध्यम से मजदूरों की आपूर्ति करता है तो ऐसे मजदूर इस खंड के प्रयोजन हेतु संविदाकार द्वारा नियोजित व्यक्ति माने जाएंगे ।

मजदूरों के साथ दुर्घटना की रिपोर्ट **6.12** संविदाकार निर्माणकार्य के लिए सीधे तौर पर अथवा लघु संविदाकारों या उप-संविदाकारों के माध्यम से नियोजित किए गए सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मदार होगा, और निर्माणकार्य करने के दौरान उनमें से किसी के साथ किसी भी प्रकार की और किसी भी स्थान पर हुई दुर्घटना की रिपोर्ट इंजीनियर अथवा इंजीनियर के प्रतिनिधि को करेगा और हर संभव सहायता तथा शीघ्र उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए हर व्यवस्था करेगा । ऐसे मामलों में प्रभावित वर्कर्स अथवा उनके रिश्तेदारों को संविदाकार द्वारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार यथाशीघ्र भुगतान किया जाएगा ।

श्रम कानूनों के उल्लंघन के कारण दावे **6.13** संविदाकार अपने, अपने लघु संविदाकारों अथवा उप-संविदाकारों द्वारा किसी श्रम कानून के उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इसके लिए किसी दावे/क्षतिपूर्ति की मांग किए जाने पर प्राधिकरण को तत्काल भुगतान करेगा । यदि नियोक्ता द्वारा प्राधिकरण के किसी अनुदेश, निर्देश या निर्णय के फलस्वरूप अथवा किसी श्रम कानून या विनियम के अंतर्गत किए गए दावे या

दिए गए आवेदन किसी धनराशि को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है तो ऐसी धनराशि संविदाकार द्वारा नियोक्ता को देय मानी जाएगी और वह मांगे जाने पर उस धनराशि को बिना किसी आपत्ति के और नियोक्ता से कोई कारण/स्पष्टीकरण पूछे बिना नियोक्ता को तत्काल भुगतान करेगा । यदि संविदाकार उक्त राशि की मांग किए जाने के बाद सात दिन के भीतर नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई अथवा की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं करता है तो नियोक्ता इस संविदा या नियोक्ता के साथ की गई किसी अन्य संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय अथवा देय होने वाली राशि से उक्त राशि को वसूल करने के लिए अधिकृत होगा।

7 गुणवत्ता नियंत्रण

निष्पादन का तरीका **7.1** संविदा में निर्धारित तरीके से, आपूर्ति किए जाने वाले सभी संयंत्र, सामान और सामग्री विनिर्मित की जाएगी और किए जाने वाले सभी कार्य निष्पादित किए जाएंगे। यदि विनिर्माण और निष्पादन का तरीका संविदा में निर्धारित नहीं किया गया है तो कार्य उचित तरीके से, कार्यकुशलतापूर्वक और सावधानीपूर्वक उचित सुविधाओं और अहानिकारक सामग्री का प्रयोग करते हुए मान्यताप्राप्त आधुनिक कार्यप्रणाली के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

सामग्री का स्रोत 7.2 जिन स्रोतों से सामग्री आपूर्ति की जा रही है उनकी सूचना इंजीनियर को दी जाएगी और वह उसके अनुमोदन के अधीन होगी। जो सामग्री संविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है वह संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होगी अथवा भारतीय मानक निर्धारित न होने पर इंजीनियर द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी।

जब तक संविदा में अन्यथा उपबंध न किया गया हो, संविदाकार द्वारा अपनी लागत पर नमूनों की आपूर्ति की जाएगी।

साइट पर डिलिवरी 7.3 संविदाकार कार्य पूरा करने के लिये आवश्यक सभी संयंत्रों, रॉलिंग स्टॉक, निर्माण, सामग्री, संविदाकार के उपकरणों और अन्य चीजों की खरीद, परिवहन, प्राप्ति, माल उतराई(अनलोडिंग) और सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

निरीक्षण 7.4 नियोक्ता और इंजीनियर किसी भी उचित समय पर

क. साइट के सभी भागों और उन स्थानों जहां से कच्चा माल प्राप्त किया जा रहा है, का पूरा जायजा ले सकेंगे, और

ख. उत्पादन, विनिर्माण, गढ़ाई(फेब्रिकेशन) और निर्माण (साइट पर या

किसी अन्य स्थान पर) के दौरान सामग्री और कार्यकुशलता का निरीक्षण, जांच, मापन और परीक्षण करने, और संविदा के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाल सभी संयंत्रों, सामानों, निर्माण तथा सामग्री के विनिर्माण की प्रगति की जांच के लिए अधिकृत होंगे ।

संविदाकार इंजीनियर को पहुँच, सुविधाएं, अनुमति और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने सहित ये क्रियाकलाप करने के लिए पूरा अवसर देगा । ऐसा कोई क्रियाकलाप/निरीक्षण संविदाकार को किसी दायित्व अथवा जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा ।

परीक्षण (टैस्टिंग) 7.5 यह उप-खंड निर्माणकार्य पूरा होने के बाद किए जाने वाले परीक्षणों को छोड़कर संविदा में विनिर्दिष्ट सभी परीक्षणों पर लागू होगा ।

संविदाकार सभी प्रकार के परीक्षणों के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज और अन्य जानकारी उपलब्ध कराएगा और दक्षतापूर्वक ऐसे परीक्षण करने के लिए यथाआवश्यक सहायता, श्रम, सामग्री, बिजली, ईंधन, स्टोर, औजार और उपकरण उपलब्ध कराएगा ।

संविदाकार संविदा में यथाविनिर्दिष्ट किसी संयंत्र, सामान, सामग्री और कार्य के अन्य भागों का किसी भी समय और स्थान पर परीक्षण कराने के लिए इंजीनियर के साथ सहमत होगा । **नियोक्ता/इंजीनियर संविदाकार को नियोक्ता की लागत पर कोई अतिरिक्त परीक्षण कराने के लिए निर्देश दे सकता है ।**

इंजीनियर संविदाकार को परीक्षण के समय उपस्थित रहने के लिए कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देगा ।

यदि इंजीनियर सम्मत समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होता है, अथवा संविदाकार और इंजीनियर में यह सहमति बन जाती है कि इंजीनियर उपस्थित नहीं रहेगा तो जब तक कि इंजीनियर संविदाकार को अन्यथा निर्देश न दे, संविदाकार परीक्षण करवा सकता है । ऐसे परीक्षण इंजीनियर की उपस्थिति में किए गए माने जाएंगे । संविदाकार उक्त परीक्षणों की विधिवत् प्रमाणित रिपोर्टें शीघ्र इंजीनियर को भेजेगा । यदि इंजीनियर परीक्षणों के समय उपस्थित नहीं था तो वह रीडिंग्स को सही स्वीकार करेगा । जब विनिर्दिष्ट परीक्षण पारित कर दिए जाते हैं तो इंजीनियर संविदाकार के परीक्षण प्रमाणपत्र की पुष्टि करेगा अथवा इस संबंध में उसे एक प्रमाणपत्र जारी करेगा । ऐसे परीक्षण कराए जाने का खर्च संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा । ऐसा कोई परीक्षण संविदाकार को किसी दायित्व अथवा जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा ।

अस्वीकृति 7.6 (i) यदि निरीक्षण, जांच अथवा परीक्षण के फलस्वरूप किसी संयंत्र, सामान, सामग्री, डिजाइन अथवा कार्यकुशलता को दोषपूर्ण पाया जाता है अथवा संविदा के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो इंजीनियर संविदाकार को कारण बताते हुए नोटिस देकर उसे अस्वीकार कर सकता है । तत्पश्चात् संविदाकार शीघ्र उस दोष को दूर करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सुधार किए जाने के बाद उक्त अस्वीकृत मद संविदा के अनुरूप हो ।

(ii) यदि इंजीनियर यह चाहे कि ऐसे संयंत्र, माल, सामग्री, डिजाइन अथवा कार्यकुशलता का पुन: परीक्षण किया जाए तो ऐसे परीक्षण उन्हीं शर्तों और निबंधनों के तहत दोबारा किए जाएंगे । यदि ऐसी अस्वीकृति और पुन: परीक्षण किए जाने से नियोक्ता को कोई अतिरिक्त लागत आती है तो नियोक्ता द्वारा ऐसी लागत संविदाकार से वसूल की जा सकेगी, और नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय, अथवा देय होने वाली किसी राशि से उसकी कटौती की जा सकती है ।

(iii) किसी पूर्व परीक्षण अथवा प्रमाणन के बावजूद इंजीनियर संविदाकार को निम्नलिखित निर्देश देने के लिए प्राधिकृत होगा :-

क) किसी संयंत्र अथवा सामग्री जो संविदा के अनुरूप नहीं है, को साइट से हटाने या प्रतिस्थापित करने के लिए ।

ख) किसी अन्य कार्य जो संविदा के अनुरूप नहीं है, को साइट से हटाने या दोबारा करने के लिए ।

ग) निर्माणकार्य की सुरक्षा के लिए अपेक्षित किसी कार्य को शीघ्र करने के लिए, चाहे ऐसा किसी दुर्घटना, अप्रत्याशित घटना अथवा किसी अन्य कारण से करना अपेक्षित हो ।

(iv) यदि ऐसे आदेश का पालन करने में संविदाकार की ओर से चूक होती है तो नियोक्ता उस कार्य को करने के लिए किसी अन्य पक्षकार को नियोजित और भुगतान करने के लिए अधिकृत होगा, और उसके फलस्वरूप अथवा उससे संबद्ध सभी व्यय संविदाकार से वसूल किया जा सकेगा अथवा नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय किसी राशि में से उसकी कटौती की जा सकेगी ।

निरीक्षण और परीक्षण के बाद जिम्मेदारी 7.7 संविदाकार को ऐसे किसी निरीक्षण या परीक्षण के कारण अथवा परीक्षण का साक्षी होने के कारण, अथवा इंजीनियर को निरीक्षण या परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण संविदा के अंतर्गत किसी जिम्मेदारी या दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा ।

संयत्र और सामग्री का स्वामित्व 7.8 संयंत्र, माल, और सामग्री की प्रत्येक मद साइट पर सुपुर्द किए जाने पर अथवा उसका पूरा या अंशत: भुगतान किए जाने पर नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी। तथापि, ऐसी मदों का जोखिम संविदाकार का रहेगा जो उसकी संरक्षा में रहती हैं।

यात्रा सहित नियोक्ता की उपस्थिति की लागत 7.9 नियोक्ता उपर्युक्त उप-खंड 7.4 और 7.5 के प्रयोजन हेतु नियोक्ता अथवा उसके इंजीनियर द्वारा की जाने वाली यात्रा सहित उसकी उपस्थिति की लागत वहन करेगा । उप-खंड 7.6 के प्रयोजन हेतु नियोक्ता, इंजीनियर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा की जाने वाली यात्रा सहित उपस्थिति की लागत का वहन संविदाकर द्वारा किया जाएगा।

निर्माण कार्य को कवर किया जाना 7.10

कवर किए जाने से पहले कार्य की जांच 7.10.1 इंजीनियर अथवा इंजीनियर के प्रतिनिधि का पूर्व अनुमोदन लिए बिना किसी कार्य या कार्य के भाग को कवर अथवा दृष्टि से परे नहीं किया जाएगा।

पहले कवर किए जा चुके कार्य की कवरिंग हटाने की लागत 7.10.2 संविदाकार निर्माणकार्य के किसी भाग या भागों की कवरिंग हटाएगा, अथवा उसमें या उससे होकर ओपनिंग्स बनाएगा, जैसा कि इंजीनियर समय-समय पर निर्देश दे, और इंजीनियर के संतुष्ट होने तक ऐसे भाग या भागों को पुन: स्थापित करेगा और उन्हें ठीक करेगा । यदि **उप-खंड 7.11.4** की शर्त के अनुरूप किसी भाग या भागों को कवर किया गया है, अथवा दृष्टि से परे किया गया है और संविदा के अनुरूप किया गया पाया जाता है तो कवर हटाने, उसमें या उससे होकर ओपनिंग्स बनाने, पुन: स्थापित करने और उसे ठीक करने की लागत नियोक्ता द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु यदि निर्माण कार्य दोषपूर्ण पाया जाता है तो लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी।

यदि निर्माणकार्य का एक भाग पूरा होने के पश्चात वह नियोक्ता की शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और उसे बदले जाने का कोई उपाय नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे तय कम कीमत पर केवल संविदाकार के माने गए (डीम्ड) अंतर पर स्वीकार किया जाएगा (बशर्ते कि सुरक्षा और प्रचालन पर इसका कोई प्रभाव न पड़े)।

इस संबंध में इंजीनियर का निर्णय अंतिम और संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा।

कार्य पूरा होने के बाद परीक्षण 7.11

संविदाकार के दायित्व 7.11.1 संविदाकार उप-खंड **5.4 और 5.5** के अनुसार दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद संविदा के अनुरूप कार्य पूरा होने के बाद अपनी लागत पर परीक्षण करवाएगा। संविदाकार इंजीनियर को 21 दिन का नोटिस देगा और उस तारीख के बाद संविदाकार कार्य पूरा होने की स्थिति में परीक्षण करवाने के लिए तैयार रहेगा । जब तक अन्यथा सहमति न बने, ऐसे परीक्षण इस तारीख के 14 दिन के भीतर उस दिन अथवा दिनों को करवाए जाएंगे जैसा कि इंजीनियर निर्देश दे।

जब तक संविदा की विशेष शर्तों में अन्यथा उपबंधित न हो, कार्य पूरा होने पर ये परीक्षण निम्नलिखित क्रमानुसार करवाए जाएंगे:

(क) प्री-कमीशनिंग टेस्ट, इसमें यह प्रदर्शित करने के लिए समुचित अनुदेश और ("ड्राई" अथवा "कोल्ड") क्रियात्मक परीक्षण सम्मिलित होंगे कि संयंत्र, सामान और कार्य की प्रत्येक मद सुरक्षित ढंग से अगले चरण का कार्य कर सकती है।

(ख) कमीशनिंग टेस्ट, इसमें यह प्रदर्शित करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रचालनात्मक परीक्षण सम्मिलित होंगे कि निर्माणकार्य अथवा उसके खंडों को सुरक्षित तरीके से और सभी उपलब्ध प्रचालनात्मक स्थितियों के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट तरीके से प्रचालित किया जा सकता है।

(ग) ट्रायल ऑपरेशन, जो यह प्रदर्शित करेगा कि निर्माणकार्य अथवा उसका खंड विश्वसनीय तरीके से और संविदा के अनुरूप कार्यनिष्पादन कर रहे हैं।

संविदाकार ऐसे परीक्षणों के लिए अपनी लागत पर उन सभी औजारों, उपकरणों, गजेट्स, सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जो इंजीनियर द्वारा आवश्यक समझे जाएं। इंजीनियर कार्य पूरा होने पर परीक्षणों के परिणाम पर विचार करते समय निर्माणकार्य के कार्यनिष्पादन अथवा अन्य विशेषताओं के संबंध में नियोक्ता द्वारा निर्माणकार्य के किसी उपयोग के प्रभाव को ध्यान में रखेगा। जैसे ही पूरा होने पर निर्माणकार्य अथवा खंड, उप-पैरा (क), (ख) अथवा (ग) में यथाउल्लिखित परीक्षण पास कर लेता है तो संविदाकार शीघ्र ऐसे सभी परीक्षणों के परिणामों की प्रमाणित रिपोर्ट इंजीनियर और नियोक्ता को उपलब्ध कराएगा।

विलम्ब से किए गए परीक्षण 7.11.2 यदि इंजीनियर की यह राय है कि संविदाकार द्वारा निर्माणकार्य पूरा होने पर किए जाने वाले परीक्षणों में अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है, तो इंजीनियर संविदाकार को नोटिस देकर उसकी प्राप्ति के 21 दिन के भीतर ऐसे परीक्षण करवाने के लिये कह सकता है। संविदाकार ऐसे दिन या दिनों जिन्हें संविदाकार

निर्धारित कर सकता है, को ऐसे परीक्षण करवाएगा और इसका नोटिस इंजीनियर को देगा।

यदि संविदाकार 21 दिन के भीतर निर्माणकार्य पूरा होने पर किए जाने वाले परीक्षण करवाने में विफल रहता है, तो इंजीनियर संविदाकार के जोखिम और लागत पर ऐसे परीक्षण करवा सकता है। तब निर्माणकार्य पूरा होने पर किए गए परीक्षण संविदाकार की उपस्थिति में किए गए माने जाएंगे और ऐसे परीक्षणों के परिणामों को सही स्वीकार किया जाएगा।

पुन: परीक्षण

7.11.3 यदि निर्माणकार्य अथवा उसका कोई भाग निर्माणकार्य पूरा होने पर किए गए परीक्षण को पास करने में विफल रहता है, तो उप-खंड 7.6 "अस्वीकृति" लागू होगा और इंजीनियर अथवा नियोक्ता ऐसे विफल परीक्षणों और किसी संबंधित कार्य के पूरा होने पर किए गए परीक्षणों को पूर्व शर्तों और निबंधनों के अंतर्गत पुन: परीक्षण करवाने के लिए कह सकता है।

निर्माणकार्य पूरा होने पर परीक्षणों को पास करने में विफलता

7.11.4 यदि निर्माणकार्य, अथवा उसका कोई भाग, अथवा कोई खंड निर्माणकार्य पूरा होने पर किए गए परीक्षण को उप-खंड 7.11.4 के अंतर्गत पुन: कराए जाने पर पास करने में विफल रहता है, तो इंजीनियर निम्नलिखित के लिए अधिकृत होगा:

(क) उप-खंड 7.11.4 के अंतर्गत निर्माणकार्य पूरा होने पर किए गए परीक्षण को आगे पुन: कराए जाने के लिए आदेश दे सकता है;

(ख) निर्माणकार्य, अथवा उसका किसी भाग, अथवा खंड (जो भी स्थिति हो) को अस्वीकार कर सकता है, और ऐसी स्थिति में नियोक्ता संविदाकार के खिलाफ खंड 13 में यथाउपबंधित कार्रवाई कर करेगा; अथवा

(ग) यदि नियोक्ता आवश्यक समझे तो टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी करेगा। संविदा का मूल्य ऐसी राशि के बराबर कम कर दिया जाएगा जो इंजीनियर द्वारा यथानिर्धारित की गई हो और जो इस विफलता के फलस्वरूप नियोक्ता के कम मूल्य को कवर करने के लिए उचित हो। तत्पश्चात् संविदाकार संविदा के अंतर्गत अपने अन्य दायित्वों के अनुरूप आगे कार्य करेगा।

एकीकृत परीक्षण और प्रणाली (सिस्टम) की कमीशनिंग

7.12

एकीकृत परीक्षण 7.12.1 कार्य पूरा होने पर किए जाने वाले परीक्षणों में, संविदा की शर्तों के अनुसार जहाँ लागू हों वहां, एकीकृत परीक्षण भी सम्मिलित होंगे । संविदाकार अपने निर्माणकार्य, उपकरण, उप-प्रणालियों या प्रणाली पर परीक्षणों के संतोषजनक तरीके से पूरा होने के बाद इंजीनियर के निर्देश पर अन्य लोगों के निर्माणकार्य, उपकरण, उप-प्रणालियों या प्रणाली के साथ अपने निर्माणकार्य, उपकरण, उप-प्रणालियों या प्रणाली को सत्यापित करने और उसकी सुसंगतता की पुष्टि करने तथा संपूर्ण कार्यनिष्पादन के लिए परीक्षण करके दिखाएगा।

परीक्षण के परिणामों का संकलन 7.12.2 एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग के परिणामों का इंजीनियर और संविदाकार द्वारा संकलन और मूल्यांकन किया जाएगा।

पुन:परीक्षण 7.12.3 यदि निर्माणकार्य, अथवा उसका कोई भाग, अथवा कोई खंड एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग को पास करने में विफल रहता है, तो इंजीनियर ऐसे विफल परीक्षणों को उन्हीं शर्तों और निबंधनों के अंतर्गत दोबारा करवाएगा। यदि ऐसी विफलता और पुन:परीक्षण संविदाकार की चूक के कारण होता है और इससे नियोक्ता को अतिरिक्त लागत आती है तो नियोक्ता द्वारा उसे संविदाकार से वसूल किया जा सकेगा और नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय, अथवा देय होने वाली किसी राशि से उसकी कटौती की जा सकेगी।

परीक्षण पास करने में विफलता 7.12.4 यदि निर्माणकार्य, अथवा उसका कोई भाग, अथवा कोई खंड एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग को पास करने में विफल रहता है और इसके बाद संविदाकार उस निर्माणकार्य, अथवा उसके किसी भाग, अथवा किसी खंड में कोई समायोजन या सुधार करने का प्रस्ताव करता है तो इंजीनियर नियोक्ता के अनुमोदन से संविदाकार को ऐसे समय के भीतर , जिसे नियोक्ता/इंजीनियर उचित समझे,उसकी लागत पर ऐसा समायोजन या सुधार करने और एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए कह सकता है।

सांविधिक आवश्यकताएं 7.12.5 प्रणाली को यात्रियों के आवागमन के लिए खोलने हेतु सक्षम प्राधिकरण की यथाआवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए संविदाकार अन्य लोगों के साथ इंजीनियर की निगरानी में सभी परीक्षण और ट्रायल्स करेगा।

8 समय प्रबंधन

निर्माणकार्य का 8.1 संविदाकार स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख को निर्माणकार्य प्रारंभ करेगा

प्रारंभ

अथवा यदि स्वीकृति पत्र में कोई तारीख विनिर्दिष्ट नहीं है, तो इंजीनियर से प्राप्त लिखित आदेश(कार्य प्रारंभ करने के लिए नोटिस) में विनिर्दिष्ट तारीख को निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा । तत्पश्चात् संविदाकार निर्माणकार्य के कार्यक्रम अथवा किसी संशोधित या परिवर्तित कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित कर्मठता के साथ शीघ्र कार्य प्रारंभ करेगा । संविदा में समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा और कार्य पूरा करने की अवधि इस खंड के अंतर्गत संविदाकार द्वारा निर्माणकार्य प्रारंभ किए जाने की तारीख से शुरू होगी।

जब तक इंजीनियर द्वारा नियोक्ता की जरूरत के अनुसार संबंधित वर्किंग ड्रॉइंग्स की पुष्टि नहीं की जाती है तब तक संविदाकार निर्माणकार्य या उसके किसी भाग का निर्माण, विनिर्माण अथवा संस्थापन प्रारम्भ नहीं करेगा ।

कार्य पूरा करने के लिए समय 8.2

संविदा में समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और यह संविदा की बढ़ाई गई अवधि सहित संविदा लम्बित रहने के दौरान हर समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना रहेगा । संविदाकार दोषरहित कार्य पूरा करना सुनिश्चित करेगा और सम्पूर्ण निर्माणकार्य और/या उसके किसी भाग को नियोक्ता द्वारा टेक-ओवर किए जाने से पहले एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग सहित निर्माणकार्य पूरा होने पर किए जाने वाले परीक्षणों को पास करेगा ।

विलम्ब 8.3

संविदाकार की ओर से विलम्ब होने की स्थिति में संविदाकार द्वारा खंड 8.5 के अनुसार नियोक्ता को निर्णीत हर्जाने का भुगतान करना होगा और उसको हुए किसी अन्य नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी । इससे संविदा रद्द किए जाने के नियोक्ता के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नियोक्ता अथवा इंजीनियर संविदाकार को निर्माणकार्य, अथवा उसके किसी भाग को कार्य करने के लिए आवश्यक साइट हैंड-ओवर करने, अथवा निर्माणकार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक नोटिस देने, आवश्यक ड्रॉइंग्स या अनुदेश या स्पष्टीकरण देने अथवा किसी सामग्री, संयंत्र या मशीनरी की आपूर्ति करने जिसकी संविदा के अंतर्गत नियोक्ता की जिम्मेदारी है, में विफल रहता है या विलम्ब करता है तो इससे संविदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अथवा उसे रद्द नहीं किया जाएगा अथवा उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा; अथवा इससे हुए नुकसान या उसकी क्षतिपूर्ति के लिए संविदाकार हकदार नहीं होगा परन्तु ऐसे किसी मामले में इंजीनियर संविदा के अंतर्गत कार्य पूरा करने की समय अवधि को इतना आगे बढ़ाएगा जो उसकी राय में उचित हो ।

निर्माणकार्य पूरा करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाना 8.4

समयसीमा को आगे बढ़ाना 8.4.1 यदि निम्नलिखित किसी कारण से निर्माणकार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय से पहले या बाद में कार्य करने में कोई विलम्ब होता है तो संविदाकार निर्माणकार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय को आगे बढ़ाए जाने के लिए आवेदन करेगा:

क. **खंड 16** में उल्लिखित "अप्रत्याशित घटना"

ख. संविदा के अनुसार साइट का कब्जा न दिए जाने या उसे सुलभ न कराए जाने के कारण संविदाकार के कार्य में रुकावट आना

ग. इंजीनियर द्वारा निर्माणकार्य को आस्थगित करने का आदेश देना और आस्थगन का कारण संविदाकार की चूक न होना

घ. कार्य करने में अन्य निर्दिष्ट संविदाकारों के कृत्य या चूक जो इस संविदा में सम्मिलित नहीं है और जिनके कार्यनिष्पादन पर संविदाकार का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से निर्भर है

ङ. नियोक्ता द्वारा संविदा के निरोध या उल्लंघन का कोई कृत्य जो इस खंड में उल्लिखित नहीं है

च. न्यायालय का कोई आदेश जो संविदाकार के कार्यनिष्पादन को पूर्णरूप से या उसके किसी भाग को अवरुद्ध करता है

छ. कोई अन्य घटना या परिघटना जो नियोक्ता के अनुसार संविदाकार की विफलता या चूक के कारण नहीं हुई है, और यह उसके नियंत्रण के बाहर है और उसके लिए नियोक्ता भी जिम्मेदार नहीं है

ज. नियोक्ता द्वारा घटबढ़ किया जाना ।

तथापि, संविदाकार कोई समय-सीमा बढ़ाए जाने का हकदार नहीं होगा यदि नियोक्ता अथवा इंजीनियर के अनुदेश या कृत्य संविदाकार की किसी चूक अथवा संविदा के उल्लंघन को सुधारने के इरादे से किए गए हों अथवा यदि विलम्ब निम्नलिखित किसी कारण से हो:

क. निर्धारित समय में कार्य प्रारंभ करने या कार्य करने में उपसंविदाकार की विफलता,

ख. संविदाकार के उपकरणों, मजदूरों, जनोपयोगी सेवाओं, संयंत्र और सामग्री की अनुपलब्धता या कमी,

ग. खराब मौसम, और

घ. उपखंड 4.4 के अंतर्गत संविदाकार द्वारा अपने दायित्व पूरे न करना।

यदि संविदाकार स्वयं को कार्य पूरा करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाए जाने का हकदार समझता है तो वह यथाशीघ्र इंजीनियर को इस आशय का नोटिस देगा और किसी घटना जिसके कारण विलम्ब हो रहा है, के प्रारंभ होने के 28 दिन के भीतर नोटिस देगा और संविदा एवं उक्त संबंधित खंड के अनुसार अपेक्षित किसी नोटिस के साथ विलम्ब के अंतिम दिन के 21 दिन के भीतर अपने आवेदन के समर्थन में पूरा और अंतिम ब्यौरा देगा।

इंजीनियर निर्माणकार्य पूरा करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाए जाने के लिए सहमत होने अथवा भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से यथोचित समय निर्धारित करने के लिए उप-खंड 3.5 के अनुसार आगे कार्यवाही करेगा। इंजीनियर तद्नुसार संविदाकार को सूचित करेगा। प्रमुख तारीख सहित समय-सीमा को आगे बढ़ाए जाने से संविदाकार उस अग्रिम राशि को रखने का हकदार नहीं होगा जो खंड 11.2 के अनुसार नियंत्रित होगी।

अन्य कारणों से कार्य पूरा करने के समय-सीमा को आगे बढ़ाना

8.4.2 संविदाकार निर्माणकार्य करने में किसी क्रियाकलाप में विलम्ब होने के कारण समय-सीमा को तब तक आगे बढ़ाए जाने का हकदार नहीं होगा जब तक कि इंजीनियर की राय में ऐसे विलंब से निर्माणकार्य पूरा होने अथवा संबंधित प्रमुख तारीख(की-डेट) को किसी चरण की उपलब्धि में विलंब होता है अथवा विलंब होने की संभावना हो। किसी विलम्ब के कारण संविदाकार द्वारा किसी माइल्स्टोन को प्राप्त करने में विफल रहना या न रहना ही संविदाकार को समय-सीमा को आगे बढ़ाए जाने का हकदार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

किसी प्रमुख तारीख को आगे बढ़ाए जाने से ही संविदाकार किसी अन्य प्रमुख तारीख को आगे बढ़ाए जाने का हकदार नहीं बन जाएगा।

संविदाकार द्वारा विलंब किए जाने के कारण समय-सीमा को आगे बढ़ाना

8.4.3 यदि संविदाकार की विफलता या चूक के कारण सम्पूर्ण निर्माणकार्य अथवा निर्माणकार्य के किसी भाग, जिसे पूरा करने के लिए पूर्व में अवधि निर्धारित की गई है, को पूरा करने में कोई विलम्ब होता है, और इंजीनियर का यह विचार है कि शेष निर्माणकार्य अथवा निर्माणकार्य के किसी भाग को संविदाकार द्वारा उचित और स्वीकार्य समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सकता है तो इंजीनियर अपने निर्णय के अनुसार संविदाकार को कार्य पूरा करने के लिए निर्णीत हर्जाने सहित अथवा उसके बिना अपने विवेक से समयसीमा आगे बढ़ाए जाने अथवा और आगे बढ़ाए जाने की अनुमति दे सकता है।

विलम्ब के लिए निर्णीत हर्जाना

8.5 संविदा में समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । संविदा प्रपत्र के परिशिष्ट में किसी निर्माणकार्य और उसके किसी चरण के संबंध में कुल संविदा मूल्य का वह प्रतिशत सम्मिलित होगा जो निर्माणकार्य को पूरा करने अथवा एक विशिष्ट तारीख को किसी चरण की उपलब्धि में विलम्ब के लिए निर्णीत हर्जाने के रूप में संविदाकार से वसूल किया जा सकेगा । तथापि, सभी चरणों के निर्माणकार्य के संबंध में निर्णीत हर्जाने की कुल राशि निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट में उल्लिखित निर्णीत हर्जाने की राशि से अधिक नहीं होगी । तथापि, उपर्युक्त निर्णीत हर्जाने में निर्दिष्ट संविदाकारों को संविदाकार की ओर से किए गए विलम्ब के कारण नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट संविदाकारों को देय राशि सम्मिलित नहीं होगी, यह राशि इस खंड के अंतर्गत देय किसी निर्णीत हर्जाने की राशि के अतिरिक्त संविदाकार से वसूल की जा सकेगी जिसकी अधिकतम सीमा निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट 1 के उपबंधों के अंतर्गत लगाए गए निर्णीत हर्जाने की राशि सहित संविदा मूल्य की 15 प्रतिशत है ।

नियोक्ता द्वारा निर्णीत हर्जाने की राशि संविदाकार से विलम्ब के लिए वसूल की जाएगी न कि जुर्माने के रूप में ।

नियोक्ता वसूली की किसी अन्य विधि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदाकार को देय या देय होने वाली किसी राशि से ऐसे हर्जाने की राशि की कटौती कर सकता है । उप-खंड 8.3 के अंतर्गत समय-सीमा को बढ़ाए जाने की स्थिति में इस उप-खंड के अंतर्गत देय राशि की पुन: गणना की जाएगी और यदि अधिक भुगतान किया गया है तो उसको वापस किया जाएगा । ऐसे हर्जाने के भुगतान या कटौती किए जाने से संविदाकार संविदा के अंतर्गत निर्माणकार्य पूरा करने के अपने दायित्वों, अथवा अपने किन्हीं अन्य कर्तव्यों, दायित्वों या जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होगा ।

संविदाकार निर्माणकार्य, अथवा किसी संबंधित चरण में और अधिक विलम्ब से बचने या उसे कम करने के लिए अपना भरपूर प्रयास करेगा और प्रयास करना जारी रखेगा ।

नियोक्ता को निर्णीत हर्जाना वसूल करने के लिए अधिकृत हो जाने के बाद इंजीनियर उप-खंड 13.1 के अंतर्गत संविदाकार को नोटिस देगा और संविदाकार को विनिर्दिष्ट उचित समय के भीतर निर्माणकार्य पूरा करने के लिए कहेगा । ऐसी कार्रवाई इस उप-खंड के अंतर्गत निर्णीत हर्जाने को वसूल करने और उप-खंड 13.2 के अंतर्गत संविदा समाप्त करने के संबंध में नियोक्ता के अधिकारों पर कोई

प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

इस उप-खंड के अंतर्गत संविदाकार द्वारा देय क्षतिपूर्ति के संबंध में इंजीनियर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

कार्य प्रगति की दर 8.6 यदि किसी कारण से जोकि संविदाकार को समय-सीमा को आगे बढ़ाए जाने का हकदार बनाता है, इंजीनियर की राय में किसी समय निर्माणकार्य की प्रगति की दर इतनी धीमी है कि संबंधित निर्धारित तारीख तक निर्माणकार्य पूरा नहीं किया जा सकता है अथवा किसी चरण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो इंजीनियर लिखित में संविदाकार को इस संबंध में सूचित करेगा । तत्पश्चात् संविदाकार यथाआवश्यक कदम उठाएगा, अथवा ऐसे कदम उठाने में विफल रहने पर कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए इंजीनियर द्वारा लिखित में यथानिर्देशित कदम उठाएगा ताकि संबंधित निर्धारित तारीख तक निर्माणकार्य अथवा उसका कोई खंड पूरा हो सके अथवा किसी चरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । संविदाकार ऐसे कदम उठाने के लिए किसी अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा।

यदि इस उप-खंड के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए संविदाकार द्वारा उठाए किसी कदम से नियोक्ता को अतिरिक्त लागत आती है तो ऐसी लागत नियोक्ता द्वारा संविदाकार से वसूल की जा सकेगी, और नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय अथवा देय होने वाली किसी राशि से उसकी कटौती की जा सकेगी।

यदि इंजीनियर की राय में कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए संविदाकार द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं तो इंजीनियर इस संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 13.2.4 के अनुसार उपाय कर सकेगा।

निर्माणकार्य को आस्थगित करना 8.7 इंजीनियर किसी भी समय संविदाकार को संपूर्ण निर्माणकार्य या उसके किसी भाग की प्रगति को आस्थगित करने के लिए कह सकता है । आस्थगन के दौरान संविदाकार ऐसे भाग या संपूर्ण निर्माणकार्य को किसी ह्रास, हानि या टूट-फूट से बचाएगा।

आस्थगन के परिणाम 8.8 संविदाकार पर कार्य की आस्थगन अवधि के दौरान अतिरिक्त लागत(यदि कोई हो) आती है तो वह उसका हकदार नहीं होगा, यदि ऐसा आस्थगन:

क. संविदा में उपबंधित हो, अथवा,

ख. निर्माणकार्य को उचित तरीके से करने के लिए आवश्यक हो अथवा मौसम की स्थिति के कारण आवश्यक हो अथवा संविदाकार की किसी

चूक के कारण आवश्यक हो, अथवा

ग. निर्माणकार्य अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, अथवा

घ. निकटस्थ सार्वजनिक या अन्य संपत्ति की सुरक्षा अथवा जनता या कामगारों या साइट पर मौजूद रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, अथवा

ङ. यातायात और जनोपयोगी सुविधाओं की सुरक्षा के लिए और उसमें बाधा से बचने के लिए और किसी क्षतिग्रस्त जनोपयोगी सुविधा की शीघ्र मरम्मत करने और पूर्वस्थिति में लाने के लिए आवश्यक हो,

यदि इंजीनियर द्वारा **उप-खंड 8.8** में उल्लिखित कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से आस्थगन का आदेश दिया जाता है तो संविदाकार के हक नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे:

आस्थगन अवधि	समय-सीमा का विस्तार	आस्थगन अवधि के लिए क्षतिपूर्ति	टिप्पणी
14 दिन तक	नहीं	नहीं	इंजीनियर असाधारण परिस्थितियों में अपने विवेक से समय-सीमा को आगे बढ़ा सकता है
15 से 30 दिन	हाँ	नहीं	समयसीमा को आगे बढ़ाना जितना कि इंजीनियर द्वारा उचित समझा जाए
30 दिन से अधिक	हाँ	• खाली बैठे मजदूरों/ कर्मचारियों के लिए दैनिक मजदूरी की दर के अनुसार • निष्क्रिय संयंत्र और मशीनरी के किराए के प्रभार का 70%(ईंधन और लुब्रीकेंट्स की लागत को छोड़कर) • उपरिलागत को कवर करने के लिए इन सभी	इंजीनियर की संतुष्टि के लिए संविदाकार द्वारा दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने पर इंजीनियर द्वारा यथानिर्धारित क्षतिपूर्ति

		मदों पर 15%	
90 दिन से अधिक, यदि संविदाकार संविदा को समयपूर्व समाप्त करने का अनुरोध करे	नहीं	खंड 13.3.4 के अनुसार	संविदाकार संविदा को समाप्त करने, अथवा संविदा से निर्माणकार्य के उस भाग को हटाने के लिए अनुरोध कर सकता है जिसे आस्थगित किया गया है ।

निर्माणकार्य पुन: आरंभ करना

8.9 निर्माणकार्य आरंभ करने की अनुमति या अनुदेश प्राप्त होने के पश्चात् संविदाकार इंजीनियर को नोटिस देकर, इंजीनियर के साथ मिलकर आस्थगन द्वारा प्रभावित निर्माणकार्य, संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक और सामग्री की जांच करेगा । संविदाकार आस्थगन के दौरान निर्माणकार्य, संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक और सामग्री में हुए ह्रास अथवा कमी को दूर करेगा ।

9 नियोक्ता द्वारा टेकिंग-ओवर

टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र

9.1 जब संविदा के अनुसार निर्माणकार्य पूरा हो गया हो और उसने संविदा के अनुसार एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग, जहाँ लागू हों, सहित निर्माणकार्य पूरा होने पर किए जाने वाले परीक्षण पास कर लिए हों तो नियोक्ता द्वारा निर्माणकार्य को टेक-ओवर किया जाएगा और उसके लिए टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । यदि निर्माणकार्य को खंडों में विभाजित किया गया है तो संविदाकार प्रत्येक खंड के लिए टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए हकदार होगा ।

संविदाकार इंजीनियर को नोटिस देकर टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है, ऐसा नोटिस संविदाकार की राय में निर्माणकार्य या उसका खंड(जैसी भी स्थिति हो) जिस तारीख को पूरा और टेकिंग-ओवर के लिए तैयार हो जाएगा, उसके 14 दिन से पहले नहीं दिया जाएगा । इंजीनियर संविदाकार के आवेदन की प्राप्ति के 28 दिन के भीतर संविदा में अभिनिर्धारित कोई परीक्षण कराने सहित संपूर्ण निर्माणकार्य का संयुक्त सर्वेक्षण करेगा तथा कमियों और बकाया कार्य की सूची तैयार करेगा और:

(क) यदि कमियां और/या बकाया निर्माणकार्य इतना छोटा-मोटा है कि जिस प्रयोजन के लिए निर्माणकार्य अथवा उसका खंड बनाया गया है, उसके

उपयोग और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है तो संविदा के अनुसार संविदाकार को टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें निर्माणकार्य अथवा खंड पूरा होने तारीख और कार्य पूरा होने पर किए गए परीक्षण तथा एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग का ब्यौरा सम्मिलित होगा । टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र के साथ ऐसे निर्माणकार्य की सूची और प्रत्येक कार्य को पूरा करने की लक्षित तारीख का ब्यौरा संलग्न किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर इन सभी निर्माणकार्यों को पूरा करने/कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी और इसमें किसी विफलता को इंजीनियर द्वारा पूर्व में जारी किए गए टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए एक कारण माना जा सकता है; अथवा

(ख) आवेदन अस्वीकार करेगा और इसका कारण बताएगा तथा उस कार्य का उल्लेख करेगा जिसे टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए संविदाकार द्वारा किया जाना आवश्यक होगा । तत्पश्चात् संविदाकार इस उप-खंड के अंतर्गत और नोटिस जारी करने से पहले ऐसे कार्य को पूरा करेगा।

निर्माणकार्य के भागों का टेकिंग-ओवर

9.2 इंजीनियर ऊपर खंड 9.1 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थायी निर्माणकार्य के किसी भाग के लिए केवल नियोक्ता के विवेक पर टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी कर सकता है यदि:

(क) यदि नियोक्ता संपूर्ण निर्माणकार्य के लिए टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले निर्माणकार्य के उस भाग का उपयोग राजस्व सेवा के लिए करता है।

(ख) शेष भाग पूरा न होने में संविदाकार की कोई चूक नहीं है और पूरा हो चुके भाग के लिए संविदा में पूरा करने के लिए निर्धारित तारीख निकल चुकी है।

10 कमियां दूर करने की जिम्मेदारी

बकाया कार्य को पूरा करना और कमियों को दूर करना

10.1 "कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि" का अर्थ संविदा की विशेष शर्तों में उल्लिखित कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि होगी जिसकी गणना निर्माणकार्य को टेक-ओवर किए जाने की तारीख से होगी । परन्तु, यदि निर्माणकार्य के किसी भाग या उप-प्रणाली या उस भाग के किसी टुकड़े को प्रतिस्थापित, नवीकृत अथवा छोटी-मोटी मरम्मत के सिवाय मरम्मत किया गया हो तो उस भाग या उप-प्रणाली या उस भाग के किसी टुकड़े के संबंध में "कमियां

दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि" इंजीनियर की संतुष्टि तक ऐसे प्रतिस्थापन, नवीकरण अथवा मरम्मत पूरी होने की तारीख से प्रारंभ होगी।

इसलिए कि निर्माण और/या विनिर्माण संबंधी दस्तावेज और निर्माणकार्य संविदा के अनुसार अपेक्षित स्थिति में हों (थोड़ी टूट-फूट स्वीकार की जा सकती है), संविदाकार संविदा अवधि समाप्त हो जाने के बाद कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि के दौरान नियोक्ता अथवा इंजीनियर के लिखित अनुदेशानुसार यथाशीघ्र संशोधन, पुनर्निर्माण, और कमियां या टूट-फूट दूर करने के सभी कार्य करेगा।

कमियां दूर करने की लागत 10.2 उप-खंड 10.1 में उल्लिखित सभी कार्य संविदाकार द्वारा अपनी लागत पर किए जाएंगे, यदि ऐसे कार्य की आवश्यकता निम्नलिखित कारण से होती है:

(क) निर्माणकार्य की डिजाइन ठीक नहीं है;

(ख) संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक, सामग्री या कार्यकुशलता संविदा के अनुरूप नहीं है; अथवा

(ग) संविदाकार अपने किसी दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है।

यदि इंजीनियर की राय में ऐसी आवश्यकता किसी अन्य कारण से है तो वह नियोक्ता की अनुमति से संविदा के मूल्य में समायोजन करेगा और तद्नुसार संविदाकार को सूचित करेगा। इस स्थिति में ऐसे कार्य के लिए उप-खंड 12.3 लागू होगा।

संविदा अवधि को आगे बढ़ाना 10.3 निर्माणकार्य को टेक-ओवर किए जाने के बाद यदि किसी कमी या टूट-फूट के कारण संविदा अवधि को एक अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा तो उस अवधि के दौरान निर्माणकार्य या उसके किसी खंड अथवा संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक की किसी चीज को उस प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता है जिसके लिए उसे बनाया गया है।

यदि उप-खंड 8.7 के अंतर्गत किसी संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक, और/या सामग्री की डिलिवरी, अथवा संयंत्र लगाने का कार्य, अथवा सामग्री संस्थापित किए जाने का कार्य आस्थगित कर दिया गया है तो इस उप-खंड के अंतर्गत संविदाकार के दायित्व संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक, और/या सामग्री को डिलीवर करने, लगाने और टेक-ओवर करने के तीन वर्ष बाद होने वाली किसी कमी या टूट-फूट पर लागू नहीं होंगे।

कमियां दूर करने में विफल रहना

10.4 यदि संविदाकार किसी कमी या टूट-फूट को उस समय, जिसे नियोक्ता/इंजीनियर उचित समझे, के भीतर दूर करने में विफल रहता है तो नियोक्ता अथवा इंजीनियर एक तारीख निर्धारित कर सकता है, उस तारीख को या उस तारीख तक उस कमी या टूट-फूट को दूर करना होगा और वह इस तारीख के संबंध में संविदाकार को उचित नोटिस देगा । यदि संविदाकार उस तारीख तक उस कमी या टूट-फूट को दूर करने में विफल रहता है और ऐसे कार्य की आवश्यकता उप-खंड 10.2(क), (ख) अथवा (ग) में उल्लिखित किसी कारण से है तो नियोक्ता(अपने विवेकाधिकार से):

(क) संविदाकार के जोखिम और लागत पर और उचित तरीके से स्वयं कार्य करेगा अथवा किसी अन्य से करवाएगा परन्तु ऐसे कार्य के लिए संविदाकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । इस कमी या टूट-फूट को दूर करने में आई अपनी लागत को नियोक्ता संविदाकार से वसूल कर सकता है;

(ख) इंजीनियर को संविदा मूल्य में से उचित कटौती निर्धारित करने और प्रमाणित करने के लिए कह सकता है; अथवा

(ग) यदि यह कमी या टूट-फूट ऐसी है कि नियोक्ता निर्माणकार्य अथवा उसके किसी भाग का पूरा लाभ लेने से वंचित रह गया है तो वह निर्माणकार्य के ऐसे भागों के संबंध में संविदा को समाप्त कर सकता है क्योंकि ऐसे निर्माणकार्य को अपने अभीष्ट उपयोग में नहीं लाया जा सकता है । तत्पश्चात् नियोक्ता निर्माणकार्य के ऐसे भागों के लिए भुगतान की गई सभी धनराशियों और निर्माणकार्य की डिस्मैंटलिंग, साइट से हटाने और संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक और सामग्री को संविदाकार को वापस करने की लागत वसूल करने का हकदार होगा, और इसमें उप-खंड 13 लागू नहीं होगा ।

दोषपूर्ण कार्य को हटाना

10.5 यदि कोई कमी या टूट-फूट ऐसी है कि इसे साइट पर शीघ्र दूर नहीं किया जा सकता है और यदि नियोक्ता सहमति देता है तो संविदाकार निर्माणकार्य के कमी या टूट-फूट वाले किसी भाग को मरम्मत के लिए साइट से हटा सकता है । उक्त सहमति से संविदाकार इन वस्तुओं के प्रतिस्थापित किए जाने की पूरी लागत के बराबर कार्यनिष्पादन प्रतिभूति की राशि बढ़ाएगा अथवा नियोक्त द्वारा स्वीकार्य अन्य उचित प्रतिभूति प्रदान करेगा ।

आगे और परीक्षण

10.6 यदि किसी कमी या टूट-फूट को इस प्रकार दूर किया गया है कि इससे निर्माणकार्य का निष्पादन प्रभावित हो सकता है तो इंजीनियर एकीकृत परीक्षण सहित

निर्माणकार्य पूरा होने पर किए जाने वाले परीक्षणों को जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार दोबारा करा सकता है। ऐसी कमी या टूट-फूट ठीक किए जाने के बाद 28 दिन के भीतर नोटिस देकर परीक्षणों की आवश्यकता के बारे में बताया जाएगा। उक्त परीक्षण खंड 7.11 के अनुसार करवाए जाएंगे।

पहुँच का अधिकार 10.7 जब तक कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है तब तक निर्माणकार्य के प्रचालन के जिम्मेदार संगठन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए किसी उचित प्रतिबंध के असंगत होने के सिवाय निर्माणकार्य के सभी भागों और वर्किंग के रिकॉर्डों तथा निर्माणकार्य के निष्पादन तक संविदाकार का पहुँच का अधिकार होगा।

संविदाकार द्वारा कमी का पता लगाना 10.8 यदि इंजीनियर आवश्यक समझे तो संविदाकार इंजीनियर के निर्देशानुसार किसी कमी का पता लगाएगा । जब तक कि कमी ऐसी न हो कि जिसके लिए संविदाकार जिम्मेदार है, ऐसी कमी का पता लगाने की लागत संविदा मूल्य में जोड़ी जाएगी।

कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र 10.9 संविदा तब तक पूरी हुई नहीं मानी जाएगी जब तक कि इंजीनियर द्वारा कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते और उसे कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि समाप्त होने पर संविदाकार को सौंप नहीं दिया जाता, इस प्रमाणपत्र में उस तारीख का उल्लेख किया जाएगा जिसको संविदाकार ने निर्माणकार्य को पूरा करने से संबंधित अपने दायित्व पूरे कर दिए हों और कमियां दूर करने की जिम्मेदारी की अवधि के दौरान इंजीनियर के संतुष्ट होने तक कमियों को दूर कर दिया गया हो । केवल कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र को ही निर्माणकार्य का अनुमोदन माना जाएगा।

पूरे न किए गए दायित्व 10.10 कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद संविदाकार और नियोक्ता उस दायित्व को पूरा करने के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे जिसे उस समय पूरा नहीं किया गया है। ऐसे किसी दायित्व के स्वरूप और सीमा को निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु संविदा को लागू रहना माना जाएगा।

आपात स्थिति में कमी को दूर करना 10.11 यदि कोई कमी या टूट-फूट ऐसी है कि सुरक्षा, पर्यावरण या प्रचालन की दृष्टि से उस पर तुरंत ध्यान दिया जाना आवश्यक है तो इंजीनियर को किसी उपयुक्त तरीके से कमी दूर करने तथा इस पर आई लागत का संविदा मूल्य से कटौती करने का अधिकार होगा।

11 संविदा मूल्य और भुगतान

संविदा मूल्य समावेशन (इन्क्लूशन)/ अपवर्जन (इक्स्क्लूशन)

11.1

11.1.1 i) जब तक कि संविदा की विशेष शर्तों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो संविदा के मूल्य में संविदा के अनुरूप उसमें किए गए किसी समायोजन के अध्यधीन सभी कर समावेशित होंगे (सभी करों, शुल्कों, अधिशुल्कों आदि सहित) परन्तु इसमें यदि दिल्ली में कार्य किया गया है तो दिल्ली वैट अधिनियम 2005 के अंतर्गत भुगतान किया गया मूल्य वर्द्धित कर (वैट) और यदि किसी अन्य राज्य में कार्य किया गया है तो उस राज्य सरकार के वैट अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किया गया मूल्य वर्द्धित कर (वैट) सम्मिलित नहीं होगा।

ii) जब तक कि संविदा की सामान्य अथवा विशेष शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो तब तक उस समय लागू किसी भी कानून के विपरीत कोई भी उपबंध होने के बावजूद 'कोट' की गई दरों से अधिक कुछ भी अतिरिक्त देय नहीं होगा।

iii) किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति (इस उप-खंड के अनुसार) केवल स्थायी निर्माणकार्य के लिए की जाएगी। अस्थायी निर्माणकार्य और ईंधन के लिए कोई प्रतिपूर्ति (इस उप-खंड के अनुसार) नहीं की जाएगी।

रिकॉर्ड रखना और छूट प्राप्त करना

11.1.2 i) यदि निर्माणकार्य के संबंध में सरकार द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सीएसटी/वैट या अन्य किसी उपकर/लेवी की छूट प्रदान की जा रही है तो इसका लाभ नियोक्ता को अंतरित किया जाएगा। इसलिए संविदाकार भुगतान किए गए सभी करों और शुल्कों का पूरा रिकॉर्ड रखेगा और नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराएगा ताकि नियोक्ता प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सके, इसके लिए डीएमआरसी अलग से प्रक्रिया संबंधी आदेश जारी करेगा। विकल्प के तौर पर, नियोक्ता संविदाकार को छूट संबंधी प्रमाणपत्रों/सरकार के आदेश के आधार पर प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कह सकता है और यह संविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि वह सांविधिक प्राधिकरणों से प्रतिपूर्ति प्राप्त करे और उसका लाभ डीएमआरसी को अंतरित करे।

ii) यदि संविदाकार उपरोक्त छूट प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसके बराबर राशि संविदाकार को देय राशि में से वसूल की जाएगी।

संविदा मूल्य में

11.1.3 मंहगाई के कारण संविदा मूल्य में समायोजन केवल तभी किया जाएगा यदि

समायोजन

संविदा की विशेष शर्तों में "प्राइस वेरिएशन फॉर्मूला" दिया गया है अन्यथा यह एक नियत मूल्य की संविदा होगी।

करों/शुल्क में परिवर्तन

11.1.4 जब तक कि संविदा की विशेष शर्तों में अन्यथा उल्लेख न हो, निविदा जमा करने की तारीख से संविदा अवधि आगे बढ़ाए जाने की तारीख सहित संविदा के पूरा होने की तारीख तक करों, शुल्कों, लेवी में कोई परिवर्तन होने के फलस्वरूप लागत में वृद्धि या कमी होने के कारण संविदा मूल्य में समायोजन नहीं किया जाएगा।

अग्रिम **11.2**

संग्रहण अग्रिम (मोबिलाइजेशन एडवांस)

11.2.1 संग्रहण अग्रिम सामान्यतया प्रारंभिक संविदा मूल्य का 5 प्रतिशत होगा जो दो बराबर किस्तों में देय होगा अथवा संविदा की विशेष शर्तों में यथाउल्लिखित होगा और संविदा की विशेष शर्तों में यथाविनिर्दिष्ट एक अथवा दो बराबर किस्तों में देय होगा। पहली किस्त का भुगतान संग्रहण शुरू होने के बाद किया जाएगा और अगली किस्त का भुगतान पहली किस्त का संतोषजनक उपयोग किए जाने के बाद किया जाएगा।

भारत के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा स्वीकार्य बैंक गारंटी से संग्रहण अग्रिम का ब्याजमुक्त भुगतान किया जाएगा। 50 प्रतिशत संग्रहण अग्रिम राशि वसूल किए जाने के बाद संविदाकार के पास वसूल की गई राशि के बराबर संग्रहण अग्रिम के लिए बैंक गारंटी को एक बार कम करने का विकल्प होगा।

संयंत्र और मशीनरी पर अग्रिम

11.2.2 संयंत्र और मशीनरी पर अग्रिम सामान्यतया प्रारंभिक संविदा मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा संविदा की विशेष शर्तों में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

यह अग्रिम संयंत्र, उपकरण और मशीनरी पर देय होगा बशर्ते कि वे साइट पर पहुँच चुके हों अथवा नई चीजों के मामले में जोकि विशिष्ट रूप से वर्क फर्म के लिए हैं, उनके लिए क्रय आदेश देने और बीजक(इनवॉइस) प्राप्त होने पर देय होगा। यह अग्रिम केवल तभी दिया जाएगा यदि संयंत्र/मशीनरी इस संविदा के लिए खरीदे गए हों और न कि उनके लिए जो संविदाकार के पास पहले से मौजूद हैं। इंजीनियर द्वारा संयंत्र और मशीनरी का मूल्यनिर्धारण निम्नवत् किया जाएगा:

क. नई वस्तुएं	: क्रय मूल्य का 80 प्रतिशत
ख. उपयोग की गई वस्तुएं चालू हालत में	: इंजीनियर द्वारा यथानिर्धारित अवमूल्यित मूल्य का 80 प्रतिशत
ग. 25,000 रुपए प्रति इकाई	: विचार नहीं किया जाएगा

से कम मूल्य की वस्तुएं

संयंत्र और मशीनरी के लिए कुल अग्रिम राशि 5 प्रतिशत तक सीमित होगी। यह भी ब्याजमुक्त अग्रिम होगा।

अग्रिम के लिए लिखित अनुरोध

11.2.3 संविदाकार द्वारा नियोक्ता से केवल लिखित अनुरोध किए जाने पर ही यथास्वीकार्य अग्रिम देय होगा।

अग्रिम की वसूली

11.2.4

क. निर्माणकार्य के प्रारंभिक संविदा मूल्य का 20 प्रतिशत भुगतान किए जाने के बाद अग्रिम की वसूली शूरू हो जाएगी और संविदा मूल्य का 85 प्रतिशत भुगतान किए जाने पर अथवा निर्माणकार्य पूरा होने की मूल तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, तक वसूली पूरी हो जाएगी। जहां तक संभव हो, अग्रिम की वसूली एकाउंट बिल के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी।

ख. प्रारंभिक संविदा मूल्य का 40 प्रतिशत भुगतान किए जाने के बाद कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

ग. संविदाकार के पास वसूली को पूर्वनिर्धारित तिथि से पहले शुरू और/या पूरी करवाने, और/या उच्च राशि की वसूली को किस्तों मे देने और अग्रिम के किसी अंश या पूरे अग्रिम को 'ऑन-एकाउंट' बिल के जरिए चुकता करने की बजाय सीधे भुगतान द्वारा चुकता करने का हमेशा विकल्प रहेगा।

अग्रिम चुकता करने में विलम्ब होने पर ब्याज

11.2.5 यदि कार्य की प्रगति और उसे पूरा करने में विलम्ब होता है जिसके फलस्वरूप संविदा में निर्माणकार्य पूरा करने की उल्लिखित तारीख से पहले अग्रिम और उस पर ब्याज को वसूल करना संभव नहीं होता है तो संविदाकार से संविदा में कार्य पूरा करने के लिए उल्लिखित मूल तारीख से आगे की अवधि के लिए अग्रिम की शेष राशि पर ब्याज भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने की मूल दर जमा(+) 2 प्रतिशत वार्षिक अथवा 10 प्रतिशत वार्षिक, इनमें से जो अधिक हो, की दर से लिया जाएगा।

अग्रिम को केवल इस निर्माणकार्य के लिए उपयोग किया जाना

11.2.6 संविदाकार द्वारा अग्रिम का उपयोग केवल संविदा के प्रयोजन हेतु और उस प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए उसका भुगतान किया गया है। किसी भी स्थिति में अग्रिम को किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो उसे संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और संविदाकार को तुरंत अग्रिम वापस करने और उससे अग्रिम राशि वसूल किए जाने तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। संविदाकार कोई आपत्ति किए बिना एक बार में ही अग्रिम को

वापस लौटाएगा और ब्याज का भुगतान करेगा।

नियोक्ता के पास इस संबंध में संविदा के उल्लंघन के लिए विहित कोई अन्य उपाय किए जाने का अधिकार है।

संविदाकार इंजीनियर द्वारा मांगे जाने पर संग्रहण अग्रिम के उपयोग का ब्यौरा उपलब्ध कराएगा।

11.3 साइट पर सामग्री के सापेक्ष अनंतिम भुगतान

11.3.1 स्थायी निर्माणकार्य के लिए आवश्यक मुख्य निर्माण सामग्री के लिए अनंतिम भुगतान यह सामग्री साइट पर लाए जाने के बाद संविदाकार के अनुरोध पर किया जाएगा, यह अनंतिम भुगतान नियोक्ता को स्वीकार्य क्षतिपूर्ति बांड विधिवत् रूप से भरवाने के बाद किया जाएगा। यह भुगतान इस सामग्री के वास्तविक मूल्य अथवा आकलित मूल्य के 80 प्रतिशत तक सीमित होगा और किसी समय निर्माण सामग्री के लिए ऐसे अनंतिम भुगतान की कुल राशि संविदा के प्रारंभिक मूल्य के तीन प्रतिशत अथवा तीन महीने के लिए ऐसी सामग्री के संभावित औसत उपभोग, इनमें से जो कम हो, तक सीमित होगी और साइट पर उपलब्ध सामग्री पर किसी भी समय कुल बकाया अनंतिम भुगतान संविदा के प्रारंभिक मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसी मुख्य निर्माण सामग्री के औसत उपभोग का मूल्य निर्धारण इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। खराब होने वाली सामग्री का पर्याप्त बीमा कराया जाना चाहिए।

11.3.2 साइट पर उपलब्ध सामग्री पर अग्रिम/अनंतिम भुगतान के लिए लिखित अनुरोध

संविदाकार द्वारा नियोक्ता/इंजीनियर से केवल लिखित अनुरोध किए जाने पर ही यथास्वीकार्य अग्रिम और अनंतिम भुगतान देय होगा।

11.3.3 अग्रिम/अनंतिम भुगतान की वसूली

(क) कार्य के प्रारंभिक संविदा मूल्य का 20 प्रतिशत भुगतान कर दिए जाने पर अग्रिम की वसूली शुरू हो जाएगी और यह कार्य पूरा करने की मूल तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। जहां तक संभव हो, अग्रिम की वसूली ऑन-अकाउंट-बिल के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(ख) प्रारंभिक संविदा मूल्य का 40 प्रतिशत भुगतान किए जाने के बाद कोई

अग्रिम नहीं दिया जाएगा । तथापि, साइट पर उपलब्ध सामग्री के संबंध में अनंतिम भुगतान संविदा अवधि की समाप्ति तक खंड 11.3 में यथाउल्लिखित तरीके से किया जाता रहेगा ।

(ग) सामग्री पर अनंतिम भुगतान के मामले में प्रतिमाह उपयोग की गई राशि को अगले माह के ऑन-अकाउंट-बिल से वसूल किया जाएगा और तीन मासिक किस्तों में पूरी वसूली कर ली जाएगी । यदि किसी कारणवश वसूली नहीं की जा सकी है तो खंड 11.2.5 के अनुसार ब्याज लगाया जाएगा ।

अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

11.4

11.4.1 लागत केन्द्रों और माइल्स्टोन भुगतान के साथ 'एकमुश्त' संविदा की स्थिति में, निर्धारित एकमुश्त मूल्य को संविदाकार द्वारा विभिन्न लागत केन्द्रों में विभाजित किया जाएगा । इस प्रकार प्रत्येक लागत केन्द्र के हिस्से में आई राशि को नियोक्ता की अनुमति से आगे विभिन्न माइल्स्टोन्स में विभाजित किया जाएगा । संविदाकार लागत केन्द्र में वर्णित एक या अधिक माइल्स्टोन्स प्राप्त करने के बाद ही अंतरिम भुगतान के लिए इंजीनियर को अनुरोध करने का हकदार होगा ।

प्रत्येक माह के प्रारंभ में इंजीनियर पूर्व माह में प्राप्त किए जाने वाले प्रत्येक माइल्स्टोन के संबंध में संविदाकार को प्रमाणपत्र देगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा:

(क) तारीख जिसको माइल्स्टोन प्राप्त किया गया; अथवा

(ख) माइल्स्टोन प्राप्त न किए जाने का विवरण ।

संविदाकार इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्रत्येक माह के प्रारंभ में इंजीनियर को सहायक दस्तावेजों और माइल्स्टोन प्रमाणपत्र सहित संविदाकार को देय राशि दर्शाते हुए तीन प्रतियों में एक विवरण प्रस्तुत करेगा । विवरण में नीचे दिये गए क्रम में यथाप्रयोज्य निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी जो उन विभिन्न मुद्राओं में दर्शाई जाएंगी जिनमें संविदा मूल्य देय है:

(क) प्रत्येक लागत केन्द्र के अंतर्गत इंजीनियर द्वारा प्रमाणित माइल्स्टोन्स को प्राप्त करने के संबंध में देय राशि;

(ख) अग्रिम भुगतान के लिए जोड़ी या घटाई जाने वाली कोई राशि और उसकी वसूली;

(ग) कोई अन्य जोड़ी या घटाई जाने वाली और संविदा के अनुसार इंजीनियर द्वारा अनुमोदित राशियां; और

(घ) सभी पूर्व अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्रों में प्रमाणित राशियों की कटौती।

संविदाकार अंतरिम भुगतान के लिए प्रतिमाह एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा।

यदि किसी माह के अंत में कोई माइल्स्टोन प्राप्त नहीं किया जाता है जबकि उस माह में प्राप्त किया जाना था तो इंजीनियर उस लागत केन्द्र से संबंधित भुगतान को आस्थगित कर देगा जिसमें वह माइल्स्टोन सम्मिलित है।

इस खंड के अंतर्गत आस्थगित किए गए भुगतानों को माइल्स्टोन प्राप्त किए जाने के बाद अंतरिम भुगतान हेतु दिए गए अगले आवेदन में सम्मिलित कर दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।

11.4.2 भुगतान समय-सारणी के साथ 'एकमुश्त' अथवा 'आइटम रेट' संविदाओं के मामले में संविदाकार को समय-समय पर भुगतान किए जाने, सामान्यतया मात्रा बिल(बीओक्यू) में दर्शाई गई भुगतान समय-सारणी के अनुसार 'ऑन-अकाउंट' बिल के माध्यम से कलेंडर माह में एक बार भुगतान किए जाने के लिए वह हकदार होगा।

अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्रों को जारी करना

11.5 किसी भी राशि को तब तक प्रमाणित या उसका भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोक्ता को कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं हो जाती और उसे अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तथा उप-खंड 4.2 के अनुसार मूल कंपनी द्वारा वचनपत्र और गारंटी नहीं दी जाती। तत्पश्चात्, इंजीनियर विवरण और सहायक दस्तावेज प्राप्त करने के 21 दिन के भीतर नियोक्ता को अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र सौंपेगा और उसकी एक प्रति संविदाकार को देगा, इस प्रमाणपत्र में उस राशि को दर्शाया जाएगा जिसे इंजीनियर देय समझे; यदि कोई राशि देय नहीं समझी जाती है तो तद्नुसार इंजीनियर संविदाकार को तुरंत सूचित करेगा।

यदि जिस भुगतान के लिए आवेदन किया गया है उसका कोई एक भाग विवादित है तो अविवादित राशि के लिए भुगतान प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

इंजीनियर के पास संविदाकार के किसी भुगतान अनुरोध में से, किए गए उस कार्य अथवा आपूर्ति की गई सामग्री अथवा प्रदान की गई सेवा के मूल्य को घटाने का अधिकार होगा जिससे कि वह उस समय असंतुष्ट है और उस प्रयोजन हेतु और किसी अन्य कारण से जिसे वह उचित समझे, संविदाकार को देय राशि के रूप में

उसके द्वारा पूर्व में प्रमाणित की गई राशि(राशियों) की कटौती कर सकता है, सही कर सकता है अथवा संशोधित कर सकता है।

अंतरिम भुगतान और अंतिम भुगतान

11.6 जब तक संविदा की विशेष शर्तों में अन्यथा उल्लेख न हो,

(क) इंजीनियर द्वारा प्रारंभिक जांच और प्रमाणन के बाद नियोक्ता द्वारा 14 दिन के भीतर प्रमाणित अंतरिम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। प्रमाणित राशि में सांविधिक कटौतियों, अग्रिम की वसूली की राशियों और संविदाकार से देय किसी राशि सहित सभी कटौतियों का हिसाब होगा। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान इंजीनियर द्वारा बिल के प्रारंभिक प्रमाणन की तारीख से 28 दिन के भीतर किया जाएगा।

(ख) अगला 80 प्रतिशत अंतरिम भुगतान पूर्ववर्ती प्रमाणित अंतरिम भुगतान का 100 प्रतिशत भुगतान पूरा होने के बाद ही किया जाएगा।

(ग) नियोक्ता प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से 56 दिन के भीतर अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र में प्रमाणित राशि का भुगतान करेगा।

जब तक कि संविदा की विशेष शर्तों में अन्यथा अनुमति न दी गई हो, सभी भुगतान भारत में किसी बैंक में भारतीय रुपयों में संविदाकार द्वारा नामोद्दिष्ट बैंक खाते में किए जाएंगे। यदि भुगतान एक से अधिक मुद्राओं में किए जाने हैं तो संविदाकार प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग-अलग बैंक खाते नामोद्दिष्ट करेगा, और तद्नुसार नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाएंगे।

कार्य पूरा होने का विवरण

11.7 संविदाकार संपूर्ण निर्माणकार्य के लिए टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी किए जाने के 60 दिन के भीतर इंजीनियर को सहायक दस्तावेजों सहित तीन प्रतियों में कार्य पूरा होने का विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें उप-खंड 11.4 के अंतर्गत इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में निम्नलिखित का ब्यौरा दर्शाया जाएगा:

(क) उक्त टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र में उल्लिखित तारीख तक संविदा के अनुसार किए गए सभी कार्यों का अंतिम मूल्य,

(ख) कोई अन्य राशियां जिन्हें संविदाकार देय समझता है, और

(ग) अनुमानित राशियां जिनके संबंध में संविदाकार यह समझता है कि वे उसको देय हो जाएंगी।

अनुमानित राशियों को कार्य पूरा होने के उक्त विवरण में अलग से दर्शाया जाएगा। इंजीनियर उप-खंड 11.5 के अंतर्गत भुगतान को प्रमाणित करेगा।

अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

11.8 संविदाकार कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के 56 दिन के भीतर इंजीनियर को सहायक दस्तावेजों सहित तीन प्रतियों में प्रारूप अंतिम विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में निम्नलिखित का ब्यौरा दर्शाया जाएगा:

(क) संविदा के अनुसार किए गए सभी कार्यों का मूल्य; और

(ख) कोई अन्य राशियां जिन्हें संविदाकार यह समझता है कि वे संविदा के अंतर्गत अथवा अन्यथा उसको देय हैं।

यदि इंजीनियर प्रारूप अंतिम विवरण के किसी भाग से असहमत होता है और उसे सत्यापित नहीं कर सकता है तो संविदाकार इंजीनियर को यथाअपेक्षित अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराएगा और दोनों के बीच बनी सहमति के अनुसार प्रारूप में बदलाव करेगा। तत्पश्चात् संविदाकार यथासम्मत अंतिम विवरण तैयार करेगा और उसे इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा।

यदि, इंजीनियर और संविदाकार के बीच चर्चा के बाद और प्रारूप अंतिम विवरण में उन दोनों के बीच यथासम्मत किसी बदलाव के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई विवाद मौजूद है तो नियोक्ता इंजीनियर द्वारा यथाप्रमाणित प्रारूप अंतिम विवरण के उन भागों के लिए भुगतान करेगा जो विवादित नहीं है। तत्पश्चात् शेष विवाद का समाधान खंड 17 के अंतर्गत किया जाएगा, तत्पश्चात् इस स्थिति में संविदाकार विवाद के नतीजे के अनुरूप अंतिम विवरण तैयार करेगा और उसे संविदाकार को प्रस्तुत करेगा।

उन्मोचन (डिस्चार्ज)

11.9 संविदाकार अंतिम विवरण प्रस्तुत करते समय एक लिखित उन्मोचन प्रस्तुत करेगा जो यह पुष्टि करेगा कि अंतिम विवरण की कुल राशि में संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय सभी धनराशियों का पूरा और अंतिम निपटान दर्शाया गया है। उक्त उन्मोचन में यह उल्लेख किया जाएगा कि यह अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र के अंतर्गत देय भुगतान किए जाने और उप-खंड 4.2 में उल्लिखित कार्यनिष्पादन प्रतिभूति को संविदाकार को वापस किए जाने के बाद ही प्रभावी होगा।

अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र जारी करना

11.10 इंजीनियर उप-खंड 11.7 और 11.8 के अनुसार अंतिम विवरण और लिखित उन्मोचन प्राप्त होने के बाद 28 दिन के भीतर नियोक्ता को अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति संविदाकार को देगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा:

(क) राशि जो अंतिम तौर पर देय है, और

(ख) नियोक्ता द्वारा पूर्व में भुगतान की गई सभी राशियों के लिए और उन सभी राशियों जिनका नियोक्ता हकदार है, के लिए नियोक्ता को हिसाब-किताब देने के बाद **शेष राशि**, यदि कोई हो, जो नियोक्ता से संविदाकार को देय है अथवा संविदाकार से नियोक्ता को देय है, जैसी भी स्थिति हो।

यदि संविदाकार ने उप-खंड 11.8 और 11.9 के अनुसार अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं किया है, तो इंजीनियर ऐसा करने के लिए संविदाकार को कहेगा । यदि संविदाकार 28 दिन की अवधि के भीतर ऐसा आवेदन करने में विफल रहता है तो इंजीनियर ऐसी राशि के लिए अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसे वह देय समझे।

नियोक्ता की जिम्मेदारी की समाप्ति

11.11 संपूर्ण निर्माणकार्य के लिए टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले संविदा से(अथवा के संबंध में) अथवा निर्माणकार्य से उठने वाले किसी मामले या बात के संबंध में नियोक्ता संविदाकार के प्रति तब तक जिम्मेदार नहीं होगा जब तक कि संविदाकार ने उप-खंड 11.7 में उल्लिखित 'कार्य पूरा होने पर दिए जाने वाले अपने विवरण' में इसके दावे को सम्मिलित न किया हो। संपूर्ण निर्माणकार्य के लिए टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद उठने वाले ऐसे किसी मामले या बात के लिए नियोक्ता संविदाकार के प्रति तब तक जिम्मेदार नहीं होगा जब तक कि संविदाकार ने अपने अंतिम विवरण में इसके दावे को सम्मिलित न किया हो।

विदेशी मुद्रा में भुगतानों की गणना

11.12 संविदा की शर्तों के अनुसरण में नियोक्ता द्वारा किए गए सभी भुगतान संविदा में विनिर्दिष्ट मुद्रा या मुद्राओं में होंगे । जब कभी विदेशी मुद्रा में उल्लिखित किसी राशि को किसी प्रयोजन हेतु भारतीय रुपयों में परिवर्तित करना हो तो ऐसे परिवर्तन के लिए लागू की जाने वाली विनिमय दर निविदा जमा करने की अंतिम तारीख से 28 दिन पहले भारतीय स्टेट बैंक के कार्यदिवस की समाप्ति पर विनिमय की विक्रय दर होगी।

पूर्णांकन

11.13 संविदाकार को किए जाने वाले प्रत्येक भुगतान में 50 पैसे से कम राशि का लोप कर दिया जाएगा और 50 पैसे या उससे अधिक से लेकर एक रुपये तक की राशि को एक रुपया गिना जाएगा।

चैक और ई-पेमेंट द्वारा भुगतान

11.14 संविदाकार को सभी भुगतान नियोक्ता की इच्छानुसार चैक अथवा "ई-भुगतान" के जरिए किए जाएंगे ।

स्रोत पर कर कटौती

11.15 संविदाकार को किए जाने वाले प्रत्येक भुगतान से सांविधिक जरूरत के अनुसार समय समय पर अधिसूचित दरों पर स्रोत पर कर कटौतियां की जाएंगी ।

वाउचर्स प्रस्तुत करना

11.16 i. संविदाकार इस संविदा के निष्पादन अथवा इस संविदा के निष्पादन की लागत को सत्यापित करने या सुनिश्चित करने अथवा यह सुनिश्चित करने कि संविदाकार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री संविदा में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार है, से संबंधित कोई कोटेशन, बीजक(इनवॉइस), लागत या अन्य लेखा बही, वाउचर्स, रसीदें, पत्र, ज्ञापन अथवा ऐसे किसी दस्तावेज की प्रति या उसका उद्धरण इंजीनियर द्वारा जांच किए जाने के लिए प्रस्तुत करेगा अथवा प्रस्तुत करवाएगा और वह यथाअपेक्षित सूचना और विवरणियां(रिटर्न्स) भी प्रस्तुत करेगा । किसी दस्तावेज, सूचना या विवरणी की प्रासंगिकता के बारे में इंजीनियर का निर्णय अंतिम और सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा ।

ii. यदि कार्य के किसी भाग अथवा मद को किसी उप-संविदाकार, समनुदेशिती (असाइनी) अथवा किसी अनुषंगी या संबद्ध फर्म द्वारा किए जाने की अनुमति दी जाती है तो इंजीनियर को संविदाकार के माध्यम से ऐसे उप-संविदाकार, समनुदेशिती (असाइनी) अथवा किसी अनुषंगी या संबद्ध फर्म से लेखा बही प्राप्त करने की शक्ति होगी और उनकी जांच एवं निरीक्षण करने की शक्ति होगी । उपर्युक्त दायित्व किसी संविधि, नियम या आदेश के अंतर्गत संविदाकार के दायित्वों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेंगे ।

दावा की गई राशियों को रोक रखना और पुनर्ग्रहणाधिकार

11.17 i. संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय होने वाली सभी राशियों अथवा किसी राशि, और/अथवा कार्यनिष्पादन प्रतिभूति की जमा राशि पर अथवा संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय होने वाली अन्य राशि या राशियों पर नियोक्ता का पुनर्ग्रहणाधिकार होगा ।

ii. इसके अतिरिक्त, जब तक संविदाकार नियोक्ता द्वारा किसी दावे की मांग किए जाने पर तुरंत उसका भुगतान और उसे चुकता नहीं करता है, तब तक नियोक्ता को किसी भी समय इन प्रस्तुतियों के अंतर्गत अथवा नियोक्ता और संविदाकार के बीच किसी अन्य संविदा या लेन-देन के अंतर्गत देय या देय होने वाली धनराशियों, प्रतिभूतियों और/या जमाराशियों से दावे की उक्त राशि की

कटौती करने का अधिकार होगा, यदि मामला विवाचन के लिए भेजा गया है तब भी यह अधिकार होगा । संविदाकार को विधिवत रूप से सूचित किए जाने पर उपर्युक्त पुनर्ग्रहणाधिकार के अंतर्गत रोकी गई या रोकी मानी गई किसी राशि के संबंध में किसी ब्याज या नुकसान के लिए संविदाकार का कोई दावा नहीं होगा ।

भुगतान की प्राप्तियों पर हस्ताक्षर

11.18 कार्यनिष्पादन प्रतिभूति के रीफंड सहित संविदाकार को किए गए प्रत्येक भुगतान की प्राप्ति पर उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । यदि संविदाकार एक भागीदार फर्म है तो संविदा अवधि के दौरान संविदाकार के किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में एतदद्वारा स्पष्ट रूप से यह सहमति होगी कि संविदाकार के किसी एक उत्तरजीवी भागीदार द्वारा भुगतान प्राप्ति पर यदि यथाउपरोक्त हस्ताक्षर किए गए हैं तो वह उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त होगा, परन्तु इस खंड का कोई उपबंध किसी दावे, जो नियोक्ता का संविदाकार के ऐसे मृतक भागीदार के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रति हो सकता है, अथवा संविदा की किसी शर्त के उल्लंघन के संबंध में किसी दावे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित अथवा प्रभावित नहीं करेगा । और यह भी कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई उपबंध संविदाकार के भागीदारों, अथवा किसी मृतक संविदाकार/भागीदार के विधिक उत्तराधिकारियों /प्रतिनिधियों के परस्पर अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव अथवा प्रभाव नहीं डालेगा ।

भुगतान उपरान्त लेखापरीक्षा

11.19 संविदा की यह एक सम्मत शर्त है कि नियोक्ता के पास भुगतान के उपरान्त लेखापरीक्षा करवाने और/या निर्माणकार्य की तकनीकी जांच करवाने, और सभी सहायक वाउचर्स, सार इत्यादि सहित फाइनल बिल की लेखापरीक्षा करवाने का अधिकार सुरक्षित है और यदि ऐसी जांच के फलस्वरूप यह पता चलता है कि संविदा के अंतर्गत किए गए या कथित तौर पर किए गए किसी कार्य के संबंध में कोई अधिक भुगतान किया गया है तो नियोक्ता द्वारा संविदाकार को किए गए भुगतान की अधिक राशि को रीफंड करने के लिए संविदाकार से दावा करने का अधिकार सुरक्षित है । यदि किसी कम-भुगतान किए जाने का पता चलता है तो उसका नियोक्ता द्वारा संविदाकार को भुगतान किया जाएगा । तथापि, ऐसे भुगतान या वसूली पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

नियोक्ता को देय धन की वसूली

11.20 सभी हर्जाने(निर्णीत हर्जाने सहित परन्तु केवल इन तक सीमित नहीं), लागतें, प्रभार, व्यय, ऋण, या धनराशियां जिनके लिए संविदाकार संविदा के किसी उपबंध के अंतर्गत नियोक्ता के प्रति जिम्मेदार है, के संबंध में नियोक्ता द्वारा संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय धनराशियों से कटौती की जा सकती है

(निर्णीत हर्जाने सहित परन्तु केवल इन तक सीमित नहीं) और नियोक्ता के पास इस प्रकार कटौती न की गई शेषराशि को नियोक्ता और संविदाकार के बीच किसी अन्य संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय धनराशियों से वसूल करने की शक्ति होगी।

यदि संविदाकार ने संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय या देय होने वाली धनराशियों को प्राप्त करने का अधिकार तीसर पक्ष को सौंप दिया है अथवा ऐसी धनराशियों को तीसरे पक्ष के नाम में प्रभारित कर दिया है तो हर्जाने(निर्णीत हर्जाने सहित परन्तु केवल इन तक सीमित नहीं), लागतों, प्रभार, व्यय, ऋण, या धनराशियों, जिनके लिए संविदाकार नियोक्ता के प्रति जिम्मेदार है, की नियोक्ता द्वारा संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय धनराशियों से कटौती करने का अधिकार ऊपर अभिव्यक्त अधिकार तक सीमित होगा।

घटबढ़ (वेरीएशन) 12

घटबढ़ करने का अधिकार 12.1 इंजीनियर के लिखित अनुदेशानुसार सभी घटबढ़ को संविदाकार की घटबढ़ अथवा नियोक्ता की घटबढ़ के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा और इंजीनियर के लिखित अनुदेश के बिना संविदाकार द्वारा उसे कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। किसी घटबढ़ के आधार पर संविदा को निरस्त अथवा अमान्य नहीं किया जाएगा। जब तक इंजीनियर अनुदेश नहीं देता है अथवा घटबढ़ के लिए सहमति नहीं देता है तब तक संविदाकार निर्माणकार्य में कोई फेरबदल और/या संशोधन नहीं करेगा। यदि निर्माण और/या विनिर्माण संबंधी दस्तावेज या निर्माणकार्य संविदा के अनुरूप नहीं हैं तो उनमें सुधार करने को घटबढ़ नहीं माना जाएगा।

संविदाकार की घटबढ़ 12.2

घटबढ़ के प्रस्ताव 12.2.1 संविदाकार समय, निर्माण या विनिर्माण लागत में बचत करने के प्रयोजन से संविदा में किए गए प्रावधान के अतिरिक्त नियोक्ता की जरूरतों में संशोधन करने, अतिरिक्त भूमि का प्रावधान करने, सुलभता अथवा व्यवहार्यता के लिए संविदाकार की घटबढ़ के रूप में नियोक्ता को अपनी लागत पर लिखित में कोई इंजीनियरिंग प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा घटबढ़ का प्रस्ताव सर्विस लाइफ, प्रचालन की मितव्ययता, रख-रखाव की आसानी, अपेक्षित दिखावट, अथवा डिजाइन और सुरक्षा मानकों सहित निर्माणकार्य के मूल स्वरूप, कार्यों अथवा विशेषताओं को नुकसान नहीं पहुँचाएगा।

संविदाकार इंजीनियर द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना घटबढ़ का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । इस संबंध में संविदाकार को इंजीनियर के निर्णय से एक उचित समय अवधि के भीतर अवगत कराया जाएगा । यदि किसी कारणवश इंजीनियर द्वारा निर्धारित समयसीमा निकल चुकी है तो प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

इस संबंध में इंजीनियर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

घटबढ़ की विषयवस्तु

12.2.2 यदि नियोक्ता को इसकी आवश्यकता है अथवा वह इसे स्वीकार करता है, और यदि संविदाकार इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ना चाहता है तो संविदाकार नियोक्ता को स्वीकार्य किसी परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट(नियोक्ता की लागत पर नहीं) उपलब्ध कराएगा और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

क. निर्माणकार्य के लिए मूल संविदा में दी गई शर्तों का सामान्य विवरण और उनमें प्रस्तावित परिवर्तन

ख. ड्रॉइंग्स और विनिर्देशों(स्पेशीफिकेशंस) में सभी प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा

ग. इंजीनियरिंग प्रस्ताव द्वारा प्रभावित होने वाले सभी निर्माणकार्यों और माल का ब्यौरा

घ. मूल संविदा की शर्तों के आधार पर और प्रस्तावित परिवर्तनों के आधार पर लागत के अनुमान का विस्तृत ब्यौरा

ङ. इसके फलस्वरूप संविदा की समयसीमा को आगे बढ़ाने या कम करने का ब्यौरा

च. अनुमानित न्यूनतम बचत का विवरण । निर्माण लागत में अनुमानित निवल बचत का निर्धारण करने में घटबढ़ प्रस्ताव तैयार करने की संविदाकार की लागत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

नियोक्ता द्वारा समीक्षा

12.2.3 नियोक्ता स्वयं के विवेक से संविदाकार की घटबढ़ या उसके किसी भाग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है और निर्माण लागत में अनुमानित निवल बचत का निर्धारण कर सकता है । नियोक्ता इस खंड के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए ऐसे किसी घटबढ़ के प्रस्ताव को स्वीकार करने या उस पर कार्रवाई करने में नियोक्ता की किसी विफलता के कारण संविदाकार को होने वाले विलम्ब या हर्जाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

यदि नियोक्ता अथवा इंजीनियर किसी कारणवश प्रस्ताव के दौरान ही संविदाकार

की घटबढ़ को अस्वीकार कर देता है तो इसे किसी अन्य रूप में संविदाकार द्वारा आगे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

नियोक्ता द्वारा संशोधन करने के लिए कहना

12.2.4 यदि नियोक्ता/इंजीनियर को घटबढ़ का प्रस्ताव संपूर्णत: या अलग-अलग भागों में स्वीकार्य है तो उसे संशोधन के साथ स्वीकार करेगा। ऐसे संशोधन में विनिर्देशों, संविदा अवधि आदि में सभी परिवर्तन अभिनिर्धारित किए जाएंगे और निर्माण लागत में निवल बचत को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसे नियोक्ता द्वारा संविदा मूल्य में समायोजित किया जाएगा।

संविदाकार द्वारा संशोधन स्वीकार किया जाना और भुगतान

12.2.5 संविदाकार इस खंड के अनुसरण में इंजीनियर द्वारा किए गए किसी प्रस्तावित संशोधन को नियोक्ता से प्राप्त होने की तारीख से 5 कार्यदिवसों के भीतर स्वीकार करेगा अथवा अस्वीकार करेगा। यदि संविदाकार उक्त अवधि के दौरान उसे अस्वीकार नहीं करता है तो ये संशोधन संविदाकार द्वारा स्वीकार किए गए माने जाएंगे और ये संविदा की घटबढ़ बन जाएंगे। संविदाकार द्वारा इसे बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाएगा और घटबढ़ के कारण बचत की राशि को संविदा मूल्य में समायोजित किया जाएगा।

नियोक्ता की घटबढ़

12.3 यदि इंजीनियर कोई घटबढ़ करने के लिए कहने से पहले कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध करता है जो कार्य के दायरे से हटाने/कम करने पर कोई अतिरिक्त कार्य करने या कार्य में बदलाव करने के लिए हो सकता है, तो संविदाकार अपनी लागत पर इंजीनियर से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर या उस अवधि के भीतर जिसकी इंजीनियर अनुमति दे, निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :

क. प्रस्तावित डिजाइन और/या किए जाने वाले कार्य का विवरण तथा उसे करने का कार्यक्रम,

ख. उप-खंड 4.13 के अनुसार कार्यक्रम में कोई आवश्यक संशोधन करने के लिए संविदाकार का प्रस्ताव, और

ग. संविदा मूल्य में समायोजन करने, कार्य पूरा करने के समय और/या संविदा में संशोधन करने के लिए संविदाकार का प्रस्ताव।

घटबढ़ करने की प्रक्रिया

12.4 इंजीनियर उप-खंड 12.2 और/या 12.3 के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में उत्तर देगा या टिप्पणी करेगा।

यदि इंजीनियर कोई घटबढ़ करने के लिए कहता है या उसे स्वीकार करता है तो

वह उपखंड 3.5 के अनुसार संविदा मूल्य, कार्य पूरा करने के समय और भुगतान की समय-सारणी में समायोजन करने के लिए सहमत होगा अथवा उसे निर्धारित करेगा।

प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद नियोक्ता का यह विशेषाधिकार होगा कि वह घटबढ़ करने के लिए कहे और इस पर आगे कार्रवाई करे अथवा प्रस्ताव के किसी भाग या पूरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। इस स्थिति में प्रस्ताव तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने की कोई लागत संविदाकार को देय नहीं होगी। यदि इंजीनियर को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय घटबढ़ का डिजाइन भाग पूरा हो चुका है और नियोक्ता उस घटबढ़ को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है तो संविदाकार को केवल किए जा चुके कार्य की डिजाइन की लागत का भुगतान किया जाएगा।

मात्रा बिल में घटबढ़(वेरीएशन) 12.5 i) मात्रा बिल में मदों की लगभग मात्राएं दर्शाई गई हैं और कार्य को वास्तविक रूप में निष्पादित किए जाने के दौरान इनमें घटबढ़ हो सकती है। कुछ मदों/मदों के समूह को परिवर्तित करना, जोड़ना या हटाना पड़ सकता है। संविदाकार इंजीनियर के निर्देशानुसार निर्धारित कार्य करने और उसे पूरा करने के लिए बाध्य होगा, चाहे घटबढ़ की मात्रा कितनी भी क्यों न हो, इसमें मात्रा बिल में विनिर्दिष्ट अलग-अलग मदों या मदों के समूह के संबंध में मात्रा बिल में जोड़ करना, परिवर्तन करना या हटाना सम्मिलित है।

ii) ऐसी घटबढ़ के लिए निम्नवत् भुगतान किया जाएगा:

क) फाउंडेशन कार्य को छोड़कर मात्राओं में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि के लिए संविदा की स्वीकृत दरों पर। जब तक कि मात्रा बिल में अथवा संविदा में कहीं स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंध न किया गया हो, 25 प्रतिशत की घडबढ़ मात्रा बिल में उल्लिखित मदों के समूह पर लागू होगी न कि अलग-अलग मद पर। मात्राओं में कमी होने के मामले में किए जा चुके कार्य की मात्राओं के लिए संविदा में निर्धारित दरें देय होंगी।

ख) फाउंडेशन कार्य के मामले में घटबढ़ की कोई सीमा लागू नहीं होगी और संविदाकार संविदा में निर्धारित दरों पर कार्य निष्पादित करेगा, चाहे घटबढ़ कितनी भी क्यों न हो।

ग) मिट्टी के काम के मामले में घटबढ़ की उपर्युक्त 25 प्रतिशत सीमा मिट्टी के पूरे काम पर लागू होगी और मिट्टी के अलग-अलग वर्गीकरण में घटबढ़ पर यह सीमा लागू नहीं होगी, इसमें कितनी भी घटबढ़ हो सकती है।

घ) जिन मदों के लिए मात्रा बिल में मात्रा दी गई है, "यदि आवश्यकता पड़ती है

अथवा यथाअपेक्षित है", तो उन मदों की दरों में कोई वृद्धि/कमी नहीं की जाएगी, चाहे अंत में उनकी कितनी ही मात्रा का कार्य किया गया हो।

ङ) अलग-अलग मदों की मात्रा में कुल संविदा मूल्य के 1 प्रतिशत तक की लागत की घटबढ़ के लिए भुगतान संविदा में निर्धारित दरों पर किया जाएगा। घटबढ़ चाहे कितनी ही क्यों न हो, प्रत्येक मद के लिए प्रारंभिक संविदा मूल्य के 2 प्रतिशत तक की लागत के लिए संविदा में निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाएगा।

च) यदि ऊपर उल्लिखित अलग-अलग मदों अथवा मदों के समूह में घटबढ़ 25 प्रतिशत से अधिक धनात्मक है तो 25 प्रतिशत से ऊपर की मात्रा की दर के बारे में इंजीनियर और संविदाकार के बीच समझौता बातचीत की जाएगी और वास्तविक रूप में अतिरिक्त मात्रा का कार्य करने से पहले आपस में सहमत दरें निर्धारित की जाएंगी।

छ) यदि संविदाकार कोई ऐसी मद सम्मिलित करता है जिसके लिए संविदा में कार्य की घटबढ़ के संबंध में कोई लागू दरें या कीमतें नहीं दी गई हैं तो जहां तक संभव हो, ऐसी मदों की दर को स्वीकृत निविदा के मात्रा बिल में दी गई समान मदों की दर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो निम्नलिखित के आधार पर दर निर्धारित की जाएगी:

i) बर्वादी और परिवहन के लिए उचित प्रतिशत सहित अंतिम रूप से तैयार स्थायी निर्माणकार्य में वास्तविक रूप में उपयोग की गई सामग्री की वर्तमान बाजार मूल्य पर लागत।

ii) उपर्युक्त आधार पर निर्धारित की गई परन्तु कम गुणवत्ता के समर्थकारी निर्माणकार्य की लागत, यदि कोई है(जब तक कि अलग से उपबंध न किया गया हो)। निर्धारित मूल्य में से कार्य पूर होने के बाद चालू हालत में मुक्त की गई सामग्री के कबाड़ मूल्य और रद्दी के रूप में मुक्त की गई सामग्री की लागत को घटाकर।

iii) न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्य क्षेत्र के लिए प्रत्येक श्रेणी के मजदूर के लिए निर्धारित दरों पर कार्यस्थल पर वास्तविक रूप में उपयोग किए गए मजदूरों की लागत, उपर्युक्त दरों में 10 प्रतिशत की और वृद्धि कर, यह वृद्धि साइट पर सीधे उपयोग न किए गए मजदूरों और उनसे संबंधित अन्य अनुषंगी और आकस्मिक व्यय के लिए है।

iv) कार्य की साइट पर उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीनरी, पाड़, शटरिंग, फॉर्म इत्यादि का किराया प्रभार। विभिन्न ट्रेडों द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों को इस प्रयोजन हेतु संयंत्र या मशीनरी नहीं माना जाएगा।

v) उपर्युक्त (i), (ii), (iii) और (iv) मदों की 20 प्रतिशत राशि जो संविदाकार के उपरिव्यय, लाभ और कारपोरेट कर के लिए होगी । यह प्रतिशत संविदाकार को नि:शुल्क आपूर्ति की गई सामग्री की अनुमानित लागत पर भी लागू होगा

vi) ऐसे सभी मामलों में जहां कार्य की अतिरिक्त मदें सम्मिलित हैं, जिनके लिए स्वीकृत मात्रा बिल में कोई दरें नहीं दी गई हैं तो संविदाकार वह कार्य शुरू करने की आवश्यकता पड़ने से कम से कम 7 दिन पहले इंजीनियर को नोटिस देगा ।

ज) उपर्युक्त मद (च) और (छ) के संबंध में मतभेद होने पर इंजीनियर ऐसी मूल्य दर निर्धारित करेगा जो उसकी राय में उचित है और तद्नुसार संविदाकार को सूचित करेगा और इसकी एक प्रति नियोक्ता को देगा । जब तक ऐसी दरों या कीमतों के बारे में सहमति नहीं बन जाती है अथवा वे निर्धारित नहीं की जाती हैं तब तक इंजीनियर अनंतिम दरें या कीमतें निर्धारित करेगा ताकि संविदाकार को लेखागत अदायगी की जा सके । मतभेद होने की स्थिति में विकल्प के तौर पर संविदाकार अतिरिक्त मात्रा में कार्य/नई मद का कार्य करने का दावा नहीं करेगा और इंजीनियर 25 प्रतिशत से ऊपर की मात्रा के कार्य या नए कार्य को किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करवाने के लिए स्वतंत्र होगा । तथापि, यदि इंजीनियर अथवा नियोक्ता उक्त कार्य करने के लिए संविदाकार को निर्देश देता है तो संविदाकार मूल मात्रा की ऊपर दी गई सीमा से अधिक ऐसी अतिरिक्त मात्रा में कार्य और/या नया कार्य करने के लिए बाध्य होगा तथा भुगतान की दरों के संबंध में मतभेद या अन्तर का समाधान विवाद निपटारे की शर्तों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से किया जाएगा ।

लागू मुद्राओं में भुगतान

12.6 यदि संविदा में एक से अधिक मुद्राओं में संविदा मूल्य का भुगतान किए जाने का प्रावधान है और उपरोक्तानुसार समायोजन करने के लिए सहमति बन जाती है अथवा समायोजन राशि निर्धारित कर दी जाती है तो समायोजन की सहमति बनने या समायोजन राशि निर्धारित किए जाते समय प्रत्येक लागू मुद्रा में देय राशि का अलग-अलग उल्लेख किया जाएगा । प्रत्येक मुद्रा में राशि का अलग-अलग उल्लेख करने में संविदाकार और इंजीनियर(अथवा, समझौता न होने पर, इंजीनियर) संविदा मूल्य के भुगतान के लिए उल्लिखित विभिन्न मुद्राओं के अनुपात से बाध्य हुए बिना, घटबढ़(varied) कार्य की लागत के वास्तविक अथवा अनुमानित मुद्रा अनुपातों को ध्यान में रखेंगे ।

13.0 संविदा समाप्त करना

संविदाकार को नोटिस 13.1 यदि संविदाकार अपने किसी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, अथवा यदि संविदाकार संविदा के अनुसार कार्य नहीं करता है तो इंजीनियर संविदाकार को ऐसी कमी को ऐसे समय जिसे नियोक्ता/इंजीनियर उचित समझे, में दूर करने के लिए नोटिस दे सकता है ।

संविदाकार की चूक के कारण संविदा समाप्त किया जाना 13.2

संविदा समाप्ति की शर्तें 13.2.1 नियोक्ता संविदा समाप्त करने के लिए अधिकृत होगा यदि संविदाकार अथवा उसका कोई सदस्य:

क) उप-खंड 13.1 के अंतर्गत दिये गए नोटिस का अनुपालन नहीं करता है;

ख) संविदा का परित्याग अथवा उसे अस्वीकार कर देता है;

ग) बिना उचित कारण के जो इंजीनियर को स्वीकार्य हो, संविदा के अनुसार निर्माणकार्य प्रारंभ करने में विफल रहता है;

घ) नियोक्ता का अनुमोदन लिए बिना पूरे निर्माणकार्य अथवा संविदा को उप-संविदा पर दे देता है;

ङ) दिवालिया हो जाता है अथवा ऋण चुकाने में अक्षम हो जाता है अथवा ऋण के समामेलन या पुनर्संरचित किए जाने के प्रयोजन हेतु स्वेच्छा से कारोबार बन्द करने के सिवाय कारोबार बन्द करता है;

च) लगातार इंजीनियर के अनुदेशों को नहीं मानता है अथवा संविदा के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है; अथवा

छ) निर्माणकार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के 10 प्रतिशत अधिक समय अथवा 21 दिन, जो भी पहले हो, में निर्माणकार्य पूरा नहीं कर पाता है, अथवा निर्माणकार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा अथवा बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर निर्माणकार्य या निर्माणकार्य के किसी भाग को पूरा नहीं कर पाता है अथवा प्रगति के खराब रिकॉर्ड को देखते हुए संपूर्ण निर्माणकार्य अथवा उसके किसी भाग को पूरा किए जाने की संभावना न हो; अथवा

ज) इंजीनियर से इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के बाद कि अमुक सामग्री अथवा निर्माणकार्य को दोषपूर्ण बताया गया है अथवा अस्वीकार कर दिया गया है, साइट से उस सामग्री को हटाने अथवा नीचे गिराने और कार्य को प्रतिस्थापित किए जाने में विफल रहता है; अथवा

झ) सक्षम और/अथवा अतिरिक्त स्टाफ और मजदूर लगाने हेतु उपाय करने में विफल रहता है; अथवा

ञ) कानिर्माणर्य अथवा उसके किसी भाग का निरीक्षण करने के लिए इंजीनियर या उसके किसी प्रतिनिधि को उचित सुविधाएं प्रदान करने की लागत वहन कर पाने में असफल रहता है; अथवा

ट) खंड 4.33 में यथाउल्लिखित भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण व्यवहार में लिप्त होता है।

13.2.2 इनमें से किसी भी स्थिति या परिस्थिति में नियोक्ता संविदाकार को 14 दिन का नोटिस देकर संविदा समाप्त कर सकता है और संविदाकार को साइट से हटा सकता है । तथापि उप-पैरा (ङ) अथवा (ट) के मामले में नियोक्ता 7 दिन का नोटिस देकर संविदा तुरंत समाप्त कर सकता है ।

13.2.3 उप-पैरा (ग) के प्रयोजन हेतु इस खंड में एक उचित कारण वह होगा जो इंजीनियर की राय में किसी ऐसी परिस्थिति से उत्पन्न हुआ हो जोकि

- नियोक्ता अथवा संविदाकार के नियंत्रण के बाहर है और
- जिसने विफलता को अपरिहार्य बना दिया था और संविदाकार ने इंजीनियर को इस बात का संतोषजनक प्रमाण दिया था कि बाधा दूर होने के बाद विफलता को अनुचित विलम्ब किए बिना दूर कर दिया गया था ।
-

13.2.4 उप-पैरा (छ) के मामले में इंजीनियर अपने विवेक से कुल निर्माणकार्य में से किसी एक भाग को निकालकर भी संविदा के एक भाग को समाप्त कर सकता है और खुली/सीमित/एकल निविदा अथवा कोटेशन आमंत्रित कर किसी अन्य संस्था से निर्माणकार्य पूरा करा सकता है अथवा व्यवस्था कर सकता है, ऐसा वह संविदाकार के जोखिम और लागत पर करेगा ।

13.2.5 नियोक्ता द्वारा संविदा समाप्त किए जाने का निर्णय संविदा के अंतर्गत नियोक्ता के किसी अन्य अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा ।

13.2.6 संविदाकार की चूक के कारण संविदा समाप्त किए जाने पर कार्यनिष्पादन प्रतिभूति राशि को बैंक गारंटी भुनाकर जब्त कर लिया जाएगा और शेष कार्य को विफल संविदाकार के जोखिम और लागत के बिना अलग स्वतंत्र रूप से करवाया जाएगा । विफल संविदाकार को शेष कार्य करवाने के लिए निविदा में भाग लेने से विवर्जित(डिवार) कर दिया जाएगा । यदि विफल संविदाकार एक संयुक्त उद्यम या भागीदारी फर्म है तो ऐसे संयुक्त उद्यम या भागीदारी फर्म के प्रत्येक सदस्य/भागीदार को अपनी व्यक्तिगत क्षमता अथवा किसी अन्य संयुक्त उद्यम/भागीदारी फर्म के भागीदार के रूप में शेष कार्य करवाने के लिए निविदा में भाग लेने से विवर्जित(डिवार) कर दिया जाएगा ।

13.2.7 इंजीनियर निम्नलिखित स्थिति में सिवाय उस राशि के जिसके लिए संविदा के अंतर्गत डीएमआरसी अधिकृत है, कार्यनिष्पादन प्रतिभूति के अंतर्गत दावा नहीं करेगा (संविदा करार के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और/अथवा इसके बावजूद):

i) संविदाकार द्वारा इसमें ऊपर यथाउल्लिखित कार्यनिष्पादन प्रतिभूति की वैधता आगे बढ़वाने में विफल रहने पर, इस स्थिति में इंजीनियर कार्यनिष्पादन प्रतिभूति की पूरी राशि का दावा कर सकता है।

ii) संविदाकार इंजीनियर द्वारा नोटिस दिए जाने के 30 दिन के भीतर करार के किसी खंड/शर्त के अंतर्गत निर्धारित अथवा संविदाकार द्वारा सहमत किसी देय राशि का डीएमआरसी को भुगतान करने में विफल रहता है।

iii) यदि करार की सामान्य शर्तों के अंतर्गत संविदाकार अपनी किसी बात पर अटल रहता है अथवा संविदा से हट जाता है तो कार्यनिष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और वह पूर्णरूप से डीएमआरसी के डिस्पोजल पर होगी।

संविदा समाप्त किए जाने की तारीख को मूल्यनिर्धारण

13.2.8 इंजीनियर उप-खंड 13.2.1 के अंतर्गत संविदा समाप्त किए जाने के बाद यथाशीघ्र निर्माण और/अथवा विनिर्माण दस्तावेजों, संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक, सामग्री, संविदाकार के उपकरण और निर्माणकार्य तथा संविदा समाप्त किए जाने की तारीख को संविदाकार को देय सभी धनराशियों का मूल्यनिर्धारण करेगा और संविदाकार को सूचित करेगा।

संविदा समाप्त किए जाने के बाद भुगतान

13.2.9 उप-खंड 13.2.1 के अंतर्गत संविदा समाप्त किए जाने के बाद नियोक्ता द्वारा संविदाकार को तब तक आगे और कोई भुगतान करने की जिम्मेदारी नहीं होगी जब तक कि डिजाइन, विनिर्माण, कार्य करने, कार्य पूरा करने, किसी दोषपूर्ण कार्य को सही करने, निर्माणकार्य पूरा करने में विलम्ब (यदि कोई हो) के लिए हर्जाने की लागत और नियोक्ता की अन्य सभी लागतें तय नहीं हो जाती हैं।

नियोक्ता को उपखंड 13.2.8 के अंतर्गत संविदाकार को देय राशि में से निर्माणकार्य को पूरा करने की अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, को संविदाकार से वसूल करने का अधिकार होगा। यदि ऐसी कोई अतिरिक्त लागत नहीं है तो नियोक्ता संविदाकार को देय शेष राशि का भुगतान करेगा।

शक्ति का प्रयोग न किए जाने का अर्थ

13.2.10 यदि ऊपर उप-खंड 13.1 और उप-खंड 13.2.1 द्वारा नियोक्ता को प्रदत्त शक्तियां प्रयोग किए जाने योग्य हो जाती हैं और हो सकता है कि उन्हें प्रयोग न किया गया

छूट प्रदान करना नहीं

हो तो प्रयोग न किए जाने का अर्थ उनकी किसी शर्त में छूट प्रदान किया जाना नहीं होगा।

नियोक्ता की चूक **13.3**

संविदाकार द्वारा नोटिस दिया जाना

13.3.1 यदि नियोक्ता:

क. संविदाकार को बिना किसी उचित कारण के उप-खंड 11.5 में उल्लिखित समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात् 56 दिन के भीतर जिसमें भुगतान करना होता है, नियोक्ता द्वारा संविदा के अंतर्गत कोई कटौती करने के अधिकार के अध्यधीन इंजीनियर के किसी प्रमाणपत्र के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है

ख. दिवालिया हो जाता है अथवा एक कंपनी होने के नाते पुनर्संरचना अथवा समामेलन की स्कीम के प्रयोजन को छोड़कर कारोबार बंद कर देता है

तो, संविदाकार नियोक्ता को नोटस दे सकता है और नोटिस प्राप्त होने के 28 दिन के भीतर चूक को ठीक करने के लिए कह सकता है। यदि नियोक्ता चूक को ठीक नहीं कर पाता है अथवा ऐसा करने के लिए उचित उपाय जो संविदाकार को स्वीकार्य हों, करने में विफल रहता है तो संविदाकार नियोक्ता को 14 दिन का नोटिस देकर और उसकी प्रति इंजीनियर को देकर संविदा समाप्त कर सकता है। इस स्थिति में संविदाकार को उप-खंड 13.3.4 के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाएगी।

इस संबंध में देय राशि के बारे में इंजीनियर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

संविदाकार द्वारा काम आस्थगित करने का अधिकार

13.3.2 यदि नियोक्ता उप-खंड 11.6 में उल्लिखित समय समाप्त होने के 56 दिनों के भीतर, जिसमें नियोक्ता को संविदा के तहत कोई कटौती के जाने के अधिकार के अध्यधीन भुगतान करना होता है, यदि वह इंजीनियर के किसी प्रमाणपत्र के अंतर्गत देय राशि का संविदाकार को भुगतान नहीं करता है तो संविदाकार नियोक्ता को 28 दिन पहले नोटिस देकर और उसकी प्रति इंजीनियर को भेजकर काम आस्थगित कर सकता है अथवा काम की गति धीमी कर सकता है।

यदि संविदाकार इस उप-खंड के उपबंधों के अनुसार काम आस्थगित कर देता है अथवा काम की गति धीमी कर देता है और इससे काम में विलम्ब होता है या लागत आती है तो इंजीनियर नियोक्ता और संविदाकार से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित को निर्धारित करेगा:

(क) किसी समयसीमा को आगे बढ़ाना, जिसका कि संविदाकार को उप-खंड-8.4 के तहत अधिकार है।

(ख) ऐसी लागत की राशि, जो संविदा की कीमत में जोड़ी जाएगी और तद्नुसार संविदाकार को सूचना देगा और उसकी प्रति नियोक्ता को देगा।

संविदाकार द्वारा काम बंद किया जाना

13.3.3 उपखंड-13.3.1 के तहत संविदा समाप्त किए जाने के पश्चात् संविदाकार:

(क) पहले किए जा चुके निर्माणकार्य के भागों को सुरक्षित या संरक्षित किए जाने के प्रयोजन तथा स्थल को साफ-सुथरा एवं सुरक्षित स्थिति में छोड़ने के लिए अपेक्षित किसी कार्य, जो आवश्यक हो और इंजीनियर द्वारा उसे पूरा करने के लिए कहा गया हो, को छोड़कर आगे सभी कार्य बंद कर देगा,

(ख) निर्माण और/अथवा विनिर्माण संबंधी सभी दस्तावेज, संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक और सामग्री जिसके लिए संविदाकार ने भुगतान प्राप्त कर लिया है, हस्तांतरित करेगा ,

(ग) संविदा के समापन की तारीख तक संविदाकार द्वारा किए गए अन्य निर्माणकार्यों के उन भागों को हस्तांतरित करेगा, और

(घ) संविदाकार के सभी उपकरणों को कार्यस्थल से हटाएगा और अपने सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वहाँ से वापस बुलाएगा।

संविदा की इस प्रकार समाप्ति में संविदा के तहत संविदाकार के अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

संविदा की समाप्ति पर भुगतान

13.3.4 उपखंड-13.3.1 के तहत संविदा समाप्त किए जाने के पश्चात् नियोक्ता कार्यनिष्पादन प्रतिभूति को वापस करेगा और संविदाकार को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार परिकलित और प्रमाणित राशि का भुगतान करेगा।

(क) अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार साइट पर वास्तविक रूप में लाई गई और अगले तीन माह के दौरान निर्माणकार्य को सम्पादित करने के लिए यथाआवश्यक अनुमोदित सामग्री का मूल्य, और

(ख) कटौतियां, रिटेंशंस, 'सेट ऑफ' को ध्यान में रखते हुए संविदा में निर्धारित दरों पर संविदाकार द्वारा पूरे किए गए कार्य का मूल्य।

(ग) इसके अतिरिक्त संविदा समाप्ति का नोटिस प्रभावी होने की तारीख को अधूरे रह गए कार्य के मूल्य से अनाधिक 2%(दो प्रतिशत) राशि।

उपर्युक्त भुगतान इस खंड के तहत संविदा समाप्ति के लिए पूर्ण मुआवजा होगा तथा संविदाकार संविदा के तहत अथवा अन्य के तहत हर्जाने अथवा अन्य हक का कोई दावा नहीं कर सकेगा।

13.3.5 यदि किसी भी परिस्थिति में संविदा को समाप्त/समय पूर्व समाप्त किया जाता है तो संविदाकार के पास नियोक्ता के शेष सभी औजार, संयंत्र, उपकरण और बची हुई सामग्री को संविदाकार की लागत पर नियोक्ता के डिपो में अच्छी स्थिति में वापस करने होंगे। संविदाकार द्वारा ऐसा न करने पर नियोक्ता को संविदाकार को देय राशि अथवा किसी अन्य संविदा के तहत देय किसी अन्य राशि में से संविदाकार से उनकी लागत वसूलने का अधिकार होगा। वसूली की राशि के मामले में इंजीनियर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और ऐसी सामग्री के लिए संविदाकार से प्रारम्भ में ली गई दर पर पूरा ऋण प्रदान करने की अनुमति होगी। इसी प्रकार यदि संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकार को ऐसी सामग्री की नि:शुल्क आपूर्ति की गई हो और संयंत्र, उपकरण और औजार की नि:शुल्क या लीज पर आपूर्ति की गई हो तो नियोक्ता को वापस न की गई सामग्री, संयंत्र, उपकरण और औजार की लागत वसूल करने का अधिकार होगा।

14 जोखिम और उत्तरदायित्व

क्षतिपूर्ति

14.1 संविदाकार निर्माणकार्य करने में, जिसमें उसके द्वारा प्रदान की गई पेशेवर सेवाएं या उनकी सुरक्षा करना भी सम्मिलित है, संविदाकार, उसके प्रतिनिधि या उसके किसी कर्मचारी के किसी काम या चूक के कारण हुई सभी प्रकार की कार्रवाइयों, गलतियों, कार्यवाहियों, दावों, हर्जाने, हानि, व्यय और मांग के मामले में नियोक्ता, इंजीनियर, विनिर्दिष्ट संविदाकारों, उनके प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

क्षतिपूर्ति करने संबंधी दायित्वों में ऐसे दावे, हर्जाने, हानि, हर्जाने की कार्यवाही, प्रभार और व्यय सम्मिलित होंगे परन्तु ये दायित्व ऐसे दावे, हर्जाने, हानि, हर्जाने की कार्यवाही, प्रभार और व्यय तक सीमित नहीं होंगे जो निम्न के कारण हों:

(क) किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होने, या रोग लगने, या मृत्यु होने या चोट लगने से; और

(ख) किसी संपत्ति की हानि, टूट-फूट, या विनाश (कार्य के अलावा) और इसके परिणाम स्वरूप उपयोग की हानि सहित; और

(ग) संविदाकार, या किसी भी श्रेणी के उप-संविदाकार द्वारा संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक और सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने-ले जाने और/अथवा जलयान के स्वामित्व या चार्टरिंग के कारण हुई हानि, टूट-फूट या आई लागत।

संविदाकार खंड 5.8 में उल्लिखित पेटेंट अधिकारों, डिजाइन, ट्रेडमार्क नाम

आदि के उल्लंघन के कारण से उत्पन्न सभी दावों और कार्यवाहियों के लिए भी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे हानि से बचाएगा।

इन शर्तों के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में देय सभी राशियों को वास्तविक रूप में हुई हानि या टूट-फूट, और कोई टूट-फूट हुई है अथवा नहीं, का संदर्भ दिए बिना नियोक्ता को देय उचित क्षतिपूर्ति माना जाएगा। क्षतिपूर्ति के दावे के मामले में इंजीनियर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

संविदाकार द्वारा निर्माणकार्य की देखभाल

14.2 संविदाकार किसी किए जा रहे निर्माणकार्य, या निर्माणकार्य में सम्मिलित किए जाने के लिए साइट से दूर भंडारण कार्य, या साइट पर लाए जाने संबंधी किसी भी कार्य की जिम्मेदारी सहित कार्य, या उसके किसी भाग और संविदाकार के उपकरणों, अस्थाई कार्यों, संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक,और अन्य सामग्री जो भी निर्माणकार्य के संबंध में या निर्माणकार्य के प्रयोजन हेतु साइट पर हो, या साइट पर सुपुर्द की गई हो, की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेगा।

संविदाकार निर्माणकार्य प्रारंभ होने की तारीख से टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख तक यह जिम्मेदारी लेगा, इसके बाद यह जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। यदि इंजीनियर निर्माणकार्य के किसी खंड या भाग के लिए टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी कर देता है तो वह ऐसा टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तारीख से उस खंड या भाग के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा और उसके बाद जिम्मदारी नियोक्ता की होगी।

जब तक कि इंजीनियर लिखित में यह पुष्टि नहीं कर देता है कि बकाया कार्य पूरा कर दिया गया है, संविदाकार उस बकाया कार्य की देखभाल की जिम्मदारी लेगा जोकि संविदा अवधि के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।

जिस अवधि के लिए संविदाकार जिम्मेदार है,यदि उस अवधि के दौरान उप-खंड 14.3 में सूचीबद्ध नियोक्ता के जोखिमों के अलावा किसी अन्य कारण से किसी निर्माणकार्य, किसी संपत्ति या व्यक्ति को कोई हानि या टूट-फूट होती है तो संविदाकार अपनी लागत पर उस हानि या टूट-फूट को दूर करेगा ताकि निर्माणकार्य संविदा के अनुरूप हो अथवा नियोक्ता की इच्छा से उसे भुगतान करेगा या नियोक्ता को ऐसी हानि या टूट-फूट को दूर करने की लागत लेने की अनुमति देगा। ऐसी किसी हानि या टूट-फूट के बावजूद संविदाकार संविदा और इंजीनियर के अनुदेशों के अनुसार निर्माणकार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा। संविदाकार टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख के पश्चात् उसके द्वारा

किए गए किसी प्रचालन के कारण निर्माणकार्य में हुई किसी भी हानि या टूट-फूट के लिए भी जिम्मेदार होगा।

नियोक्ता के जोखिम

14.3 संविदा के तहत दायित्वों के निर्वहन के परिणामस्वरूप भारत में भौतिक संपत्ति की हानि या टूट-फूट और भारत में किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट के मामले में नियोक्ता के जोखिम निम्नवत हैं:

(क) युद्ध, युद्धस्थिति(घोषित या अघोषित युद्ध), आक्रमण, विदेशी शत्रुओं की करतूत,

(ख) भारत में विद्रोह, क्रान्ति, बगावत, या सैन्य विद्रोह या तख्तापलट, या गृह युद्ध,

(ग) व्यक्तियों द्वारा दंगा, बलवा या हंगामा जब तक कि वह केवल संविदाकार या उप-संविदाकारों द्वारा निर्माणकार्य में वर्तमान में या पूर्व में लगाए गए कर्मचारियों द्वारा न किया गया हो,

(घ) किसी भी रेडियोधर्मी सामग्री जिसके उपयोग के लिए संविदाकार जिम्मेदार है, को छोड़कर आयोनाइजिंग रेडिएशन, या किसी परमाणु ईंधन, या परमाणु ईंधन के जलने से उत्पन्न परमाणु कचरे की रेडियोधर्मिता से संदूषण, रेडियोधर्मी विषैला विस्फोटक, किसी विस्फोटक परमाणु संयंत्र के खतरनाक गुण या ऐसे संयत्र के परमाणु घटक,

(ङ) ध्वनि की गति से या पराध्वनिक गति से चलने वाले हवाई जहाज या किसी अन्य हवाई उपकरणों से उत्पन्न दबाव तरंगें,

(च) निर्माणकार्य के किसी भाग का नियोक्ता द्वारा उपयोग या कब्जा, सिवाय उसके जिसे संविदा में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

नियोक्ता के जोखिमों के परिणाम

14.4 यदि नियोक्ता के जोखिम से हानि या टूट-फूट होती है तो संविदाकार तत्काल इंजीनियर को सूचित करेगा और इंजीनियर की अपेक्षानुसार उस हानि या टूट-फूट को दूर करेगा।

यदि इससे संविदाकार को अपने कार्य में विलम्ब होता है और/या इस हानि या टूट-फूट को दूर करने में लागत आती है तो वह इंजीनियर को नोटिस देगा और निम्नलिखित का दावा करने के लिए अधिकृत होगा:

(क) यदि कार्य पूरा करने में विलम्ब होता है या होगा तो उप-खंड 8.4 के तहत ऐसे विलम्ब के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाए जाने, और

(ख) ऐसी लागत राशि, जिसे संविदा के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा।

संविदाकार के जोखिम

14.5 उप-खंड 14.3 में दिए गए नियोक्ता के जोखिमों को छोड़कर सभी जोखिम संविदाकार के जोखिम होंगे ।

देयता की सीमा

14.6 जब तक कि इन शर्तों में अन्यथा उपबंध न किया गया हो, दोनों में से कोई भी पक्ष अन्य पक्ष को संविदा के संबंध में होने वाले किसी कार्य के उपयोग की हानि, लाभ की हानि, किसी संविदा में हानि या किसी अन्य अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या टूट-फूट के लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा । संविदा के तहत नियोक्ता के प्रति संविदाकार की कुल देयता संविदा के मूल्य से अधिक नहीं होगी । इसके अलावा यह उप-खंड संविदाकार की देयता को निम्नलिखित के तहत सीमित नहीं करेगा :

(क) उप-खंड 4.18, 4.19, 5.7, 8.6, और खंड 7.10 और 7.11 के तहत

(ख) संविदा के किसी अन्य उपबंध के तहत, जिसमें कि स्पष्ट रूप से अधिक देयता लगाने का उल्लेख किया गया हो,

(ग) धोखाधड़ी, जानबूझकर किए गए कदाचार या अवैध या गैरकानूनी कार्यों के मामले में, या

(घ) संविदाकार के ऐसे कार्यों या चूक, जोकि निर्माणकार्य को ठीक ढंग से करने के सबसे सामान्य नियमों के विपरीत हों जिनका एक समझदार संविदाकार द्वारा ऐसी ही परस्थितियों में पालन किया गया होता, के मामले में ।

15 बीमा

व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा

15.1 संविदाकार, संविदाकार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले निर्माणकार्यों के किसी भी डिजाइन के लिए निवदा प्रपत्र के परिशिष्ट में भारतीय रुपयों में उल्लिखित राशि का अधिमानत: डीएमआरसी के नाम से व्यावसायिक बीमा करेगा और उसे बनाए रखेगा । यह बीमा जो निर्माणकार्यों की डिजाइन में व्यावसायिक लापरवाही और त्रुटियों के कारण उत्पन्न संविदाकार की देयता को सुनिश्चित करेगा, निर्माणकार्य प्रारम्भ होने की तारीख से कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख के बाद 5 वर्ष तक के लिए वैध होगा । **विकल्प के तौर पर संविदाकार वार्षिक बीमा समाप्त होने से पहले बीमा को इस प्रकार छुड़ा लेगा कि इसमें वैधता की संपूर्ण अवधि कवर हो जाए ।**

इंजीनियर तब तक अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा जब तक कि संविदाकार इस बात का सबूत नहीं दे देता है कि उक्त अवधि के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा की कवरेज उपलब्ध करा दी गई है ।

निर्माणकार्य और संविदाकार के उपकरणों के लिए बीमा

15.2 संविदाकार संयंत्र, रॉलिंग स्टॉक, सामग्री और निर्माणकार्य का सभी प्रकार की हानि या टूट-फूट के लिए नियोक्ता, संविदाकार और उप-संविदाकारों(जहां कहीं लागू हो) के संयुक्त नाम से बीमा करेगा । इस बीमा में उप-खंड 14.3 के उप-पैरा (क), (ख), (घ) और (ङ) में सूचीबद्ध नियोक्ता के जोखिमों को छोड़कर किसी भी कारण से हुई हानि या टूट-फूट कवर होगी । ऐसे बीमा की सीमा पूर्ण प्रतिस्थापन(रिप्लेसमेंट) लागत(लाभ सहित) से कम नहीं होगी और यह तोड़-फोड़ किए जाने और कचरे को हटाए जाने की लागत को भी कवर करेगा । ऐसा बीमा इस रीति से किया जाएगा कि निर्माणकार्य प्रारम्भ की तारीख से पूरे निर्माणकार्य के लिए टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख तक के लिए नियोक्ता और संविदाकार कवर हों । संविदाकार ऐसी हानि या टूट-फूट के लिए कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख तक कवर प्रदान करने के लिए बीमा का विस्तार करेगा जो टेकिंग-ओवर प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले किसी कारण से हुई हो और इसमें किसी अन्य प्रचालन के दौरान संविदाकार या उप-संविदाकार द्वारा हुई कोई हानि या टूट-फूट भी सम्मिलित है (खंड 7.10, 7.11 और 10 सहित) ।

संविदाकार अपने उपकरणों का सभी प्रकार की हानि या टूट-फूट के लिए और सभी प्रकार के जोखिमों के लिए नियोक्ता, संविदाकार और उप-संविदाकारों(जहां कहीं लागू हो) के संयुक्त नाम से बीमा करेगा । इस बीमा में उप-खंड 14.3 के उप-पैरा (क), (ख), (घ) और (ङ) में सूचीबद्ध नियोक्ता के जोखिमों को छोड़कर किसी भी कारण से हुई हानि या टूट-फूट कवर होगी । ऐसे बीमा की सीमा पूर्ण प्रतिस्थापन(रिप्लेसमेंट) मूल्य(साइट पर सुपुर्दगी किये जाने सहित) से कम नहीं होगी । ऐसा बीमा इस रीति से किया जाएगा कि इसमें साइट पर ले जाए जाने के दौरान और साइट पर या उसके निकट रहने की पूरी अवधि के दौरान प्रत्येक उपकरण का बीमा कवर होगा ।

व्यक्तियों को चोट और संपत्ति के नुकसान का बीमा

15.3 संविदाकार किसी प्रकार की हानि, टूट-फूट जो किसी भौतिक संपत्ति(उप-खंड 15.2 के तहत बीमा की गई वस्तुओं को छोड़कर) को हुई हो अथवा किसी व्यक्ति (उन व्यक्तियों को छोड़कर जिनका उप-खंड 15.4 के तहत बीमा किया गया हो) की मृत्यु या शारीरिक चोट जो संविदा के कार्यनिष्पादन के फलस्वरूप हो और कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले हो, के लिए नियोक्ता, संविदाकार और उप-संविदाकारों(जहां कहीं लागू हो) के संयुक्त नाम से तीसरे पक्ष की देयता के लिए बीमा करेगा । ऐसे बीमा की राशि निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी

कर्मचारियों का बीमा

15.4 संविदाकार, संविदाकार या किसी उप-संविदाकार(जहां कहीं लागू हो) द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति की मृत्यु होने या चोट लगने से हुई हानियों और दावों लिए इस प्रकार बीमा करेगा और उसे बनाए रखेगा कि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत नियोक्ता और इंजीनियर को क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाए । उप- संविदाकार के कर्मचारियों(जहां कहीं लागू हो) के लिए ऐसा बीमा उप-संविदाकार द्वारा किया जा सकता है, परन्तु इस खंड के अनुपालन के लिए संविदाकार जिम्मेदार होगा।

बीमा की सामान्य शर्तें

15.5 संविदाकार निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट में उल्लिखित संबंधित अवधि(प्रारम्भ की तारीख से गणना की जाएगी) के भीतर नियोक्ता को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:

(क) इस बात का साक्ष्य कि इस खंड में उल्लिखित बीमा किसी भारतीय बीमा कंपनी के साथ करा दिया गया है, और

(ख) उप-खंड 15.2, 15.3 और 15.4 में उल्लिखित बीमा की पॉलिसियों की प्रतियां।

संविदाकार प्रत्येक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उसकी रसीद की प्रतियां नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा। संविदाकार नियोक्ता को ऐसा साक्ष्य, पॉलिसियां और रसीदें प्रस्तुत करते समय इसकी सूचना इंजीनियर को भी देगा।

संविदाकार सभी प्रकार का बीमा करेगा जिसके लिए वह बीमाकर्ता के साथ जिम्मेदार है और यह नियोक्ता द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुरूप होगा। हानि या टूट-फूट के लिए की गई प्रत्येक बीमा पॉलिसी में ऐसी हानि या टूट-फूट को दूर करने के लिए आवश्यक मुद्रा का भुगतान किए जाने का प्रावधान होगा । बीमाकर्ता से प्राप्त भुगतान का उपयोग ऐसी हानि या टूट-फूट को दूर करने के लिए किया जाएगा।

संविदाकार (और, यदि उचित हो तो नियोक्ता) प्रत्येक बीमा पॉलिसी में निर्धारित शर्तों का पालन करेगा। संविदाकार नियोक्ता की पूर्व अनुमति लिए बिना किसी बीमा की शर्तों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करेगा । यदि कोई बीमाकर्ता ऐसा कोई परिवर्तन करता है(या किए जाने का विचार करता है) तो संविदाकार शीघ्र नियोक्ता को सूचित करेगा।

यदि संविदाकार संविदा के तहत अपेक्षित किसी बीमा को करने और उसे बनाए रखने में विफल रहता है अथवा इस उप-खंड के अनुसार संतोषजनक साक्ष्य, पॉलिसियां या रसीदें उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो नियोक्ता किसी अन्य अधिकार या उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी बकाया राशि को कवर करने के लिए बीमा करेगा और देय प्रीमियम का भुगतान करेगा । ऐसे

मामलों में नियोक्ता द्वारा जमा किया गया प्रीमियम और ऊपरी खर्च (जमा किए गए प्रीमियम के 50 प्रतिशत के बराबर) नियोक्ता द्वारा संविदाकार से वसूल किया जा सकेगा, और संविदाकार को देय, या देय होने वाली किसी धनराशि से कटौती की जा सकेगी या संविदाकार से देय ऋण के रूप में वसूल किया जा सकेगा। संविदाकार नियोक्ता द्वारा जमा किए गए प्रीमियम की राशि या उस पर ऊपरी खर्च की राशि के बारे में कोई विवाद नहीं करेगा।

इस खंड की कोई बात संविदा की अन्य शर्तों के अंतर्गत अथवा अन्यथा संविदाकार या नियोक्ता के दायित्वों, देयताओं और जिम्मेदारियों को सीमित नहीं करती है। कोई राशि जिसका बीमा नहीं किया गया है या बीमाकर्ता से वसूल नहीं की गई है, संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी।

संविदाकार बीमाकर्ता से किए गए सभी दावों और बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किये गए दावों का ब्यौरा अथवा इंजीनियर द्वारा मांगा गया कोई अन्य ब्यौरा मासिक आधार पर इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा।

16 अप्रत्याशित घटना

अप्रत्याशित घटना की परिभाषा

16.1 इस खंड में "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ ऐसी घटना से है जो नियोक्ता और संविदाकार के नियंत्रण के बाहर है , जिसके फलस्वरूप किसी पक्ष के लिए कार्यनिष्पादन करना असंभव या अवैध हो जाता है , इसमें निम्नलिखित घटनाएं सम्मिलित हैं परन्तु इन घटनाओं तक सीमित नहीं है:

(क) दैवीय घटना

(ख) युद्ध, युद्धस्थिति(घोषित या अघोषित युद्ध), आक्रमण, विदेशी शत्रुओं की करतूत, लामबंदी, माँग, या अधिरोध;

(ग) विद्रोह, क्रान्ति, बगावत, या सैन्य विद्रोह या तख्तापलट, या गृह युद्ध;

(घ) किसी परमाणु ईंधन, या परमाणु ईंधन के जलने से उत्पन्न किसी परमाणु कचरे, रेडियाधर्मी विषैले विस्फोटक, किसी विस्फोटक परमाणु संयंत्र के अन्य खतरनाक गुण या ऐसे संयत्र के परमाणु घटक की रेडियोधर्मिता से संदूषण,

(ङ) दंगा, बलवा या हंगामा जब तक कि वह केवल संविदाकार या उप-संविदाकारों द्वारा कार्य में वर्तमान में या पूर्व में लगाए गए कर्मचारियों द्वारा न किया गया हो,

यदि एक पक्ष यह मानता है कि वह अप्रत्याशित घटना से प्रभावित हो सकता है

तो वह ऐसी घटना के 21 दिन के भीतर अन्य पक्ष और इंजीनियर को ऐसी अप्रत्याशित घटना की सूचना देगा। यदि दोनों में से कोई पक्ष ऐसी घटना के 21 दिन के भीतर घटना के बारे में कोई सूचना जारी नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि घटना घटित नहीं हुई है और संविदा पूर्ववत् जारी रहेगी।

अप्रत्याशित घटना का प्रभाव 16.2 न तो नियोक्ता की और न संविदाकार की उस सीमा तक कोई चूक या संविदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा कि वे दायित्वों का निर्वहन किसी अप्रत्याशित घटना के कारण नहीं कर पाते हैं यदि यह चूक या संविदा उल्लंघन ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित होने की सूचना देने की तारीख के बाद होती है, जहां तक व्यवहार्य हो, प्रभावित पक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखने का प्रयास करेगा।

संविदाकार की जिम्मेदारी 16.3 यदि संविदाकार ऐसी अप्रत्याशित घटना से प्रभावित होता है तो वह अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को दूर करने के लिए किसी प्रस्ताव के संबंध में इंजीनियर को तुरंत सूचित करेगा, इसमें कार्यनिष्पादन के लिए उचित वैकल्पिक साधन भी सम्मिलित हैं, परन्तु वह इंजीनियर की सहमति के बिना उक्त प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं करेगा।

नियोक्ता की जिम्मदारी 16.4 यदि नियोक्ता ऐसी अप्रत्याशित घटना से प्रभावित होता है तो वह अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को दूर करने के लिए किसी प्रस्ताव के संबंध में इंजीनियर और संविदाकार को तुरंत सूचित करेगा।

संविदाकार को भुगतान 16.5 यदि ऐसी अप्रत्याशित घटना के कारण कार्य में कोई हानि या टूट-फूट होती है तो संविदाकार संविदा के अनुरूप किए गए कार्य की लागत को अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र में सम्मिलित करने के लिए अधिकृत होगा।

निर्माणकार्य पुन: प्रारम्भ करना 16.6 अप्रत्याशित घटना के समाप्त होने या मौजूद न रहने के बाद संविदा के अंतर्गत कार्य जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र पुन: प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

यदि इस बात को लेकर कोई संदेह या विवाद होता है कि किसी घटना को इस खंड में यथापरिभाषित “घटना” माना जाए या नहीं तो इस संबंध में इंजीनियर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

जिस निर्माणकार्य की पहले ही माप की जा चुकी है तो नियोक्ता द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा, भले ही किसी अप्रत्याशित घटना के फलस्वरूप वह ध्वस्त हो गया हो या उसमें टूट-फूट हो गयी हो। जिस निर्माणकार्य की पहले ही माप की जा चुकी है उसे पुन: करने या प्रतिस्थापित करने की लागत नियोक्ता द्वारा वहन

की जाएगी।

संविदा समाप्त करने का विकल्प, भुगतान और कार्य निष्पादन से मुक्ति

16.7 बढ़ाई गई समय-सीमा पर ध्यान दिए बिना, यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है और उसका प्रभाव उप-खंड 16.1 के अंतर्गत सूचना दिए जाने के बाद 6 माह की अवधि तक जारी रहता है तो दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को संविदा समाप्त किए जाने का नोटिस दे सकता है जो नोटिस देने के 28 दिन बाद प्रभावी होगा। यदि 28 दिन की अवधि समाप्त होने पर अप्रत्याशित घटना का प्रभाव रहता है तो उस तारीख को संविदा समाप्त हो जाएगी अन्यथा संविदा प्रभावी रहेगी।

संविदाकार को संविदा के अंतर्गत किए गए कार्य के लिए पूरा भुगतान किया जाएगा, परन्तु किसी त्रुटिपूर्ण कार्य अथवा माप किये जाने से पहले ध्वस्त या क्षतिग्रस्त कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। नियोक्ता के पास साइट पर पड़े किसी संयत्र, रॉलिंग स्टॉक और सामग्री को संविदा में दी गई दरों पर टेक-ओवर करने का विकल्प होगा, यदि संविदा में दरें निर्धारित नहीं हैं तो इंजीनियर द्वारा निर्धारित उचित और तर्कसंगत दरों पर टेक-ओवर करने का विकल्प होगा।

कानून के अंतर्गत कार्यनिष्पादन से मुक्ति

16.8 यदि संविदा कानून के अंतर्गत नियोक्ता और संविदाकार को आगे कार्य निष्पादन करने से मुक्त कर दिया जाता है तो नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय राशि वही होगी जो उप-खंड 16.7 के अंतर्गत देय होती, बशर्ते कि संविदा उसी उप-खंड के अंतर्गत समाप्त की गई हो।

17 दावे, विवाद, सुलह और विवाचन

दावे की प्रक्रिया

17.1 यदि संविदाकार इन शर्तों के किसी खंड के अंतर्गत अथवा अन्यथा किसी अतिरिक्त भुगतान का दावा करना चाहता है तो संविदाकार यथाशीघ्र इंजीनियर को नोटिस देकर सूचित करेगा और किसी घटना के मामले में उस घटना के प्रारम्भ के 28 दिन के भीतर सूचित करेगा जिसके कारण दावे की राशि में वृद्धि हुई है।

संविदाकार साइट पर अथवा इंजीनियर द्वारा स्वीकार्य किसी अन्य स्थान पर ऐसे समसामयिक रिकॉर्ड रखेगा जो किसी दावे की पुष्टि के लिए आवश्यक हों। नियोक्ता की देयता स्वीकार किए बिना इंजीनियर ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर उन रिकॉर्डों का निरीक्षण करेगा और वह संविदाकार को आगे भी समसामयिक रिकॉर्ड रखने के लिये कह सकता है। संविदाकार ऐसे सभी रिकॉर्डों का निरीक्षण करने के लिए इंजीनियर को अनुमति देगा और इंजीनियर को प्रतियां(यदि कहा

गया हो) प्रस्तुत करेगा।

संविदाकार ऐसे नोटिस के 28 दिन के भीतर, अथवा इंजीनियर द्वारा स्वीकृत अन्य समय सीमा के भीतर इंजीनियर को दावे की राशि और उसके आधार का विस्तृत ब्यौरा देते हुए एक विवरण भेजेगा। यदि दावे की राशि में वृद्धि करने वाली घटना का अनवरत प्रभाव रहता है तो ऐसी राशि अंतरिम मानी जाएगी। तत्पश्चात् संविदाकार ऐसे अंतरालों जिन्हें इंजीनियर यथोचित समझे, पर आगे और अंतरिम विवरण भेजेगा जिसमें दावे की संचयी राशि और अन्य ब्यौरे दिए जाएंगे। यदि इंजीनियर के पास अंतरिम विवरण भेजे जाते हैं तो संविदाकार घटना के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव के समाप्त होने के 28 दिन के भीतर अंतिम विवरण भेजेगा।

यदि संविदाकार इस उप-खंड का अनुपालन करने में विफल रहता है तो किसी अतिरिक्त भुगतान का दावा करने का उसका कोई अधिकार नहीं होगा।

दावों का भुगतान 17.2 संविदाकार नियोक्ता की अनुमति लेने के पश्चात् किसी अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र में किसी दावे की ऐसी राशि को सम्मिलित करने के लिए अधिकृत होगा जिसे इंजीनियर देय मानता है। यदि भेजे गए विवरण पूरे दावे की पुष्टि करने के लिए अपर्याप्त हैं तो संविदाकार दावे के उस भाग का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा जिसकी पुष्टि की जा चुकी है।

विवाद निपटाने की सभी प्रक्रियाएं अपनाए जाने तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं 17.3 किसी या सभी विवादों का निपटान खंड 17 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। जब तक खंड 17 में उल्लिखित विवाद निपटान की सभी लागू प्रक्रियाएं, उस विवाद या किसी विवाद जिससे वह विवाद उत्पन्न हुआ हो जिससे वह संबद्ध हो सकता हो या संबद्ध रहा हो, अंतिम तौर पर अपनाई न जा चुकी हों तब तक उस विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी।

विवाद का नोटिस 17.4 उप-खंड 17.5 के प्रयोजन हेतु कोई विवाद तब उत्पन्न हुआ माना जाएगा जब कोई एक पक्ष विवाद के स्वरूप का उल्लेख करते हुए दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस(जिसे इसमें इसके पश्चात् "विवाद का नोटिस" कहा गया है) देता है परन्तु इंजीनियर द्वारा कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख 28 दिन बाद ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा।

विवाद समाधान के दो चरण 17.5 विवादों का समाधान दो चरणों में किया जाएगा:

क. "विवाचन और सुलह अधिनियम-1996" (समय-समय पर

यथासंशोधित) द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं और इस खंड के अनुसार। यदि यह प्रक्रिया विवाद का समाधान करने में विफल रहती है तो;

ख. "विवाचन और सुलह अधिनियम-1996"(समय-समय पर यथासंशोधित) में यथाउपबंधित विवाचन प्रक्रियाओं और इस खंड के अनुसार।

सुलह

17.6 विवाद का नोटिस प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर दोनों में से कोई भी पक्ष विवादित मामले को सुलह के लिए भेजेगा।

एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को सुलह के लिए लिखित में आमंत्रित किए जाने के 30 दिन के भीतर सुलह की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। दूसरे पक्ष द्वारा लिखित में यह आमंत्रण स्वीकार किए जाने के बाद सुलह प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यदि आमंत्रण स्वीकार नहीं किया जाता है तो सुलह प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। यदि सुलह की पहल करने वाले पक्ष को सुलह के लिए आमंत्रण भेजने की तारीख से 30 दिन के भीतर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह इसे सुलह के आमंत्रण को अस्वीकार किए जाने के रूप में माना जा सकता है और तदनुसार दूसरे पक्ष को सूचित करेगा।

नियोक्ता द्वारा रखे गए सुलहकर्ताओं के पैनल से किसी एक सुलहकर्ता द्वारा सुलह कराई जाएगी। सुलहकर्ता दोनों पक्षों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान करने में मदद करेगा।

सुलह प्रक्रिया

17.7 नियोक्ता सुलहकर्ताओं का एक पैनल बनाएगा जो सरकारी विभागों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सेवारत या सेवानिवृत्त इंजीनियर होंगे। इस पैनल में से तीन सुलहकर्ताओं की सूची संविदाकार के पास भेजी जाएगी जो इनमें से किसी एक को सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने और भारत के "विवाचन और सुलह अधिनियम-1996" के अनुसार सुलह कार्यवाही करने के लिए चुनेगा।

यदि इस प्रकार नामनिर्देशित सुलहकर्ता डीएमआरसी का कोई सेवारत कर्मचारी है जो डिप्टी स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी होगा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

नियोक्ता और संविदाकार सुलहकर्ता के साथ सदभावपूर्वक सहयोग करेंगे और विशेषकर सामग्री का लिखित विवरण प्रस्तुत करने, साक्ष्य उपलब्ध कराने और

बैठकों में भाग लेने के संबंध में सुलहकर्ता के अनुरोध का पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे । प्रत्येक पक्ष स्वयं अपनी ओर से पहल कर अथवा सुलहकर्ता द्वारा आमंत्रित किए जाने पर विवाद के समाधान के लिए सुलहकर्ता को सुझाव प्रस्तुत करेगा ।

जब सुलहकर्ता को यह लगे कि समाधान की संभावना है जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकता है तो वह संभावित समाधान की शर्तें तय करेगा और उन्हें पक्षकारों की टिप्पणी के लिए प्रस्तुत करेगा । पक्षकारों की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद सुलहकर्ता ऐसी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संभावित समाधान की शर्तें पुन: तय कर सकता है ।

यदि पक्षकारों में विवाद के समाधान को लेकर कोई करार हो जाता है तो वे समाधान का लिखित करार तैयार कर हस्ताक्षर कर सकते हैं । पक्षकारों द्वारा अनुरोध किये जाने पर सुलहकर्ता समाधान करार तैयार कर सकता है अथवा तैयार करने में पक्षकारों की सहायता कर सकता है ।

जब पक्षकार समाधार करार पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह क्रमश: पक्षकारों और उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों के अंतिम और बाध्यकारी होगा ।
सुलहकर्ता उस समाधान करार को प्रमाणित करेगा और प्रत्येक पक्षकार को उसकी प्रति देगा ।

जहां तक संभव हो, सुलह संबंधी कार्यवाही सुलहकर्ता द्वारा नोटिस प्राप्त किए जाने के 60 दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए ।

सुलह संबंधी कार्यवाही के दौरान पक्षकार उस विवाद के संबंध में कोई विवाचन या न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेंगे जो सुलह संबंधी कार्यवाही के अंतर्गत विचाराधीन है ।

सुलह संबंधी कार्यवाही को समाप्त किया जाना

17.8 सुलह संबंधी कार्यवाही निम्नवत् समाप्त कर दी जाएगी:

क. करार होने की तारीख को पक्षकारों द्वारा समाधान करार पर हस्ताक्षर कर; अथवा

ख. पक्षकारों से परामर्श करने के बाद सुलहकर्ता द्वारा इस बात की लिखित घोषणा कर, कि घोषणा किए जाने की तारीख को सुलह के लिए आगे और प्रयास किए जाने का कोई औचित्य नहीं है; अथवा

ग. पक्षकारों द्वारा सुलहकर्ता को लिखित में यह घोषणा प्रस्तुत करने पर कि

घोषणा किए जाने की तारीख को सुलह संबंधी कार्यवाही समाप्त की जाती है; अथवा

घ. एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार और सुलहकर्ता, यदि नियुक्त किया गया हो, को इस बात की लिखित घोषणा कर कि घोषणा किए जाने की तारीख को सुलह संबंधी कार्यवाही समाप्त की जाती है।

सुलह संबंधी कार्यवाही समाप्त होने पर सुलहकर्ता सुलह की लागत तय करेगा और पक्षकारों को उसका लिखित नोटिस देगा। जब तक कि समाधान करार में अलग-अलग अंश का उपबंध न किया गया हो, पक्षकारों द्वारा बराबर लागत वहन की जाएगी। किसी पक्षकार द्वारा किए गए अन्य सभी व्यय उसी पक्षकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

विवाचन

17.9 यदि सुलह के माध्यम से सभी अथवा किसी विवाद को सुलझाने के प्रयास सफल नहीं होते हैं तो पक्षकारों के बीच निर्माणकार्य/विनिर्माण, मापन कार्य अथवा संविदा के प्रभाव अथवा उसके उल्लंघन से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले ऐसे विवादों या मतभेदों को निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार विवाचन के लिए भेजा जाएगा:

(क) यदि दावे का कुल मूल्य 50 लाख रुपये तक है तो विवाचन किए जाने वाले मामलों को एकल विवाचक के पास भेजा जाएगा और यदि दावे का कुल मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है तो उन्हें तीन विवाचकों के पैनल के पास भेजा जाएगा। नियोक्ता 50 लाख रुपये तक के दावों के लिए तीन विवाचकों का पैनल उपलब्ध कराएगा जिसमें डीएमआरसी के अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं और 50 लाख रुपये से अधिक के दावों के लिए पाँच विवाचकों का पैनल उपलब्ध कराएगा जिसमें डीएमआरसी के अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं। संविदाकार को तीन विवाचकों के पैनल से एक विवाचक को चुनना होगा और/अथवा यदि तीन विवाचक नियुक्त किए जाने हैं तो पाँच विवाचकों के पैनल से एक विवाचक को चुनना होगा। नियोक्ता भी पाँच विवाचकों के इस पैनल से एक विवाचक चुनेगा और इस प्रकार चुने गए दो विवाचक केवल पैनल से ही तीसरे विवाचक को चुनेंगे। दोनों में से किसी पक्षकार से विवाचक नियुक्त किए जाने का लिखित नोटिस/मांग प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर विवाचक नियुक्त किया जाएगा/किए जाएंगे । दोनों में से कोई भी पक्षकार ऐसे विवाचक(विवाचकों) के समक्ष कार्यवाही में इंजीनियर का निर्णय प्राप्त करने के प्रयोजन से उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य या तर्क तक सीमित नहीं होगा। पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार इंजीनियर द्वारा दिया

गया कोई भी निर्णय उसको विवाचक/विवाचकों के पास भेजे गए किसी विवाद अथवा मतभेद से संबंधित किसी मामले में विवाचक(विवाचकों) के समक्ष साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किए जाने के लिए अनर्ह नहीं करेगा।

(ख) नियोक्ता विवाचक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए विवाचक(विवाचकों) का पैनल प्रस्तुत करते समय संविदाकार को उक्त नामनिर्देशित विवाचक की अर्हताओं के साथ-साथ उनके व्यावसायिक अनुभव, फोन न. और पते से संबंधित जानकारी भी भेजेगा।

(ग) एकल विवाचक का निर्णय अथवा तीन विवाचकों का बहुमत से लिया गया निर्णय, जैसी भी स्थिति हो, सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

विवाचन का निर्णय और ब्याज 17.10 यदि विवाचन का निर्णय धनराशि के भुगतान के संबंध में है तो जिस तारीख को निर्णय दिया गया है उस तारीख तक किसी भी अवधि के लिए संपूर्ण धनराशि अथवा उसके किसी भाग पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

विवाचन की लागत 17.11 विवाचन की लागत संबंधित पक्षकारों द्वारा वहन की जाएगी। लागत में अन्य के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार विवाचक(विवाचकों) का शुल्क सम्मिलित होगा।

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 17.12 जब किसी मामले के संबंध में न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है तो पक्षकारों के बीच सभी विवादों पर सुनवाई करने के लिए दिल्ली/नई दिल्ली स्थित न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

विवाचन के कारण कार्य को रोकना 17.13 इस बात पर ध्यान दिए बिना कि तब तक निर्माणकार्य पूरा नहीं होगा अथवा कथित तौर पर पूरा नहीं होगा, सुलह/विवाचन प्रक्रिया जारी रहेगी बशर्ते कि निर्माणकार्य की प्रगति के दौरान चल रहे विवाचन के कारण नियोक्ता, इंजीनियर और संविदाकार के दायित्वों में कोई परिवर्तन न हो। विवाचन के कारण दोनों में से किसी भी पक्षकार के पास विवादग्रस्त कार्य अथवा कार्य के भाग को रोकने का अधिकार नहीं होगा और संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकार को भुगतान किया जाता रहेगा।

18 नोटिस भेजना

संविदाकार को नोटिस

18.1 क. संविदाकार को सभी नोटिस डाक अथवा टेलेक्स अथवा टेलीफैक्स द्वारा भेजे जाएंगे अथवा संविदाकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दस्ती रूप में दिए जाएंगे। यदि नोटिस डाक द्वारा भेजे जाते हैं तो उन्हें भेजने के 7 दिन बाद डिलीवर किया गया माना जाएगा।

ख. संविदाकार संविदा दिए जाने के समय इंजीनियर को खंड 4.3 में उल्लिखित अपने प्रतिनिधियों का नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन, टेलेक्स और टेलीफैक्स नम्बर तथा ई-मेल पता देगा।

नियोक्ता और इंजीनियर को नोटिस

18.2 नियोक्ता और इंजीनियर को सभी नोटिस इस प्रयोजन हेतु दिए गए पते पर डाक अथवा टेलेक्स अथवा टेलीफैक्स द्वारा भेजे जाएंगे अथवा दस्ती रूप सुपुर्द किए जाएंगे।

पता बदलना

18.3 संविदा के पक्षकार नियोक्ता को दिए गए पते को बदल सकते हैं और इसकी सूचना सभी संबंधितों को देंगे।